खण्ड-370, अंक-1
शुक्रवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1907
(12 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–59
प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	59–61
नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के समय से उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	61–62
भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री गिरधारी लाल, श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री राजा राम मिश्र, श्री मसूदुल हसन नोमानी, श्री जवाहर लाल तथा श्री अजब सिंह एवं वायु सेनाध्यक्ष लक्ष्मण माधव कात्रे तथा कनिष्क जम्बो जेट विमान की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में शोकोद्‌गार	62–71
श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ..	71–72
बजट साहित्य के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना ..	72
वित्तीय वर्ष 1985–86 का आय-व्ययक	72–96
सत्थियां	97–100

संसद विधान

हिन्दी भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक, 12 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
अफसर यू अहमद, श्री (बस्ती)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
काजी कलीमुर रहमान, श्री (आजमगढ़)
गोपाल दास यादव, श्री (इलाहाबाद)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
भानुपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राम बिशुन आजाद, श्री (गोण्डा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्री प्रकाश, श्री (आजमगढ़)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
हरशरन सिंह, श्री (मेरठ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

मैं आप सबका स्वागत करते हुए आज के सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूं ।

शुक्रवार, 12 जुलाई, 1985 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान पेंशन एवं ग्रेच्युटी दिये जाने की मांग

**1—डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति पेन्शन तथा ग्रेच्युटी में 568 प्वाइन्ट तक महंगाई भत्ते का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मामला शासन के विचाराधीन है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर केन्द्र सरकार ने निर्णय कर लिया है कि 568 प्वाइन्ट तक महंगाई भत्ते का लाभ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन तथा ग्रेच्युटी में दिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह अपेक्षा करूं कि इसी तरह का निर्णय लेकर उसकी घोषणा वह इसी बजट सत्र में कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इस पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस मामले पर शासन ने 1-2 दिन पहले निर्णय ले लिया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इसकी मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है । बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र में इस पर निर्णय होना है । क्या मैं यह मान लूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है शीघ्र ही हो जायेगा, कि शीघ्र शब्द का मतलब है इसी बजट सत्र में उसकी घोषणा कर दी जायेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, उसके संदर्भ में विनम्रतापूर्वक यह सूचित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया था और 30 अप्रैल, 1985 को आदेश जारी कर दिये थे । उस पर हम लोग भी विचार कर ही रहे थे, हमें मालूम हुआ कि उन आदेशों में केन्द्र सरकार ने कतिपय संशोधन किये हैं इसलिए उन संशोधनों की जानकारी करने के लिए हमें इस पर अपना विचार स्थगित करना पड़ा । अब सूचना प्राप्त हो गयी है और इस पर निर्णय लिया जा रहा है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महंगाई भत्ते का जहां तक प्रश्न है वह दोनों--केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को व प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान रूप से भागना पड़ता है । क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि केन्द्र सरकार जब-जब महंगाई भत्ता बढ़ाती है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार में भी बढ़ाया जाय ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, माननीय सदस्य कृपया देखें कि यह प्रश्न महंगाई-भत्ते से संबंधित नहीं है अपितु पेन्शन से संबंधित है ।

प्रश्न यह कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन तथा ग्रेच्युटी में 568 प्वाइंट तक महंगाई भत्ते का लाभ दिया जायेगा कि नहीं । जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भारत सरकार ने अपना निर्णय दिया था 30 अप्रैल, 1985 को । उसमें यह कहा था कि यह लाभ 31 मार्च, 1985 के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जायगा, उसके बाद जो होगें उनको उसका आधा लाभ दिया जायेगा और अगस्त के बाद होने वालों को पूरा । इसमें कुछ संशोधन किये हैं और उन पर निर्णय होना है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि केन्द्र सरकार से जो भी जानकारी उनको मिली है वह पूरा मामला विचार धीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इसके संशोधन को स्वीकार करते हुए उसका कार्यान्वियन विचाराधीन है या उसको सिद्धान्तः स्वीकार करना ही विचाराधीन है ?

श्री नारायन दत्त---

जो विचार माननीय सदस्य ने रखे है वह सराहनीय है । माननीय सदस्य स्वयं सिद्धान्तवर्धक है । तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई विशेष भेद नहीं है । सिद्धान्त मानकर कार्य करें या कार्य के लिए सिद्धान्त मान कर हम चलें । (हंसी)

प्रदेश में पांच दिन का कार्य दिवस किये जाने की मांग

**2---श्री मित्रसेन, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री किरनपाल सिंह, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री सरदार सिंह श्री शारदा प्रताप, श्री गौरी शंकर भइया, श्री शिवेन्द्र सिंह---

क्या मुख्य मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य में हफ्ते में 6 दिन के स्थान पर 5 दिन का सप्ताह मानकर कार्य किया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री---(श्री हुकुम सिंह)---

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्र सेन---

केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कार्य का समय हफ्ते में 6 दिन के बजाय 5 दिन कर दिया है हमारी प्रदेश सरकार क्या इससे सहमत है कि यहां भी हफ्ते का समय 6 दिन के स्थान पर 5 दिन कर दिया जाय और यदि इससे सहमत हैं तो इसे कब तक लागू करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, सारा मामला विचाराधीन है । उसके बाद निर्णय कर लिया जायगा ।

श्री गौरी शंकर भइया---

माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि हफ्ते में 6 दिन के स्थान पर 5 दिन कर दिया जाय, तो उस प्रस्ताव का प्रारूप, जिस पर आप विचार कर रहे हैं, क्या है ? सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायन दत्त---

प्रस्ताव का प्रारूप वही है जो केन्द्र सरकार ने विज्ञापित किया है ।

श्री देव कुमार यादव---

पिछले प्रश्न में एक सिद्धान्त की बात उठी थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सिद्धान्त से सहमत है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह---

जैसा मैंने पहले कहा कि सारा प्रश्न ही विचाराधीन है । उस पर जब सिद्धान्त रूप से निर्णय हो जायगा तो सिद्धान्त पर भी निर्णय हो जायगा उसके कार्यान्वयन पर भी निर्णय हो जायगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

भारत सरकार पश्चिमी देशों की नकल कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि भारत, जो विकासशील देश है और 5 दिन का सप्ताह करने से यहां महंगाई बढ़ेगी तथा यहां की जलवायु भी ऐसी है कि एक दिन में कई घण्टे काम आदमी नहीं कर सकता तो क्या सरकार जो विचार कर रही है कि 6 दिन के स्थान पर ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये, आप तो. . . ।

श्री किरन पाल सिंह--

प्रश्न ही कर रहा हूं माननवर, तो 6 दिन के स्थान पर 5 दिन का सप्ताह लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं?

श्री हुकुम सिंह--

माननवर, जैसा मैंने उत्तर दिया, सारी बातों पर विचार चल रहा है, सहमति या असहमति की स्टेज नहीं आयी है । जब विचार हो जायेगा, निर्णय ले लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि 5 दिन का हफ्ता करने से कार्यालयों में 9 बजे उपस्थिति अनिवार्य होगी । क्या शासन यह मानता है कि 9 बजे उपस्थिति हो जायगी ?

श्री हुकुम सिंह--

सारे पहलू हैं और इसी कारण से इस पर विचार करने की स्थिति पैदा हुई । सारी बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मा0 मुख्यमंत्री जो कार्य दिवसों को कम करके प्रदेश की स्थिति को ऊपर उठा सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

कार्य-दिवस कम नहीं हो रहे हैं और न काम के घंटे कम हो रहे हैं । अगर इसको उपयोगिता समझी जायगी तो निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह तो विचाराधीन है ही । क्या माननीय मन्त्री जी इतना बताने की जहमत करेंगे कि यदि 5 दिन का सप्ताह हो जायगा तो काम की मुद्दत कम हो जायगी, ऐसी हालत में यह एक प्रगतिशील देश है काम भी घट जायगा, तो क्या दो घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम को काम की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव करते है ?

श्री हुकुम सिंह--

माननवर, यह बहुत 'हाईपोथेटिकल" प्रश्न है, यह मान रहे है कि अगर ऐसा हो जायगा तो ऐसा होगा अभी इसी पर विचार चल रहा है कि 5 दिन का सप्ताह हो या नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के इस नारे को मानकर कि, "आराम हराम है" प्रदेशीय सरकार केन्द्र सरकार को कोई प्रस्तिवेदन प्रस्तुत करेगी कि 6 दिन के बजाय 7 दिन का सप्ताह हो ?

श्री हुकुम सिंह--

सरकार के लिये तो आराम, हराम है ही और सप्ताह भी 7 दिनों का ही है । आपकी सारी बातों पर विचार करूंगा, काम के घण्टे कम नहीं होने वाले हैं । चूंकि इस प्रश्न पर अभी विचार चल रहा है, इसलिये कोई बात कहना आवश्यक नहीं समझता हूं ।

श्री मित्रसेन--

हमारे मुख्यमंत्री जी प्रश्न का उत्तर टालकर निकल गये कि केन्द्रीय सरकार का जैसा प्रारूप है, वैसा ही प्रदे

सरकार का भी है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का प्रारूप क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

केन्द्रीय सरकार का प्रारूप माननीय सदस्य के प्रश्न में ही निहित है जहां उन्होंने कहा है कि "केन्द्रीय सरकार की भांति राज्य में हफ्ते में 6 दिन के स्थान पर 5 दिन का सप्ताह मानकर कार्य किया जाय ।

श्री किरन पाल सिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र के इस निर्णय से सहमत है कि हफ्ते में कार्य के 5 दिन होने चाहिये या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय किरन पाल सिंह जी, आप अनेकों शंकाओं से ग्रस्त हैं । मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि यह मामला अभी प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय प्रस्ताव के आधार पर विचार कर रहे हैं, तो उस प्रस्ताव में यह भी है कि 6 दिन के सप्ताह के बजाय 5 दिन का सप्ताह करने से जो एक दिन की क्षति होगी, उसकी पूर्ति के लिये बाकी 5 दिनों म एक-एक घण्टा कार्य की अवधि बढ़ा दी जायगी तो क्या कार्य-दिवस कम करने के प्रश्न पर विचार के साथ-साथ बाकी दिनों में काम के घण्टे बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह—

जैसा मा0 सदस्य ने कहा जो प्रश्न विचाराधीन है उसमें सारे ही प्रश्न निहित हैं, "घण्टों" वाला मसला भी विचाराधीन है । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि घण्टों में कोई कमी नहीं आयेगी । कार्य करने के घण्टों को कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । सवाल तो यह उठता है कि क्या इससे सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी या नहीं ? यह सब तमाम बातें अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ के ग्राम निजामुद्दीनपुर की सार्वजनिक भूमि पर श्री मोहम्मद फारूक का अबैध कब्जा

*1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील व जिला लखनऊ में सार्वजनिक भूमि संख्या 56 के एक भाग रकबा एक बिस्वा दस बिस्वांसी पर मोहम्मद फारूक पुत्र हारून का अवैध कब्जा हटाने हेतु उनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत न्यायालय में वर्ष 1984 में बाद दायर किया गया था ? यदि हां, तो क्या न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आगरा के कमिश्नरी न्यायालय अधिवक्ता संघ की हड़ताल एवं मांग

*2—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कमिश्नरी न्यायालय अधिवक्ता संघ आगरा मण्डल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1984 से जुलाई 1984 तक हड़ताल की ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि हड़तालियों द्वारा उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार

के गम्भीर आरोप लगाये गये ? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि "सूचना एकत्र की जा रही है ।" जब कि मैंने यह प्रश्न 2-5-1985 को किया है कि आगरा में कमिश्नरी न्यायालय अधिवक्ता संघ, आगरा मण्डल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1984 से जुलाई, 1984 तक हड़ताल की । उन अधिवक्ताओं ने अपने मांग-पत्र के प्रतिवेदन का प्रारूप लखनऊ आकर मुख्य मन्त्री जी को और राजस्व मन्त्री जी को प्रस्तुत किया । उसमें कमिश्नर के ऊपर गम्भीर आरोप लगाये गये थे । उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी उन्होंने दी है और मन्त्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं चाहूंगा कि इसका जवाब मन्त्री जी दें कि उनकी हड़ताल कब तक चली ? क्या अधिवक्ताओं की मांग का प्रतिवेदन आपके कार्यालय में मिला है ? मैंने प्रश्न 2-5-1985 को किया था और आज 12-7-1985 है जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं और मन्त्री जी अभी इस सम्बन्ध में सूचना ही एकत्रित कर रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर--

इस पूरे प्रकरण की अभी सूचना उपलब्ध नहीं है, इसको एकत्र किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

कब तक आप इसे उपलब्ध करा लेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

यह प्रश्न को सूचना एकत्र करने की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं । यह देखिये सारे प्रश्नों के उत्तर में आज यही जवाब दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका उत्तर दें कि आगरा मण्डल के कमिश्नरी अधिवक्ता संघ ने जो एक प्रतिवेदन 24 अप्रैल से पहले 1984 में दिया था और उसके बाद हड़ताल हुई, तो जो प्रतिवेदन दिया गया था उसके आधार पर क्या उनकी हड़ताल समाप्त कराने की कोशिश की गयी ? क्योंकि उसम उच्चतम अधिकारियों के खिलाफ गम्भीर आरोप थे और सरकार उनको बचाना चाहती है । इसीलिये सरकार इस प्रश्न के उत्तर को टाल रही है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, आप कोई इसको डेट फिक्स कर दें ।

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य का शासन की सदाशयता पर शंका करना उचित नहीं लगता है । इस पूरे प्रकरण की सूचना एकत्र की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग पहले मेरी बात को सुन लें । कमाल यूसुफ साहब आप कृपा करके बैठ जायं । नियमों के अन्तर्गत आपको दो हफ्ते के अन्दर इसकी सूचना यहां देनी पड़ेगी । तो कृपा करके आप इसको जल्दी करा दें ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पान्डे--

यह कह रहे हैं कि सरकार सूचना एकत्र कर रही है ।

श्री रघुवर दयाल धर्मा--

मान्यवर, आगरा कलिक्टरी के अधिवक्ताओं की हड़ताल 24 अप्रैल, 1984 से जुलाई, 1984 तक चली, और यह बात माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी मालूम है। 22 अप्रैल को उनको मांग पत्र दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह मांग पत्र क्या है। वह मांगपत्र इनकी पत्रावली में मौजूद है। मान्यवर, कम से कम यह तो बता दें कि वह मांगपत्र इनकी पत्रावली में मौजूद है अथवा नहीं ?

श्री गौरी शंकर--

दो सप्ताह में सूचना प्राप्त कर ली जायेगी, जैसा कि आपने निर्देशित किया है।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल धर्मा--

मान्यवर, क्या वह मांगपत्र इनके पास है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। यही एक सवाल नहीं है, जिसमें माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है, बल्कि राजस्व विभाग के जितने भी सवाल हैं, सभी में यह कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। जो सवाल यह किया गया है वह एक बड़े अफसर के खिलाफ किया गया है। सवाल 2-5-1985 को दिया गया है और मामला 24 अप्रैल, 1984 का है। तो इस सवाल का उत्तर जानबूझकर टाला जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि इसका उत्तर 2-3 दिन में आ जाये।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल के खड़ा होने के बाद भी आप को कुछ कहना है ? माननीय ओझा जी, आप बैठ जायें।

श्री नारायण दत्त--

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अभी अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि जान-बूझकर इस सदन को किसी प्रकार से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गुमराह करने की जाये। इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। यह जो प्रश्न है, माननीय नेता विरोधीदल भी शासन के सदस्य रह चुके हैं और उनको भली भांति मालूम है कि जब कोई ऐसा प्रकरण आता है और जिसमें जो सामग्री दी जाती है, वह सदन के समक्ष उत्तर देने में अधूरी होती है और शासन के दायित्व को स्वयं लगता है कि वह अनपूरक उत्तर देने के लिये पर्याप्त सामग्री नहीं है तो इस में लिखा है कि आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही की प्रक्रिया बड़ी लम्बी होती है। आरोप तो अखबार में छप गये, लेकिन क्या कार्यवाही हुई, इसमें समय लगता है। अलग-अलग प्रकार के आरोप होते हैं। इसी-लिये नियमावली में लिख कर रखा गया है। इसका उत्तर अवश्य दिया जायेगा ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिया, जायेगा। अगर माननीय मन्त्री जी किसी उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं और सारी सूचना नहीं दी गयी है, तो उसके लिये नियमावली में जगह है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिया जायेगा, इसका उत्तर आपको अवश्य दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी, आप बैठ जाइये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर समय के अन्दर दे जाना चाहिये।

ओबरा एवं हरदुआगंज ताप विद्युत् गृहों में अग्निकांड

*3--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि सिंगरौली विद्युत् ताप गृह में आग लगने के कारण प्रदेश में विद्युत् सप्लाई, उद्योग एवं कृषि उत्पादनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो शासन इस प्रभाव को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रहा है तथा लगातार ताप गृहों में हो रहे अग्निकांडों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

जी हां। विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिए तापीय इकाइयों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा ओबरा एवं हरदुआगंज ताप विद्युत् गृहों की अग्नि कांड में क्षतिग्रस्त इकाइयों को शीघ्र पुनः चालू करने की दिशा में सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने ताप विद्युत् गृहों पर अग्नि की जानकारी, उस पर काबू पाने तथा बचाव के लिए "फाड" बनाया है जिसका क्रियान्वयन विभिन्न विद्युत् गृहों पर प्रगति पर है। साथ ही विद्युत्गृहों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात कर दिये हैं।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ओबरा और हरदुआगंज में जो मरम्मत का कार्य हो रहा है और नई मशीनें लगायी जा रही हैं, वह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, ओबरा में अग्नि से दो काइयां डैमेज हुई थीं। उसमें एक काई-यूनिट नम्बर 11 तैयार हो गई है और वह विद्युत् उत्पादन देने लगी है। साथ ही साथ हरदुआगंज की एक यूनिट नम्बर 6 तैयार हो गई है और उसमें भी उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से ओबरा में 200 मेगावाट तथा हरदुआगंज में 60 मेगावट का कार्य तेजी से हो रहा है। हरदुआगंज में सितम्बर के अन्त तक और दूसरे में अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सिंगरौली विद्युत् ताप गृह में जो आग लगी है तो क्या माननीय मन्त्री जी ने यह जानने की कोशिश की है कि आग लगने का क्या कारण था ? क्या आग उग्रवादियों द्वारा लगायी गयी या सरकार की कमजोरियों के कारण लगी जिससे सारे प्रदेश के अन्दर विद्युत् न मिलने से किसानों और उद्योगों को हानि हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? हमारे जो ऊर्जा मन्त्री हैं वे जिले के मुख्यालयों में बैठकर वहां के उद्योगों को बिजली न मिल पाये, कोई ऐसा प्रबन्ध किये हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जहां तक सिंगरौली तापीय विद्युत् गृह की बात है वह केन्द्रीय सरकार के तहत आता है। वहां पर अक्तूबर, 1984 में आग लगी थी और वह कोयले के प्लान्ट में लगी थी। केन्द्रीय सरकार ने उसकी जांच की है। उसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ उपाय किये हैं जिससे वहां पर इस तरह की बात न हो सके।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैंने दूसरी बात पूछी थी।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करके दुबारा साफ कर लीजिये।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, यह तो पहले ही माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है । लेकिन जो तोड़-फोड़ हुई है क्या उसमें सरकार की साजिश है या उग्रवादियों की साजिश है । दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि इस अग्नि-कांड से उद्योगों को जो हानि हुई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मेरा आरोप है कि माननीय ऊर्जा मन्त्री ने जिले के मुख्यालयों में बैठकर इस तरह का प्रबन्ध किया है कि जिससे वहां के उद्योगों को बिजली न मिल पाये ।

श्री अध्यक्ष--

साजिश का पता लगाकर आप उन्हें बता दीजिये । इससे उनको सहायता मिलेगी ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, कोई साजिश की बात सामने नहीं आई है । लेकिन अग्निकांड जरूर हुआ है । जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि 5 दिन तक सिंगरौली तापीय विद्युत् गृह से बिजली नहीं मिल पायी 5 दिन के अन्दर ही सिंगरौली ताप विद्युत् गृह में जो क्षति हुई थी उसे ठीक कर दिया गया और उससे उत्तर प्रदेश को फिर बिजली मिलने लगी । हम लोगों ने जो कटौती उस समय बिजली की कमी के कारण की थी वह कई दिनों तक लागू रही क्योंकि विद्युत् की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही थी । अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जो प्रायोरिटी के उद्योग हैं, उनमें अब किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कहा गया था कि अग्निकांडों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि सिंगरौली में आग लगने के जो कारण उसकी जांच करने के लिए कोई कमेटी गठित की थी अगर हां तो उसकी रिपोर्ट क्या शासन को आ गयी है और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह केन्द्र का विद्युत्गृह है । इसमें 22 अक्तूबर, 1984 को आग लगी (व्यवधान) सिंगरौली का बता रहा हूं ओबरा में तो अक्तूबर, 1983 में आग लगी थी । तो सिंगरौली में जब आग लगी तो उसके बाद तुरन्त कार्यवाही की गयी और जो मशीने आनी थी वह 29 अक्तूबर, 1984 को आ गयीं :

माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं यह तापगृह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है राष्ट्रीय तापीय विद्युत् गृह के अंडर है । उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय विद्युत् गृहों में अग्निकांड होते रहते हैं उन पर प्रश्न तथा उत्तर आते रहते हैं । उससे उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आये दिन जो अग्निकांड हो रहे हैं इसको रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान सरकार ने तैयार किया है कि जिससे इन अग्नि-कांडों को रोका जा सके ? यदि हां तो वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैंने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की है उसमें केन्द्रीय सुरक्षा दल के दस्ते वहां लगा दिये हैं वे सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार से आग न लगे । साथ ही साथ उनका तालमेल वहां के जो प्रबन्धक व अन्य कर्मचारी हैं उनसे बना हुआ है ताकि इस प्रकार से कोई क्षति न हो ।

जिला शरणालय, देहरादून की संवासिनी श्रीमती कमला देवी की कथित बिक्री

* डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्रीमती नारायणी देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहसपुर, देहरादून द्वारा सहायक अधीक्षिका जिला शरणालय/प्रवेशालय (महिला), कोटद्वार के कार्यालय में शरणालय की संवासिनी कमला देवी को कोटद्वार के रेडी चालक श्री श्रीमान सिंह के पास 2,500 रु0 में बेचा गया था ? यदि हां, तो श्रीमती नारायणी देवी के प्रति क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती नारायणी देवी की लापरवाही और अनियमितताओं के कारण वर्ष 1982 में एक संवासिनी की मृत्यु हुई थी एवं उक्त घटनाओं के बावजूद भी श्रीमती नारायणी देवी को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी नहीं ।

जिला शरणालय एवं प्रवेशालय की संवासिनी कमला देवी शरणालय में प्रविष्ट होने से पूर्व श्री श्रीमान सिंह रेडी चालक के घर में रही थी । अतः कमला देवी और मानसिंह दोनों ने परगना मजिस्ट्रेट कोटद्वार के न्यायालय में उपस्थित होकर साथ-साथ जीवन बिताने की इच्छा प्रकट की थी । उसी के आधार पर परगना मजिस्ट्रेट, कोटद्वार द्वारा कमला देवी को श्री श्रीमान सिंह के साथ मुक्त करने के आदेश पारित किये गये थे। अतः श्रीमती नारायणी देवी के प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

जी नहीं ।

श्रीमती नारायणी देवी ने जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) कोटद्वार में दिनांक 13 अगस्त, 1982 को कार्यभार ग्रहण किया था । संवासिनी झूलरमति इसके पूर्व से ही बीमार चल रही थी तथा उसे दिनांक 21 अगस्त, 1982 को राजकीय चिकित्सालय, कोटद्वार में भर्ती कराने हेतु भेजा गया था परन्तु बेड खाली न होने के कारण संवासिनी को 26 अगस्त, 1982 को भर्ती करवाया गया । संवासिनी का इलाज सुचारु रूप से चल रहा था परन्तु दैवयोग से दिनांक 10 अक्तूबर, 1982 को राजकीय चिकित्सालय, कोटद्वार में संवासिनी की मृत्यु हो गयी । इसके लिये श्रीमती नारायणी देवी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । श्रीमती नारायणी देवी की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया गया ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर पर विचार करें तो प्रारम्भ से ही उलझी हुई स्थिति सामने आती है । पहले तो मन्त्री जी उत्तर देती हैं कि श्रीमती कमला देवी श्रीमान सिंह रेडी के पास रह रहीं थीं और परगना मजिस्ट्रेट ने साथ रहने के लिये कहा । दूसरी तरफ मन्त्री जी कह रहीं हैं कि वह संवासिनी होकर वहां रह रहीं थीं ।

दूसरी बात 21 अगस्त, 1982 को संवासिनी झूलरमति की ऐसी हालत थी कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गयी थी लेकिन अस्पताल में जगह न होने के कारण 26 अगस्त तक उसे कहां रखा गया था । यह शोचनीय प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया संक्षेप में पूछे ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मैं उस स्थिति को समझा रहा हूं । मैं तो कहता हूं कि उस महिला को जानबूझकर मारा गया है जिसकी जिम्मेदार श्रीमती नारायणी देवी हैं ।

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 21 अगस्त, 1982 से 26 अगस्त, 1982 तक उन संवासिनी को कहां रखा गया ? यदि अस्पताल में जगह नहीं थी तो नजदीक में नजीबाबाद या डुगड्डा के अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराया गया ? क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसमें दो अलग-अलग प्रश्न हैं। एक तो श्रीमान सिंह रेडो चालक के सम्बन्ध में है और उनके साथ जो कमला देवी रह रहीं थीं उनके सम्बन्ध में है। दूसरा प्रश्न श्रीमती झूलरमति के सम्बन्ध में है। जहांतक कमला देवी का सम्बन्ध है तो वह श्रीमान सिंह के साथ रह रहीं थीं। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने हमारे यहां संवासिनी के रूप में उनको भेजा। परगना मैजिस्ट्रेट ने हमको आज्ञा दी कि श्रीमान सिंह के साथ उनको भेज दिया जाये, तो वहां भेजा गया। अब वह दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो मियां-बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो समझाना चाहते थे वह मन्त्री जी समझ गयी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्पेशल हिन्दू मैरिज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत जबतक जुडीशियल सेपेरेशन नहीं हो जाता है तबतक पुनः विवाह का प्रश्न नहीं उठता। परगना मैजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं है कि शादी करायें....

तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मान सिंह और श्रीमती कमला देवी यह दोनों क्या पहले से विवाहित थे या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह तो कोर्ट का आर्डर था कि इन श्रीमती कमला देवी को श्री मान सिंह के साथ भेज दिया गया था और संवासिनी के रूप से उसको मुक्ति प्रदान की जाए। तो यहां केवल कोर्ट के आर्डर को कम्पलायंश की गयी है और कोर्ट ने क्यों ऐसा आर्डर दिया यह हमारे लिए बताना सम्भव नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि श्रीमती नारायणी देवी के बारे में प्रश्न-कर्ता ने उनके विरुद्ध जो अनेक आरोप अपने मूल पत्र में लगाए हैं और जो प्रश्न में भी हैं, उन तमाम बिन्दुओं पर सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां तो वह क्या है और यदि नहीं कराई है तो क्या फिर से वह उस पर जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं जिला पौड़ी-गढ़वाल के अधिकारियों से ही उसको जांच कराकर यह तथ्य यहां भेजे गये हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैंने पूछा था क्या उन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी या नहीं, मन्त्री जी को इसका उत्तर हां या नहीं में देना चाहिए था। यदि वह कहती नहीं करायी गयी तो मैं कहता हूं कि क्या उन सन्दर्भित आरोपों पर पुनः वह जांच कराने की कृपा करेंगी। दूसरी बात यह है कि हम प्रश्नकर्ताओं का जिला अधिकारी की रिपोर्टों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम शासन का उत्तर चाहते हैं। श्रीमन्, आप इस सम्बन्ध में नियम 38 देख लीजिए। तो क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देंगी कि उन बिन्दुओं पर यदि जांच नहीं करायी गयी है तो क्या वह पुनः जांच करा लेने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पुनः जांच करा लेंगे, क्योंकि हमारा किसी भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का इरादा नहीं है। हम इसे करा लेंगे और जो तथ्य होंगे वे

आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जायेंगे । हमने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में हम इस बुराई को सदा के लिए समूल नष्ट करना चाहते हैं ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह--

अभी मन्त्री जो ने एक नीति सम्बन्धी बात कही है, उस पर मुझे सुन लिया जाए । यह एक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणा थी कि मियां-बीबी राजी तो क्या करेगा काजी....

(व्यवधान)

यह हिन्दू मैरेज ऐक्ट के बिल्कुल विरुद्ध है ...

श्री अध्यक्ष --

अभी बहुत से प्रश्न बाकी है, वह हमें देख लेने दीजिए अब आगे चलने दीजिए ।

पर्वतीय जनपदों में रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का कार्यान्वयन

*5--श्री पूरन सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि पर्वतीय जनपदों के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार ने रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आर0 एम0 एन0 पी0 के अन्तर्गत कुछ ब्लाकों को लिया था और उपरोक्त आर0 एम0 एन0 पी0 के अन्तर्गत लिए गये ब्लाकों का सामान वहां प्रयोग में न लाकर उन जनपदों में प्रयोग किया जाता है, जो आर0 ई0 सी0 नार्मस के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन वास्तविक ब्लाकों में आर0 एम0 एन0 पी0 के तहत तेजी से कार्य चलायेगी, जिसके लिए वास्तव में उपरोक्त कार्यक्रम बनाया गया था तथा जिन पूरे गांवों में विद्युतीकरण करवायेगी कितने गांव पूर्व से ही योजना में प्रस्तावित हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पूरन सिंह--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न 6-5-1985 को दिया था, प्रश्न दिए आज 2 माह 6 दिन हो गये हैं और अब भी इतने दिनों बाद मंत्री जी का यह उत्तर है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । प्रश्न सीमान्त जिलों को लेकर है, केन्द्र सरकार रिवाइज्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत बिद्युतीकरण कराने के लिए अपनी ओर से पैसा दे रही है । इस संबंध में मैंने केवल इसकी जानकारी चाही है कि किन ब्लाकों को यह पैसा दिया गया है और यह क्या उन ब्लाकों में लगाया गया है जिनके लिए यह पैसा उपलब्ध कराया गया था क्योंकि हमारी जानकारी में आया है कि इससे जिन ब्लाको के लिए सामान आया था वह उनमें न लगाकर दूसरे ब्लाकों में लगाया गया है । इसी का जवाब आने में ढाई माह लग गया है । तो यह बड़े खेद की बात है । क्या मंत्री जी इस बात की निश्चित जानकारी देंगे कि इसकी कब तक जानकारी दे दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं । इस संदर्भ में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सूचना पूर्ण रूप से एकत्रित की जा रही है । हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण रिवाइज्ड मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है । इस संबंध में हम पूरी सूचना एकत्र कर रहे हैं, जैसे ही सूचना मिल जायगी हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

फतेहपुर, ग्राम सभा के ग्रामों का विद्युतीकरण

*6--श्री सुग्रीव सिंह--

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर ग्राम सभा के अन्तर्गत

ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में तत्कालीन विद्युत मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) ने कोई आदेश अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् कोटद्वार, जिला गढ़वाल को दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले में लेखपालों की नियुक्ति

*7--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तदर्थ रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित लेखपालों को वर्ष 1983-84 में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है ? बस्ती जिले में ऐसे लेखपालों की संख्या कितनी है और उन सब की नियुक्तियां कब तक हो जायेगी ?

श्री गौरी शंकर--

वर्ष 1983-84 में जनपद बस्ती के 93 अप्रशिक्षित लेखपालों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से 55 लेखपाल परीक्षा के उपरान्त उत्तीर्ण होने के पश्चात आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा बस्ती जनपद को नियुक्ति हेतु सम्बद्ध किये गये और उनकी नियुक्तियां कर दी गयी हैं।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जो 93 लेखपाल थे, यह सेवारत थे और इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा गया था । प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के बाद इन 55 लेखपालों की नियुक्ति की गय ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रिजल्ट घोषित हुआ, तुरन्त इनकी नियुक्ति कर दी गयी।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनका रिजल्ट कब घोषित किया गया और इनकी नियुक्ति कब की गयी।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, 55 लेखपालों की नियुक्ति जिलाधिकारी बस्ती के आदेश दिनांक 26-6-1985 के द्वारा लेखपाल पद पर की गयी । इसके पूर्व परीक्षाफल घोषित हुआ था ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, परीक्षाफल कब घोषित हुआ इसकी जानकारी दिलवा दें ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी कृपा करके इसको देखकर बता दीजियेगा ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, यदि वह कहें तो प्रशासन की तरफ से प्राप्त जानकारी जो मेरे पास उपलब्ध है, मैं उन्हें उससे अवगत करा सकता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शेष जो 38 और बचे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनकी नियुक्ति वह कब तक करा रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि 109 प्रशिक्षण के लिये भेजे गये उनमें से 93 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। गोरखपुर के मंडलायुक्त ने, जैसे-जैसे स्थान रिक्त पाये गये, आदेश करके उन्हें 55 की नियुक्ति कर दी 6 की नियुक्ति के संबंध में और कार्यवाही चल रही है। जैसे-जैसे स्थान रिक्त होंगे उसी अनुपात से प्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति होगी।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे एक मिनट का मौका देने की कृपा करें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, माननीय सुखपाल पान्डेय जी को मौका दे दीजिए, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सुखपाल पान्डे—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में अप्रशिक्षित लेखपाल कार्य कर रहे हैं और प्रशिक्षित लेखपाल जो हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की गई है? माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि बस्ती जनपद में इस समय कितने अप्रशिक्षित लेखपाल कार्यरत हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो अप्रशिक्षित लेखपाल काम कर रहे होंगे और प्रशिक्षित को नियुक्त नहीं किया गया होगा, तो हम इसकी जांच करा कर जो प्रशिक्षित लेखपाल हैं, उनको सेवा का अवसर देंगे।

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि वह प्रशिक्षित लेखपालों को नियुक्त करा देंगे।

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, यह तो आप करा देंगे, लेकिन दोषी व्यक्ति को क्या सजा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आपके प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जो प्रशिक्षित लेखपाल हैं, उनमें से एक को भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, 27-5-1985 को प्रशिक्षित लेखपालों का रिजल्ट निकला है और जैसे-जैसे स्थान रिक्त होंगे, वैसे-वैसे उनकी नियुक्ति हो जायेगी अब अप्रशिक्षित लेखपालों को काम करने का मौका नहीं दिया जायगा, जब तक वे प्रशिक्षित नहीं हो जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

*—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल उत्पादन में कृषि एवं अन्य ग्रामीण उत्पादन का योगदान अ से अधिक है और 80 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है? क्या मंत्री जी प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करने पर पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

चूंकि ऊर्जा का वितरण आबादी के अनुसार नहीं अपितु विद्युत भार के

आधार पर करना पड़ता है और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का भार कुल भार का लगभग 40 प्रतिशत है। अतः ऊर्जा के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित करना संभव नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भार कुल भार का लगभग 40 प्रतिशत है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब स्वीकृत भार पहले से ही कम है, तो उसको कुल विद्युत् सप्लाई न दिये जाने का क्या कारण है और जब स्वीकृत भार पहले से ही कम है, तो कटौती करके 25 प्रतिशत सप्लाई किये जाने का क्या कारण है? क्या माननीय मंत्री जी इस सप्लाई में वृद्धि लाने का प्रयास करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 6 हजार मेगावाट कनेक्टेड लोड है और 2,500 मेगावाट ग्रामीण अंचलों में है। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण अंचलों में आवश्यकता अधिक है, यह मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि ग्रामीण अंचलों में विद्युत् की आवश्यकता कभी-कभी बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन विद्युत् की कमी के कारण पूरे प्रदेश को सामने रख कर विद्युत् आपूर्ति करना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण अंचलों में विद्युत् की कमी हो सकती है। हमारा प्रयास यही है कि ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक विद्युत् दी जाय। लेकिन जब विद्युत् की कमी होती है तो विद्युत् गृहों के उत्पादन को देख कर विद्युत् आपूर्ति के कार्यक्रम बनते हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जब उपभोक्ता का स्वीकृत भार उसकी आवश्यकता के अनुसार पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, तो उसमें बिजली सप्लाई कम देने का और क्या औचित्य है? दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि स्वीकृत भार कम है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत् के लिए नये कनेक्शन के आवेदन-पत्र पर तत्काल आदेश दिए जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने स्पष्ट किया है कि विद्युत् की आवश्यकता जितनी वहां है उसकी उपलब्धता को देखते हुए पूरी की जायेगी। ग्रामीण अंचलों में यद्यपि बिजली की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन हमें विद्युत् की कुछ न कुछ तो कटौती करनी ही पड़ती है, यह हम मानते हैं कि जितनी बिजली वहां देनी चाहिए, उतनी बिजली हम वहां नहीं दे पा रहे हैं। वैसे पहले की अपेक्षा विद्युत् आपूर्ति में काफी सुधार आया है। ग्रामीण अंचलों में हम बिजली दे रहे हैं। ग्रामीण अंचलों से जो भी कनेक्शन लेने के लिए आवेदन-पत्र आते हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जैसे ही वह आवेदन-पत्र देंगे लोड के अनुसार स्वीकृत हो जाएगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय ग्रामीण क्षेत्र में कितने घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है तथा इससे पूर्व बिजली की सप्लाई कितनी की जा रही थी?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, 8 जुलाई से पहले बिजली की सप्लाई औसतन आठ घंटे की जा रही थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई दस से बारह घंटे की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले बिजली की सप्लाई औसतन आठ घंटे की जाती थी। अब दस से बारह घंटे दी जा रही है। मान्यवर, क्या मंत्री ने ऐसा कोई पैमाना बना रखा है जिससे हमें जानकारी मिल सके कि इतने घंटे बिजली दी जा रही है। मान्यवर, हम गांव में जाते हैं तो वहां देखते हैं लगातार पानी नहीं आता है। तीन-तीन घंटे किसान बैठा रहता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि जितनी बिजली देने की घोषणा की जाती है उतने घंटे बिजली अवश्य मिले?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जो विद्युत केन्द्र हैं पूरे प्रदेश में, उनके माध्यम से विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में और अन्य अंचलों में हम करते हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बिजली की जो आपूर्ति की जा रही है, उसमें बीच से कटौती हो जाती है, जिससे किसान को कठिनाई और परेशानी होती है, लेकिन फिर भी जितनी बिजली हम दे सकते हैं देते हैं। लेकिन विद्युत आपूर्ति में किसी तरह की कठिनाई न आए उसके लिए हम जितने विद्युत केन्द्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। धीरे-धीरे विद्युत केन्द्र की क्षमता बढ़ भी रही है जिससे सुचारू रूप से बिजली पहुंच सके।

*9—श्री राम सागर—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

*10—कर्नल केशरी सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*11—श्री फजलुलबारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश के निजी क्षेत्र में विद्युत गृह की स्थापना सम्बन्धी सूचना

*12—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले विधान सभा में ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऊर्जा की कमी को देखते हुए सरकार कुछ निजी क्षेत्र में 500 मेगावट की तापीय इकाई लगाने के लिए उद्योगपतियों से बात कर रही है? यदि हां, तो क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उसमें क्या प्रगति हुयी और कब तक यह इकाई लगने की उम्मीद है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां। प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर-चुनार के आसपास निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट का तापीय पावर हाउस लगाने की अनुमति सर्वश्री हिण्डालको को अक्तूबर, 1984 में दी थी तदुपरान्त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 44 (2ए) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से विद्युत गृह लगाने की सहमति मांगी गई थी परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारत सरकार के विद्युत बिभाग के सलाह पर निजी क्षेत्र में विद्युत गृह लगाने की अनुमति नहीं दी है।

कुवंर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 6ठीं योजना के अन्त तक कितनी बिजली की कमी थी और सातवीं योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें कितनी बिजली का उत्पादन होगा तथा कितनी बिजली की कमी होगी तथा उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन सा उपाय किया है?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह इस प्रश्न से बिल्कुल अलग है इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

सातवीं योजना का प्रारूप तैयार हो गया है। उसमें कितना उत्पादन होगा और कितनी बिजली की कमी होगी यही मैंने सवाल किया है। उस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय सरकार ने सोचा है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

यह नीतिगत प्रश्न है। क्या कोई ऐसी बात सरकार के विचाराधीन है कि बिजली उत्पादन को निजी क्षेत्र में दिया जायेगा।

श्री सुनील शास्त्री--

केन्द्र सरकार की यह नीति है कि प्राइवेट सेक्टर में विद्युत् गृह न बनाये जायें। प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था वह स्वीकृत नहीं हुआ। इस लिए इस पर कोई विचार प्रदेश सरकार नहीं कर रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप उनसे मिलेंगे, वह बता देंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या ऊर्जा मंत्री केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में बात करेंगे कि प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति न मिलने के क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में मैंने पहले बताया कि केन्द्र सरकार की नीति है कि प्राईवेट सेक्टर में विद्युत् गृह न बनाये जायें। इसी कारण प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। जैसे ही केन्द्र सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करके कोई निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले पहल करके प्राइवेट सेक्टर का जो प्रस्ताव आया है, उसको मंजूर करायेगी।

कानपुर के सहकारी निरीक्षकों की सेवा समाप्ति

*13--श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 के अक्तूबर माह में कानपुर नगर के जिन 4 सहकारी निरीक्षकों को निलम्बित किया गया था उन पर क्या आरोप हैं? क्या उन्हें उनका जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त निरीक्षकों को नियमों के विरुद्ध किन परिस्थितियों में दूसरे जिलों से सम्बद्ध किया गया है? क्या उन्हें कानपुर जनपद से नियमानुसार कार्यमुक्त किया जा चुका है व उनके अन्तिम वेतन प्रमाण की तिथि तक का वेतन दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री दीपक कुमार)--

अक्तूबर, 1984 में कानपुर नगर के 4 नहीं अपितु 3 सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 को निलम्बित किया गया था। इनके विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति उदासीनता आदेशों की अवहेलना, विभिन्न उपभोक्ता सहकारी समितियों में नियंत्रित एवं अनियन्त्रित वस्तुओं के वितरण में अनियमितता व काला बाजारी कराने के आरोप हैं।

3 निलम्बित सहकारी निरीक्षकों को जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा सका है, क्योंकि इन सहकारी निरीक्षकों ने निलम्बन अवधि में सम्बद्ध जनपद में यथा-समय योगदान नहीं किया और अन्तिम सूचना तक वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-2, भाग-2 के फन्डामेन्टल रूल 53 (2) के प्राविधानान्तर्गत प्रमाण-पत्र को भी सम्बद्ध जनपद में प्रस्तुत नहीं किया।

निलम्बित किये गये निरीक्षकों को दूसरे जिलों से सम्बद्ध किया जाना नियम विरुद्ध नहीं है।

जो हा । नियमानुसार जनपद कानपुर नगर से उक्त निरीक्षकों को कार्य मुक्त किया जा चुका है तथा उन्हें निलम्बन से पूर्व की तिथि तक का वेतन दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

क्या माननीय सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नियमों के अन्तर्गत 4 सप्ताह के अन्दर निलम्बन का आदेश उनको मिल जाना चाहिये तो निलम्बन आदेश क्यों नहीं मिला ?

सहकारिता मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)––

मान्यवर, निलम्बन में विलम्ब होने का कारण यह है कि उनका रिकर्ड नहीं उपलब्ध हो पाया था । रिकार्ड विलम्ब से उपलब्ध हुआ ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि 3 सप्ताह के अन्दर आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हो सके, तो नियमों के अन्तर्गत उन्हें सूचना दी जानी चाहिए थी वह क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह––

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि नियमों के अन्तर्गत जो फाइनेन्शियल हैण्ड बुक वाल्यूम 2 नियम 53 के अन्तर्गत है कि व्यक्ति किसी और जगह कोई सेवा–योजना या विधि व्यवसाय में है या नहीं । इन सारी चीजों की जानकारी देर से प्राप्त हुई इसलिए इसमें देर हुई ।

सहकारिता विभाग, कुमायूं मंडल के कर्मचारियों का सम्मेलन

*14––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में कुमायूं मंडल के तमाम सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का जो सम्मेलन उनके स्थायी–करण किये जाने के संबंध में हलद्वानी में हुआ था, उसकी सूचना उन्हें मिली थी ? यदि हां, तो 15 साल से अधिक समय से अस्थायी चलने वाले कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री दीपक कुमार––

प्रश्नगत सम्मेलन के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त नही हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का सम्मेलन सन् 84 में हल्द्वानी में हुआ । उसकी कोई जानकारी इन्हें नहीं है । क्या कोई ज्ञापन सरकार के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस किस्म की कोई बात होती है तो क्या आपके प्रशासन का यह दायित्व नहीं बनता है कि वह इस पर ध्यान दे ? 15 सालों से लोग अस्थायी पड़े हैं तो उनके सम्मेलन की जानकारी लेने का सरकार का दायित्व था या नहीं ?

श्री अरुण कुमार सिंह––

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया ऐसे सम्मेलन के कार्यक्रम का कोई ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ था । लेकिन यू0 पी0 कोआपरेटिव इंसपेक्टर्स की ओर से जो मांगें आयी थी, उन पर सूचना प्राप्त कर, कार्यवाही की गयी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि इस प्रकार की विसंगतियां हैं । ये विसंगतियां मान्यवर, कुमायूं और गढ़वाल मन्डल दोनों में हैं । इस प्रकार की समस्या को क्या मंत्री जी शीघ्र निपटायेंगे ? क्या आपके यहां सेवा मण्डल के द्वारा दो साल पहले से जिन लोगों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति नहीं दी गयी है और उनको ऐसी जगह भेजा जा रहा है, जहां उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है ।

शासन उनके प्रति क्या कर रही है, क्या इस समस्या पर शीघ्र निर्णय लेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न से कुछ हटकर सवाल किया है । मान्यवर, जैसे-जैसे जगह उपलब्ध होती जा रही है और स्थान रिक्त होते जा रहे हैं, उन्हें वहां समायोजित किया जा रहा रहा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि उनको ज्ञापन मिला या नहीं मिला यह अलग बात है, लेकिन इस प्रश्न में एक नीति सम्बन्धी मामला है जिसमें लिखा है कि 15 साल से अस्थायी हैं, तो उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ? जो मांग-पत्र इनको मिला उसमें यह बात लिखी रही होगी । इस सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है । वे 15 साल से काम कर रहे हैं । शासन ने घोषणा की है कि तीन साल से लगातार अस्थायी या तदर्थ रूप से काम कर रहे लोगों को स्थायी कर दिया जायेगा । तो इन 15 साल से काम करने वाले लोगों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में शासन का क्या दृष्टिकोण है, स्पष्ट करें ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो नीति सम्बन्धी जिज्ञासा व्यक्त की है तो मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य सहकारिता विभाग से परिचित होंगे, इसमें पहले से ज्यादा चयन कर लिया जाता है, जिसमें बाद में समायोजन में समय लगता है । जहां तक 15 साल तक काम कर चुके लोगों की बात है उनके बारे में अनुमोदनार्थ नवम्बर, 84 में भेजा जा चुका है । विलम्ब का कारण यह है कि इनकी जो सेवा नियमावली थी, 1979 की उसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में कुछ फेर बदल हुआ है । पहले जो निरीक्षक नियुक्त हो चुके हैं, उनमें ज्यादातर हाई स्कूल के लोग थे । ऐसी स्थिति में मान्यवर, वे पदोन्नति की श्रेणी में नहीं आ सकते थे । अतः विभाग में इसे शासन स्तर पर रखा और अब यह तय हुआ है कि पहले जो इन्टरमीडिएट की बात थी तो उसमें इन्टरमीडिएट हटाकर हाई स्कूल के लोगों के समायोजन की बात हुई है । इसी प्रकार की सूची लोक सेवा आयोग को चली गयी है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग
जफरगंज, सुल्तानपुर के
गोदाम में पोषाहार
की कथित
बर्बादी

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि सहायक निदेशक पोषाहार (मुख्यालय) के संरक्षण में विभाग के जफरगंज, जनपद सुल्तानपुर स्थित गोदाम में लाखों रुपये का पोषाहार बर्बाद हो गया है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ? यदि नहीं, तो क्या पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारी तथा कर्मचारी को तत्काल दंडित करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जफरगंज, जनपद सुल्तानपुर स्थित भंडार गृह को दिनांक 1 मई, 1985 से स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लिया गया है और इसमें अभी तक कोई खाद्यान्न नहीं रखा गया है । अतः खाद्यान्न के खराब होने अथवा उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सहायक निदेशक के संरक्षण में पोषाहार बर्बाद होने के कारण कोई

मामला शासन की संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो इनका पहला प्रश्न था वह यह था कि सहायक निदेशक, पोषाहार (मुख्यालय) के संरक्षण में विभाग के जफरगंज, जनपद सुल्तानपुर स्थित गोदाम में । उसका उत्तर दिया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या उनके संरक्षण में पोषाहार बर्बाद हुआ अथवा नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसके विषय में दूसरा प्रश्न करेंगे तो उत्तर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—]

माननीया मन्त्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा होगी तो जो नया प्रश्न इन्होंने किया है, उसकी जांच करा लेंगे ।

हरदोई जिले में संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्ति

*16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में अप्रैल, मई, 1985 में संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की भर्ती हेतु चयन कराया गया ? यदि हां, तो भर्ती में वर्षों से सीजनल अमीन तथा चपरासी के रूप में, कार्यरत लोगों को चयनित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां । संग्रह अमीनों की भर्ती हेतु परीक्षा तथा चपरासियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया जिसमें सभी पुराने सीजनल संग्रह अमीनों व चपरासियों को अवसर प्रदान किया गया । फलस्वरूप पुराने तथा नये दोनों व्यक्तियों का चयन किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इन पदों के चयन हेतु परीक्षा भी ली गयी, मैं जानना चाहता हूं कि विगत 8–10 वर्षों से कार्यरत, जो पुराने लोग थे, उनको उनके अनुभव के आधार पर चयनित न किये जाने के क्या कारण हैं । कितने पुराने लोगों को लिया गया और कितने नये ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा कि बताया संग्रह अमीनों की भर्ती हेतु परीक्षा तथा चपरासियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया । 200 अमीनों के और 200 चपरासियों के स्थान थे । आयुक्त, लखनऊ मण्डल ने जिलाधिकारी, हरदोई को स्वीकृति दी थी । परीक्षा ली गयी । पुरानों में से केवल 14 बैठे और लोगों ने परीक्षा का बहिष्कार किया । जो 14 बैठे थे, उनको चुन लिया गया और उसमें 186 जो थे, नये अमीन चुने गये । जिसमें कई लोगों द्वारा कार्य भार न ग्रहण करने के कारण 45 रिक्तियां हो गयी । फिर 45 रिक्तियां प्रोटेस्ट की व्यवस्था की गयी । जो पुराने लोग टेस्ट में नहीं बैठ रहे थे, उनको समझाया–बुझाया गया । उसमें 84 अमीनों की सूची बनी । 45 लोग इसमें ले लिये गये । इस परीक्षा के द्वारा 14 एक बार और 45 दूसरी बार इस तरह से 59 पुराने सीजनल संग्रह अमीन लिये गये ।

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो यह प्रश्न था कि पुराने लोग जो थे, उनको क्यों नहीं लिया गया ?

मान्यवर, संग्रह अमीनों की नियुक्ति उनकी गत वर्ष की वसूली, आचरण, उपयुक्तता आदि चीजों को देखकर किया जाता है और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनकी नियुक्तियों की गई हैं। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि जो संग्रह अमीन व चपरासी 10 साल से सेवा करते आ रहे हैं। उनकी सेवा और अनुभव को ध्यान में न रखते हुए उनको चयनित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि उसके कुछ मानक हैं जैसे गत वर्ष की वसूली, आचरण, उपयुक्तता आदि। एक अतिरिक्त जिलाधिकारी, रेवेन्यू की अध्यक्षता में और दो डिप्टी कलेक्टर, रेवेन्यू चयन समिति के सदस्य थे, उन्होंने उसी हिसाब से इनका चयन किया जो मापदण्ड के आधार पर सही निकले उनका चयन किया गया।

*17--श्री किरनपाल सिंह--

[दिनांक 14-9-84 को अता० प्र० सं० 58 द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद की ग्राम सभा अहरन सुवेश की भूमि सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

*18--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 18-1-84 को जिलाधिकारी फैजाबाद को ग्राम सभा अहरन सुवेश की सार्वजनिक भूमि की खुली लूट और भूलेखों में गम्भीर अनियमितताएं सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद तथा परगनाधिकारी, तहसील बीकापुर को भी प्रेषित है ? यदि हां, तो अब तक की जांच की कार्यवाही क्या है और इसमें कौन लोग दोषी पाए गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गावों के विद्युतीकरण की मांग

*19--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष इसका लक्ष्य क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। मार्च, 1995 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। वर्षवार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

वाराणसी जिले के मंगारी नेवादा स्थित अग्रवाल शीतगृह पर बकाया विद्युत् बिल

*20--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री राम सजीवन--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगारी नेवादा ब्लाक पिंडारा, जिला वाराणसी में 33 की विद्युत लाइन से 33/440 का ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत सप्लाई की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसी ट्रांसफार्मर से अग्रवाल शीतगृह को विद्युत सप्लाई होती रही है जिसका लाखों रुपये का विद्युत बिल का बकाया आज तक कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से वसूल नहीं किया गया ? यदि हां, तो

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

क्यों और बकाया कितने लाख का है ? उसकी वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, मंगारी नेवादा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में 33 के0 बी0 विद्युत लाइन के 33/0.4 के0 वी0 ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा अग्रवाल शीतगृह को भी इसी ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति होती है ।

अग्रवाल शीतगृह के ऊपर माह मार्च, 1985 के अन्त में रु0 67,361.24 का बकाया था जो बढ़कर मई, 85 के अन्त तक रु0 1,78,105.46 हो गया था, जिसकी वसूली हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 31-5-85 को मांग-पत्र एवं विद्युत विच्छेदन करने की नोटिस उपभोक्ता के पास भेजी गई परिणामस्वरूप उपभोक्ता ने दिनांक 12-6-85 को रु0 1,00,000 (एक लाख) तथा दिनांक 22-6-85 को रु0 40,000 का भुगतान किया एवं रु0 15850 का पिछले वर्षों के न्यूनतम चार्ज का समायोजन किया गया है तथा रु0 17,230 चेक मीटर रिपोर्ट के आधार पर समायोजित हुआ इस प्रकार कुल रु0 1,73,080 का भुगतान प्राप्त हो गया है । वर्तमान समय में उपभोक्ता के ऊपर कुल रु0 5025.46 मात्र का बकाया है, जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

1—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

2—श्री राम सागर—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद के गांवों में आग लगने की घटनाएं

3—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1985 में 31 मार्च तक किन-किन गांवों में आग लगी तथा आग लगने से कितने का नुकसान हुआ और किन-किन प्रभावितों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उल्लिखित अवधि में कुल 240 ग्रामों में आग लगी तथा आग लगने से रु0 17,17,572 का अनुमानित नुकसान हुआ और 399 प्रभावितों को रु0 1,09,525 की सहायता प्रदान की गयी । उक्त के विवरणों की सूची लम्बी है और सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । अतः माननीय सदस्य माननीय राजस्व मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में किसी भी समय देख सकते हैं ।

राज्य विद्युत परिषद्, फैजाबाद के अधीक्षण अभियन्ता की कार का मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

4—श्री कृष्ण कुमार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष 84-85 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, फैजाबाद के अधीक्षण अभियन्ता ने अपनी सरकारी एम्बेसडर कार नं0 यू0 पी0 एस0 3596 पर कितना मरम्मत तथा दौरे पर व्यय किया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

पिछले वित्तीय वर्ष 84-85 में फैजाबाद के अधीक्षण अभियन्ता की प्रश्नगत कार पर रु0 14,722.58 मरम्मत पर तथा रु0 13,869.65 दौरे पर (पेट्रोल एवं मोबिल आयल हेतु) व्यय किया गया है ।

फैजाबाद सोहावल, विद्युत गृह की बन्दी

5—श्री कृष्ण कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोहावल तापीय विद्युत गृह फैजाबाद को अन्तिम रूप से बन्द करने

या चलाने की क्या योजना है ? गत वर्ष इस पर उत्पादन व्यय तथा उत्पादन क्या रहा ? क्या सरकार लाभ हानि का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

सोहावल तापीय विद्युत गृह को अन्तिम रूप से बन्द कर दिया गया है । वर्ष 1984-85 के दौरान सोहावल तापीय विद्युतगृह पर 64,44,981 यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ तथा उस पर प्रशासनिक व्यय सम्मिलित न करने पर भी रु0 1,14,03,463.66 का व्यय हुआ । वर्ष 1984-85 में लगभग रु0 89.27 लाख की हानि हुई (ब्योरा संलग्न है) ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 97 पर ।)

गोरखपुर सहायक निबन्धक कार्यालय द्वारा ली गयी किराये पर जीप

6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर के सहायक निबंधक कार्यालय द्वारा जीप नं0 यू0 टी0 ए0 3383 को किराये पर जुलाई, 1984 से लगातार लिया गया है, जबकि विभागीय जीप मौजूद है ? यदि हां, तो इस जीप को किराये पर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इस पर इस अवधि में कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

विभागीय जीप के खराब होने, मरम्मत में रहने, सामान्य निर्वाचन में चले जाने आदि कारणों से तथा सहकारी देयों की वसूली के साथ-साथ अन्य विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु जीप सं0-यू0 टी0 ए0 3383 जुलाई, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक विभिन्न तिथियों में कुल 29 दिन किराये पर चलाई गई हैं । दिनांक 21 जनवरी, 1985 से उक्त जीप ऋण वसूली अभियान में किराये पर चलाई गई है । जीप के किराये की मद में रु0 7,240.00 तथा ईंधन के मद में रु0 4,329.67 व्यय किया गया है ।

जिला सहकारी बैंक, मथुरा के कर्मचारियों की अनियमित प्रोन्नति

7--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 11-4-1985 को मुख्य मंत्री को मथुरा सहकारी बैंक के कर्मचारियों की प्रोन्नति में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन किया था ? यदि हां, तो शासन ने अनियमितताओं को रोकने के लिए तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-4-1985 का नहीं अपितु 9-4-1985 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मथुरा के कर्मचारियों की प्रोन्नति में की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख था । उक्त प्रतिवेदन की जांच जिला सहायक निबन्धक, मथुरा से कराई गई जिसके अनुसार तीन कर्मचारियों सर्वश्री बृजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, हरप्रसाद शर्मा तथा राम सहाय सिंह वर्मा के प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी । इनमें से सर्वश्री बृजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी तथा हर प्रसाद शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । जिला सहायक निबन्धक, मथुरा के जांच प्रतिवेदन को उप निबन्धक, सहकारी समितियां, आगरा को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है ।

8--श्री सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह, श्री जगवीर सिंह, तथा श्री लक्ष्मी नारायण--

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

राज्य विद्युत् परिषद् के प्रशिक्षण प्राप्त लिपिकों की नियुक्ति की मांग

9--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा लगभग 200 अप्रेन्टिस लिपिकों को एक साल (दिनांक 16-7-1981 से 15-7-1982 तक) प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सेवा से पृथक् कर दिया गया ? क्या यह सही है कि विद्युत् परिषद् में लगभग 300 लिपिकों के स्थान रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्तियों पर इन प्रशिक्षित लिपिकों को नियुक्त न करने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अप्रेन्टिस महासंघ के मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री तथा अध्यक्ष विद्युत् परिषद् को दिनांक 18-8-1982 तथा दिनांक 18-9-1982 को पत्र दिए गए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, 438 अप्रेन्टिस लिपिकों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया था एवं एक वर्ष का प्रशिक्षण काल समाप्त होने पर शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में निहित नियमानुसार उन्हें प्रशिक्षण से पृथक् कर दिया गया।

परिषद् के अधीन वर्तमान समय में वैनिक श्रेणी लिपिकों के 344 पद रिक्त हैं। शिशिक्षु नियमों में प्रशिक्षण के उपरान्त स्वतः सेवा में लेने का कोई प्राविधान नहीं है। परिषद् द्वारा अपने तत्सम्बन्धी विनियमों के अन्तर्गत नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अप्रेन्टिस महासंघ का दिनांक 18-8-1982 का पत्र प्राप्त हुआ किन्तु उपरोक्त कारणों से उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी।

फैजाबाद जिले की गुवांवा जमालपुर एवं गोहन्ना के प्रधानों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

10--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के परगना अधिकारी को सभी स्तरों से संस्तुति होकर ग्राम सभा गुवांवा जमालपुर व ग्राम सभा गोहन्ना के प्रधानों के विरुद्ध जालसाजी अनियमितता का कार्य करने के आरोपों के साथ पत्रावली गत 4 माह पूर्व प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन प्रधानों के विरुद्ध मुख्य आरोप क्या-क्या है ? अब तक उनकी पत्रावलियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रधान गांव सभा गुवांवा जमालपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध जांच रिपोर्ट तहसीलदार ने दिनांक 6-2-1985 को परगनाधिकारी को प्रेषित किया। प्रधान के विरुद्ध मुख्य आरोप आवास स्थल आवंटियों को प्रमाण पत्र (ज0 वि0 49 घ) न जारी करना, कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, आवंटियों के पात्रता के बारे में गलत बयान करना, गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करा देना तथा तालाब का अनियमित रूप से नीलाम करना है। प्रधान को परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 2-4-1985 को निलम्बित कर दिया गया है तथा उसे आरोप पत्र भी दिया गया है जिसका उत्तर प्रधान ने दिनांक 15-5-1982 को परगनाधिकारी को दे दिया है।

प्रधान ग्राम सभा गोहन्ना, जिला फैजाबाद के विरुद्ध तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 11-2-1985 को परगनाधिकारी को प्रेषित की गई। प्रधान के विरुद्ध मुख्य आरोप बिना

परगनाधिकारी की स्वीकृति से अपने बड़े भाई के पक्ष में बचत भूमि का पट्टा आवास हेतु देना, मु0 सकीना से अवैध धन रुपया 40 लेकर आवास हेतु मौखिक रूप से गांव समाज भूमि पर अवैध कब्जा कराना, सहाबुद्दीन से रु0 450 अपनी मौजूदगी में अपने साथी को प्राप्त कराकर अवैध भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करना, कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव, दिनांक 1-4-1985 में वस्तविक अवंटी का नाम मिटाकर अपने भतीजे व एक अन्य का नाम लिखवाना तथा परगनाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना है। परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 15-3-1985 को प्रधान के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया है जिसका उत्तर प्रधान ने दिनांक 2-4-1985 को प्रस्तुत कर दिया है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, श्री हरिश्चन्द्र त्रिवेदी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

11—श्री औसान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरिश्चन्द्र त्रिवेदी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फर्रुखाबाद के भ्रष्टाचार की जांच श्री जे0 के0 सिंबल, उप संचालक, चकबन्दी द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, जांच रिपोर्ट में कथित शिकायतों के बारे में, संयुक्त संचालक से प्राप्त आख्या के आधार पर श्री हरिश्चन्द्र त्रिवेदी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का मामला शासन में विचाराधीन है।

मेसर्स रायसन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जनकपुर, अलीगढ़ का विद्युत् कनेक्शन

12—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स रायसन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जनकपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ के नाम दिनांक 7-7-81 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड (तृतीय) अलीगढ़ के द्वारा 70 हा0 पा0 का विद्युत् कनेक्शन स्वीकृत हुआ था किन्तु अभी तक उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह कनेक्शन कब तक चालू कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मेसर्स रायसन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, जनकपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ के नाम 70 हार्स पावर का विद्युत् कनेक्शन उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ द्वारा दिनांक 7-7-81 को स्वीकृत किया गया था।

उपभोक्ता राजकीय नलकूप की एल0 टी0 लाइन से अपने कनेक्शन को लाइन लेना चाह रहा था, किन्तु नियमानुसार राजकीय नलकूप से किसी अन्य उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है इसलिए उपभोक्ता का प्राक्कलन ग्रामीण फीडर से बनाया गया था किन्तु उपभोक्ता ने इस प्राक्कलन का भुगतान नहीं किया। अतः उपभोक्ता को विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात् 1984 में इंडस्ट्रियल स्टेट की लाइन बन जाने पर उपभोक्ता ने अब इस लाइन से कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया। अतः सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़ की अनुमति प्राप्त करके इस लाइन से कनेक्शन देने हेतु 36,893 रु0 का एक प्राक्कलन उपभोक्ता के पास दिनांक 20-4-85 को भेजा गया है, किन्तु उपभोक्ता ने इस प्राक्कलन का भी अब तक भुगतान नहीं किया है तथा अन्य औपचारिकतायें भी पूरी नहीं की हैं। अतः इन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। उपभोक्ता द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर ही उसे विद्युत् कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश की सिविल सेवा की कोचिंग कक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का प्रवेश

13—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश की सिविल सेवा के लिए परीक्षा के पूर्व की कोचिंग कक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या प्रवेश की सामर्थता के मुकाबले बहुत कम रहती है ? यदि हां, तो इस कमी का क्या कारण है ? वर्ष 1980 से अब तक (वर्ष-वाइज) प्रवेशित समर्थता व प्रवेशित संख्या बताते हुए उस पर वर्ष-वाइज किया गया व्यय व परीक्षाओं में बैठे छात्रों की संख्या तथा अन्ततः राज्य सेवा में चुने गए अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, इसका कारण यह है कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त होते हैं।

वर्ष 1980 से अब तक की वांछित सूचना निम्नवत् है :—

वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या	वर्षवार व्यय रुपये लाखों में	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1979-80	50	30	1,50	30	शून्य
1980-81	50	30	2,67	30	शून्य
1981-82	50	30	1,67	30	शून्य
1982-83	50	30	2,05	30	शून्य
1983-84	50	30	2,50	30	शून्य
1984-85	50	30	2,50	30	शून्य
1985-86	50	22	..	..	..

पौड़ी-गढ़वाल के ग्राम खोन में पटवारी चौकी की स्थापना की मांग

14—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खंड कोट के ग्राम खोन के नाम से स्वीकृत पटवारी चौकी अभी तक स्वीकृत स्थान पर स्थापित नहीं की गई है और पटवारी द्वारा यह चौकी विकास खंड पौड़ी के स्थान घुसगली में स्थापित की गई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस चौकी को स्वीकृत स्थान, खोन में कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जिलों में सूखा एवं भू-राजस्व का स्थगन तथा सहायता परामर्शदात्री समितियों का गठन

15—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 1985-86 में आठों पर्वतीय जिले भयंकर सूखे से पीड़ित हैं ? सूखा-पीड़ितों को राहत देने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, सूखा पीड़ितों को राहत देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

1—पर्वतीय जनपदों के जिलाधिकारियों को राहत कार्यों हेतु शासन द्वारा दैवी आपदा राहत बजट से निम्नलिखित धनराशियां आबंटित की गईं :—

जनपद	धनराशि (लाख रु0 में)
1—नैनीताल	25.75
2—अल्मोड़ा	20.15
3—पिथौरागढ़	20.15
4—चमोली	20.15
5—उत्तरकाशी	20.15
6—गढ़वाल	20.15
7—टिहरी-गढ़वाल	20.15
8—देहरादून	19.15

2—पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों, पाइप लाइन व खच्चरों आदि से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी गयी ।

3—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशियां जिलों को उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी गयी :—

जनपद	धनराशि (लाख रु0 में) रा0ग्रा0रो0 यो0 के अन्तर्गत	ग्रा0भू0 रो0 ग्रा0 यो0 के अन्तर्गत
1	2	3
1—नैनीताल	50.00	40.00
2—अल्मोड़ा	58.00	40.00
3—पिथौरागढ़	45.00	50.00
4—चमोली	16.00	35.00
5—उत्तरकाशी	13.00	15.00
6—गढ़वाल	25.00	20.00
7—टिहरी-गढ़वाल	25 00	35.00
8—देहरादून	30.00	35.00
योग ..	262.00	270.00

4—पशुओं के चारे व भूसे की व्यवस्था करायी गयी ।

5—पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गयी ।

6—विद्युत आपूर्ति यथा-सम्भव सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करायी गयी ।

7—नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जनपद को छोड़कर शेष सभी 6 पर्वतीय जिलों के 50% से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-1985 तक के लिए स्थगित की जा चुकी है ।

8—मानव/पशु के स्वास्थ्य व चिकित्सा हेतु आवश्यक प्रबन्ध की व्यवस्था करायी गयी ।

16--श्री पूरन सिंह--

क्या सरकार सूखाग्रस्त इलाके में ऋण वसूली स्थगित करने जा रही हैं तथा सूखाग्रस्त इलाकों को शीघ्र राहत कार्य पहुंचाने हेतु जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की समितियों का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जनपद को छोड़कर शेष सभी 6 पर्वतीय जिलों के 50% से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की भूराजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-1985 तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। स्थायी निर्देशों के अन्तर्गत समस्त जनपदों में सूखा सहायता परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है, जिनमें जन-प्रतिनिधियों व समस्त सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं।

उन्नाव जिले के ग्राम बारी खेड़ा के श्री राम औतार द्वारा चक पर अनधिकृत कब्जा

17--श्री शारदा प्रताप--

अष्टम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1 ले शुक्र के अता0 प्र0 सं0 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बारी खेड़ा, परगना गोरिन्दा परसन्दन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में राम औतार के चक के उत्तर भूमि न0 210 पर राम औतार के अनाधिकृत कब्जे के विरुद्ध तहसीलदार हसनगंज के न्यायालय में कब वाद दायर किया गया था तथा कब उन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर राम औतार का 4 विस्वा से अधिक अनाधिकृत कब्जा अभी भी है ? यदि हां, तो कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्राप्त सूचना के अनुसार गाटा सं0 210 के 4 विस्वा क्षेत्रफल से श्री राम औतार को बेदखल कर दिया गया था, किन्तु 1 बिस्वा 15 विस्वांसी पर अब भी उसका कब्जा है जिससे उनकी बेदखली के लिए दिनांक 6-9-1984 को तहसीलदार हसनगंज के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है जो विचाराधीन है।

तहसील बिलग्राम, हरदोई के चपरासी श्री मो0 शफी का शिकायती-पत्र

18--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 शफी खां, चपरासी तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई ने अपने पद के प्रत्यावर्तन एवं प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में जनवरी, 1980 से अगस्त, 1984 तक लगभग 12 प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई शासन, कमिश्नर एवं राजस्व परिषद् में दिये थे ? यदि हां, तो उन पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण रहा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं। श्री मो0 शफी ने दिनांक 16-1-1981 को तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक एवं नाजिर सदर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिया था। जो कार्यालय अधीक्षक की मृत्यु एवं नाजिर के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

कलेक्ट्रेट, हरदोई के बस्ताबरदार श्री कृष्ण एवं श्री राम स्वरूप की नियुक्ति तथा श्री मो0 शफी को चपरासी पद पर पदावनति

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्ट्रेट हरदोई में कार्यरत बस्ताबरदार श्रीकृष्ण एवं सेवा-

निवृत्ति राम स्वरूप तथा मो0 शफी दफ्तरी को उनके पदों पर किस आदेश से अपने पद पर दिनांक 2 नवम्बर, 1979 को स्थायी किये गये थे ? क्या मंत्री जी उक्त आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद हरदोई के अभिलेखालय में सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप बस्ताबरदार के दो पद रिक्त हुये थे, जिन पर वरिष्ठतम चपरासी सर्वश्री रामस्वरूप एवं श्री कृष्ण को नियुक्ति जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 1979 द्वारा की गई थी ।

श्री मो0 शकी खां को इस पद के लिए अयोग्य पाया गया क्योंकि उनके विरुद्ध थाना बिलग्राम में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज हुआ था ।

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मो0 शफी चपरासी वर्ष 1977 से लगातार दफ्तरी के पद पर कार्य करता रहा और वेतन भी प्राप्त करता रहा है ? यदि हां, तो दफ्तरी के पद का वेतन किसके आदेश से आहरित किया गया तथा वह आदेश क्या है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति को उक्त अवधि में बिना किसी आदेश के दफ्तरी से चपरासी तथा चपरासी से दफ्तरी बनाया गया है और वेतन आहरित करके गम्भीर अनियमितताये की गयी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, इस जनपद के स्थायी दफ्तरी श्री मो0 नबी खां के बीमार हो जाने एवं अवकाश पर चले जाने के कारण श्री मो0 शफी खां को नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त, 1978 को दफ्तरी के पद पर की गई थी, जिस पद पर श्री खां दिनांक 20 नवम्बर, 1979 तक कार्यरत रहे । दिनांक 20 नवम्बर, 1979 को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक मुकदमा की कार्यवाही शिनाख्त समाप्त होने के बाद सामान को सील करते समय श्री मो0 शफी खां ने एक रिस्ट वाच चुरा ली, इस कारण दिनांक 20 नवम्बर, 1979 को श्री खां को दफ्तरी के पद से हटाकर चपरासी के पद पर नियुक्त कर दिया गया जहां वे वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं ।

हरदोई जिले के ग्राम पुरबायां के श्री राजाराम वर्मा का चकबन्दी से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

21—श्री रामआसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 78 के 1ले शुक्र के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0—52 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी में बरती गयी अनियमितताओं के शुद्धिकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा वह कब की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा परिक्षेत्र, विद्युत् विभाग के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जाँच रिपोर्ट

22—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें मंगलवार के निर्धारित अता0 प्र0 सं0—108 के द्वारा उत्तर के संदर्भ में विभागीय सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट क्या है और क्या विभाग ने इस जांच रिपोर्ट के

संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

आगरा परिक्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता एवं अन्य के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों पर जांच करायी गयी :--

(1) मेसर्स तुलसी टाकीज को 25 हार्स पावर का कनेक्शन अनुचित धनराशि लेकर अन्य उपभोक्ताओं से पहले देना, स्टीमेट कम बनाना एवं खराब मीटर लगाकर परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाना ।

(2) मेसर्स पी0 के0 साल्वेन्ट, आगरा को कनेक्शन अनुचित धनराशि लेकर समय से पूर्व ही जोड़ देना ।

(3) आगरा परिक्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सर्वश्री गुरु सरन दास, महताब खां एवं मेसर्स महावीर आयरन फाउन्डेशन, आगरा से अनुचित धनराशि लेने के बाद कनेक्शन देना एवं आगरा शहर में बहुत से ट्रांसफार्मर जल जाने के फलस्वरूप परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाना ।

जांच के फलस्वरूप किसी के विरुद्ध अनुचित धनराशि लेने का आरोप सिद्ध नहीं पाये गये परन्तु सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच के निष्कर्ष के अनुसार सर्वश्री पी0 के0 गोयल, मुख्य क्षत्रीय अभियन्ता ए0 एन0 गुप्ता एवं ए0 एन0 गुप्ता एवं ए0 सी0 भार्गव अधिशासी अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गयी थी । जांच रिपोर्ट पर मुख्य अभियन्ता (वितरण) की अनुशंसा प्राप्त की गयी और साथ ही सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के अनुसार जनपद आगरा में ट्रान्सफार्मर जलने की जांच भी उनसे कराई गयी तथा यह पाया गया कि श्री गोयल किसी भी जिम्मेदारी के लिए सीधे दोषी नहीं हैं परन्तु उनका आचरण बिलकुल साफ नहीं पाया गया । जिसके लिए उनको परिषद् की अप्रसन्नता से अवगत कराया गया । जहां तक सर्वश्री ए0 एन0 गुप्ता एवं ए0 सी0 भार्गव से सम्बन्धित आरोपों का सम्बन्ध है, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) की आख्या के परीक्षण के उपरान्त किसी के विरुद्ध उक्त आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जमालपुर भेलखरा तप्पा फरिहा की चकबन्दी में रास्ता एवं खलिहान हेतु भूमि

23--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमालपुर भेलखरा तप्पा फरीहा, परगना, निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ चकबन्दी क्षेत्र संख्या-9 आराजी नं0 224, 226 में सुरक्षित आबादी तथा आराजी नं0-17 लगायत 224 तक रास्ता तथा आराजी नं0 112, 165 व 212 में बचत भूमि खलिहान हेतु नियमानुसार सुरक्षित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम जमालपुर भेलखरा तप्पा फरिहा, परगना निजामाबाद, तहसील-सदर, जिला आजमगढ़, सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र 9 के क्षेत्र का ग्राम है । इस ग्राम में वर्तमान समय में गाटा संख्या 224 मि0 280 सार्वजनिक आबादी हेतु सुरक्षित है । गाटा 226 में आबादी हेतु भूमि सुरक्षित नहीं है । गाटा संख्या 17 से नहीं बल्कि गाटा 165 से 224 तक इस समय रास्ता हेतु सुरक्षित है । गाटा 112, 165, 212 में वर्तमान समय में बचत भूमि अथवा खलिहान हेतु सुरक्षित नहीं है ।

लखनऊ के ग्राम देव सिंह खेड़ा, मजरा मोहारी कलां में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध कब्जा

24--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम देव सिंह

खेड़ा (मोहारीकलां) में पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु वर्ष 1982–83 के चकबन्दी के दौरान चकबन्दी विभाग द्वारा चक नं0 190 में 2 बिस्वा, चक नं0 191/1 में से 15 बिस्वा 15 बिस्वांसी और चक नं0 185 में से 5 विस्वांसी तथा चक नं0 186 में से एक बिस्वा छोड़ी गयी जमीन पर पशु चिकित्सालय के बजाय किसी व्यक्तिगत पार्टी का कब्जा बना हुआ है ? यदि हां, तो कब्जे को हटाकर पशु चिकित्सालय का शीघ्र निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जी नहीं ।

ग्राम देव सिंह खेड़ा मजरा मोहारी कलां के चक संख्या–190 में 2 बिस्वा, 191/1 में से 15 बिस्वा 15 बिस्वांसी, 185 में से 5 विस्वांसी तथा 186 में से 1 बिस्वा भूमि पशु चिकित्सालय के लिये नहीं छोड़ी गई थी अपितु गाटा संख्या 175 स/0–2–5, 176 स/0–9–0, 185 स/0–1–5, 190 स/0–0–2–0, 191/1 स0/0–15–0, 191/2स0/0–0–15, कुल 1–10–5 भूमि पशु चिकित्सालय हेतु छोड़ी गई थी । इस भूमि के 0–0–17 क्षेत्रफल पर श्री चन्द्रपाल पुत्र जदूदू ने अवैधानिक रूप से मकान बना लिया है । इस अवैधानिक कब्जे को हटाने के लिये जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जा रही है ।

9065

शाहजहांपुर का रौजा तापीय विद्युत् गृह

25––श्री सिकन्दर अली खां नवाब––

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 44 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की प्रकृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में स्तावित रौजा तापीय परियोजना को सार्थक एवं तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय साधिकरण एवं योजना आयोग, भारत अरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो केगा ?

श्री सुनील शास्त्री––

रौजा तापीय विद्युत् गृह (जनपद शाहजहांपुर) की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी है । अतः सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के विद्युत् वितरण खंड प्रथम में अपने गृह जनपद में नियुक्त अवर अभियन्ता

26––श्री सूर्य प्रताप शाही––

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में विद्युत् विभाग के अन्तर्गत विद्युत् वितरण खंड प्रथम में अपने गृह जिले में कितने अवर अभियन्ता वित्तीय वर्ष 1980 से 1985 की अवधि में निरन्तर कार्यरत हैं ? क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् ने कोई ऐसा आदेश निर्गत किया था कि अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति उनके गृह जिलों में नहीं होगी ? यदि हां, तो देवरिया जिले के विद्युत् विभाग के अन्तर्गत विद्युत् वितरण खंड प्रथम में 6 वर्षों से अधिक कार्यरत विद्युत् अवर अभियन्ताओं को जो अपने गृह जिले में नियुक्त हैं कब तक स्थानान्तरित करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री––

देवरिया जनपद के विद्युत् वितरण खंड प्रथम, देवरिया में एक अवर अभियन्ता वर्ष 1980 से 1985 की अवधि में निरन्तर कार्यरत है ।

जी हां ।

उक्त अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश किये जा चुके हैं ।

बस्ती के ग्राम चेइसर के श्री रणधीर सिंह का प्रार्थना–पत्र

27 –श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रणधीर सिंह, ग्राम चेइसार, तहसील डुमरियागंज, डा0 सगरा, जिला बस्ती का कोई प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्ता के

पत्र, दिनांक 27 फरवरी, 1984 के साथ मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या एम0/1448/स.0 एम0-2-84, दिनांक 2 अप्रैल, 1984 द्वारा मुख्य मन्त्री कार्यालय से प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया गया कि प्रार्थना-पत्र तथा प्रश्नकर्ता का पत्र मूल रूप में यथोचित कार्यवाही हेतु सचिव, ऊर्जा विभाग को भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थना-पत्र एवं प्रश्नकर्ता के पत्र पर ऊर्जा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सन्दर्भित पत्र ऊर्जा विभाग के किसी भी अनुभाग में उपलब्ध नहीं है ।

बस्ती जिले की ग्राम सभा महदूपार तथा ग्राम सभा बढ़या के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

28—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-9-83 के साथ ग्राम सभा महदूपार तथा ग्राम सभा बढ़या, विकास खंड सांथा, जिला बस्ती के प्रधानों का संयुक्त प्रार्थना पत्र उपरोक्त गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के ग्राम जंगल बेलहर की चकबन्दी

29—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 20-10-83 आयुक्त चकबन्दी, उ0 प्र0 शासन को बावत ग्राम बेलहर जंगल तहसील बांसी, जनपद बस्ती की भूमि को चकबन्दी कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ? चकबन्दी कराये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय क्या हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम जंगल बेलहर, तहसील बांसी, जिला बस्ती में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी की आख्या के आधार पर उक्त ग्राम का चकबन्दी अधिनियम की धारा 4:2 के अन्तर्गत प्रकाशन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त प्रकाशन के उपरान्त ग्राम में चकबन्दी कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

बस्ती जिले के ग्राम बलवा लमुनही के पट्टों का अमलदरामद

30—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 2रे शुक्र के अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब पट्टी के अमल दरामद को निरस्त करने की कार्यवाही जांचोपरान्त शासन के निर्देशानुसार चलायी जा रही है तब फिर ग्राम बेलवा लगुनहीं में उन्हें फर्जी अमलदरामद के आधार पर फार्म 45 किस आधार पर बांटा गया ? क्या सरकार इसे तुरन्त निरस्त करने का आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सही नहीं है कि ग्राम बेलवा लगुनही, जिला बस्ती के पट्टों के अमलदरामद निरस्त किये जाने की कार्यवाही के दौरान आकार पत्र 45 का वितरण किया गया ।

वास्तविक स्थिति यह कि उक्त ग्राम के पट्टों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) संदर्भ में दिनांक 11-8-83 को भेजा गया जबकि आकार पत्र का वितरण दिनांक 14-1-83 से 24-2-83 के बीच किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-7-84 के परिपालन में धारा 48 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित कर दी गई है । माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के निरस्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

बस्ती जिले के ग्राम साहू खिरिया की चकबन्दी

श्री मिर्जा मोहम्मद सईद का बस्ती जिले के चकबन्दी अधिकारी, श्री ईश्वर भगत लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी का निलम्बन

31--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 2रे शुक्र के अता० प्र० स० 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बस्ती ने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मामले की विस्तृत जांच पूरी करके उत्तरदायित्व निर्धारित किया ? यदि हां, तो कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, जांच में सर्व श्री मिर्जा मोहम्मद सईद, चकबन्दी अधिकारी, ईश्वर भगत लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा सीताराम दुबे, लिपिक को दोषी पाया गया । श्री सीताराम दुबे, लिपिक को निलम्बित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । श्री सईद, चकबन्दी अधिकारी तथा श्री ईश्वर भगत लाल, स० च० अ० के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

32--श्री विवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि मौजा साहूखिरिया, तहसील बांसी, जनपद बस्ती के धारा 52 का प्रकाशन चकबन्दी विभाग द्वारा अप्रैल/मई, 1981 में दिखलाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस मौजे के कागजात तहसील को भेज दिये गए ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि धारा 52 का प्रकाशन फर्जी दिखाया गया है जबकि उसके कागजात अभी तैयार नहीं है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह सही है कि ग्राम साहू खिरिया, तहसील बांसी, जिला बस्ती का धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन माह अप्रैल, 1981 में हो गया है । इस ग्राम के कागजात तहसील नहीं भेजे गये हैं । क्योंकि ग्राम के आकार पत्र 23 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो जाने के कारण अभिलेखों की जांच पूरी नहीं हो सकी । धारा 27 के अन्तर्गत अभिलेख पूरे कराये जा रहे हैं तथा आकार पत्र-23 के पुनः निर्माण के आदेश दे दिये गए हैं जिसके पूरे होते ही यथाशीघ्र अभिलेख तहसील व अभिलेखागार में भेज दिये जायेंगे ।

जिला सैनिक परिषदों के विश्रामगृहों में अनधिकृत कब्जा

33--कर्नल केशरी सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के स्पष्ट आदेशों के विपरीत प्रदेश के किन-किन जिला सैनिक परिषदों के सैनिक विश्राम गृहों में पिछले एक वर्ष से अनधिकृत लोग निवास कर रहें हैं ? उनसे विश्राम गृहों को खाली कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की की गयी तथा उन पर विश्राम गृहों का कितना किराया बकाया है और उसे

वसूलने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला सैनिक परिषदों के विश्रामगृहों में पिछले एक वर्ष से निवास कर रहे अनधिकृत व्यक्तियों तथा उन पर विश्राम गृहों के बकाया किराया के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

सैनिक कल्याण उत्तर प्रदेश के निदेशक का वेतन

34--कर्नल केशरी सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि तत्कालीन निदेशक, सैनिक कल्याण उत्तर प्रदेश ने अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक प्रदेश की सेवा में रहते हुए अवकाश लेकर टाटा इन्जीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर (बिहार) में भी सेवा की है एवं दोनों जगहों से वेतन प्राप्त किया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित वेतन आहरण के लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है। क्या उनसे प्रदेश सरकार से प्राप्त किया गया धन/वेतन वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस संबंध में जांच की जा रही है।

बस्ती जिले के चंवरताल में जल भराव एवं बाढ़

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में ताल चंवर में जल भराव एवं बाढ़ के कारण गत वर्ष लगभग 16 गांव चारों तरफ पानी से घिर गए थे जिनमें आना-जाना कठिन हो गया था ? यदि हां, तो इन ग्रामों में सरकार की तरफ से कौन-कौन से राहत कार्य किये गये ? क्या इन ग्रामों में नावों की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। इन ग्रामों में आने जाने के लिये कुल 12 नावें लगायी गयी थीं। राहत सामग्री के रूप में इन गांवों में कुल 193·69 कुन्तल गेहूं, 11,300 कुन्तल नमक, 1211 अदद माचिस तथा 2286 लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया था। ग्राम गोनहा ताल एवं बढ़तर घाट के घाट पर नावों की गैर सरकारी व्यवस्था है जो बाढ़ के दिनों में इन गांवों में लगाई जाती है। प्रभावित ग्रामों से सम्बन्धित ग्राम सभायें नावें क्रय करने में सक्षम नहीं हैं।

उप निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ के सहकारी निरीक्षक का कार्यकाल

36--श्री हफीज भारती--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उप निबंधक, सहकारी समितियां, लखनऊ के कार्यालय में ऐसे कितने सहकारी निरीक्षक हैं जो कि विगत 3 वर्ष या अधिक समय से जनपद लखनऊ में कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी निरीक्षकों के स्थानान्तरण जनपद लखनऊ के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

उप निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ के कार्यालय में केवल एक निरीक्षक 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

विभागीय नीति के अनुसार सहकारी निरीक्षक, एक स्थान में सामान्यतया कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक कार्यरत रह सकता है। उपर्युक्त निरीक्षक की कार्यावधि 5 वर्ष से कम है। अतः स्थानांतरण करने का कोई औचित्य नहीं है।

विकास खंड स्यालदे साल्ट भिक्यासैण ताड़ीखेत, चौखटिया द्वार-हाट में सूखा

37--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील के वि0 खं0 स्यालदे साल्ट भिक्यासैण, ताड़ीखेत चौखटिया द्वारहाट (अल्मोड़ा) में वर्ष 1984 की खरीफ की फसल अनावृष्टि से सूखी पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या-क्या राहत कार्य चलाये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

38---श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानातरित]

चोला, पौड़ीगढ़वाल, ज्योतिपुरम, उत्तर काशी, खोदरी, देहरादून के विद्युतगृहों में मस्टर रोल के कर्मचारी

39--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे के चोला (पौड़ी गढ़वाल) ज्योतिपुरम (उत्तरकाशी) एवं खोदरी (जिला देहरादून) विद्युत गृहों में मस्टर रोल में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार 30 जून, 84 तक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

30 जून, 1984 तक चोला (पौड़ी गढ़वाल) परियोजना में 18 स्थानीय व्यक्तियों को, ज्योतिपुरम (उत्तरकाशी) में 41 स्थानीय व्यक्तियों को तथा 37 अन्य निकटवर्ती (पौड़ी/टिहरी एवं देहरादून) पहाड़ी जिलों के व्यक्तियों को एवं खोदरी (देहरादून) विद्युत गृह में 49 स्थानीय लोगों को मस्टर रोल में रोजगार दिया गया है ।

विद्युत जनन खंड, डाक पत्थर, देहरादून के तांबे के स्क्रेप की कथित नीलामी

40- श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22-9-83 को जल विद्युत जनन खंड, डाक पत्थर, देहरादून के गोदाम से जो तांबे का स्क्रेप नीलाम हुआ था उससे अधिक मात्रा में तांबा गोदाम से किसने निकाला तथा इसकी रिपोर्ट किसने सहसपुर थाने में दर्ज कराई ? जिन अधिकारियों के कारण यह अधिक तांबा गोदाम से निकाला गया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और जांच के दौरान क्या वे इसी खंड में बने हुये है या अन्यत्र उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं । विद्युत् जनन खंड, डाक पत्थर, देहरादून के गोदाम से दिनांक 22-9-83 को तांबे का कोई स्क्रेप नीलाम नहीं हुआ । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कोटद्वार को जिला बनाये जाने की मांग

41--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जग मोहन प्रसाद भारद्वाज, संयोजक, गढ़वाल समानान्तर कांग्रेस (ई) कमेटी, गढ़वाल ने कोटद्वार को जिला बनाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन 1984 में मुख्य मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । वित्तीय संसाधनों के अभाव में कोटद्वार को जिला बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

अल्मोड़ा जिले की निराश्रित महिलाएं एवं पेंशन

42--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-5-85 को अल्मोड़ा जनपद में विकास खंडवार कुल कितनी निराश्रित महिलायें हैं ? इनमें से कितनों को निराश्रित विधवा पेन्शन या आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल के थारू, बुक्सा जनजति की भूमि की नीलामी

43--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्ष पूर्व नैनीताल जनपद में थारू, बुक्सा आदि जनजातियों के पास क्रमशः कुल कितनी जमीन थी और इन 5 वर्षों में कितनी भूमि क्रमशः बिक्री, नीलाम हो गयी ? सरकार ने इन आदिवासी जनजातियों को स्थानीय सहकारी लघु उद्योगों द्वारा स्वतः रोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विगत 5 वर्ष पूर्व जनपद नैनीताल में थारू जनजाति के लोगों के पास 55,714 एकड़ तथा बोक्सा जनजाति के व्यक्तियों के पास 16,904.96 एकड़ भूमि थी । आलोच्य पांच वर्षों में बुक्सा जनजाति के लोगों की 12-13 एकड़ भूमि की बिक्री हुयी । थारू जनजाति की कोई भूमि बिक्री नहीं हुई । थारू जनजाति की 3 एकड़ भूमि और बुक्सा जनजाति की 6.92 एकड़ भूमि क्रमशः नीलाम हुयी ।

शासन द्वारा जनपद नैनीताल के थारू, बुक्सा जनजातियों के आर्थिक स्थान के लिये खटीमा में एक एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चलाई जा रही है जिसके द्वारा इन जनजातियों के लिये विशेष योजनाएं बना कर सभी विभागों से समन्वय किया जाता है । इन योजनाओं में अन्य योजनाओं के अतिरिक्त बैंकों से ऋण दिलाने की योजना, किराये पर कला उपकरण दिलाने की योजना, शिक्षित आजीविका-विहीनों को स्वरोजगार दिलाने आदि की योजनायें चलायी जा रही हैं । इन योजनाओं में कम से कम 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को देने का लक्ष्य निर्धारित है ।

पट्टी चौगांव, अल्मोड़ा, पट्टी मझेड़ा, गरम पानी पट्टी, नैनीताल में अत्याधिक वर्षा

44--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि 28 जून, 1984 की रात्रि को पट्टी चौगांव (जनपद अल्मोड़ा) तथा पट्टी मझेड़ा और पट्टी गरमपानी (जनपद नैनीताल) में अकस्मात अभूतपूर्व वर्षा के कारण स्थानीय ग्रामवासियों को बहुत आर्थिक हानि हुयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित पटवारियों द्वारा इस हानि का गांववार क्रमशः कितना आकलन कर कब सरकार को प्रेषित किया गया ? सरकार ने पीड़ित परिवारों को गांववार कितनी धनराशि कब क्षतिपूर्ति के रूप में दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

दिनांक 28/29 जून, 1984 की रात्रि में पट्टी चौगांव, तहसील रानीखेत (जनपद अल्मोड़ा) में अत्यधिक वर्षा होने के कारण निम्न गांवों की फसलों को उनके सम्मुख अंकित प्रतिशत की सीमा तक क्षति पहुंची :--

1--ग्राम टूनाकोट, 2 से 14 प्रतिशत तक ।

2--ग्राम तिपोलाखेरा, 2 से 12 प्रतिशत तक ।

3--ग्राम तिपोला, 1 से 4 प्रतिशत तक ।

4—ग्राम डौनी, 1 से 5 प्रतिशत तक ।

5—ग्राम बजेना, 1 से 15 प्रतिशत तक ।

उक्त अल्प क्षति के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है । भूराजस्व में राहत तभी दी जाती है जब फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हो ।

दिनांक 28 जून, 1984 को स्थान गरम पानी पट्टी वारंगल तहसील नैनीताल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण हुई क्षति व वितरित की गई सहायता के विवरण संलग्नक में दिये गये हैं ।

पट्टी मझेड़ा, जनपद नैनीताल में उक्त तिथि को कोई घटना घटित नहीं हुई बताई गई है ।

संलग्नक :—

1—श्री लालदत्त पुत्र केशव दत्त, निवासी गरम पानी के पक्के मकान में काफी दरारें आ गयी हैं तथा पीड़ित को 2,500 रु0 का नुकसान हुआ ।

2—श्री भवन चन्द्र पुत्र श्री केशव दत्त, निवासी गरम पानी का दो मंजिला भवन, एक गौशाला जिसमें एक भैंस व एक बछिया भी थी, दबकर मर गये । पीड़ित को 44,450 रु0 का अनुमानित नुकसान हुआ ।

3—मु0 हीरा देवी पत्नी श्री केशव दत्त, निवासी गरम पानी के मकान में दरार आ गयी जिसके मलवे से क्षति हो गयी है । पीड़ित को 2,000 रु0 की अनुमानित क्षति हुई ।

4—किरायेदार श्री देवी दत्त पुत्र श्री इन्द्रमणि, निवासी गरम पानी का खाने-पीने का सामान तथा चाय पानी के होटल का सभी सामान मलवे से दबकर नष्ट हो गया जिसमें पीड़ित को 6,595 रु0 का नुकसान हुआ ।

5—किरायेदार श्री चिन्तामणि पुत्र श्री मनोरथ, निवासी गरम पानी का खाने पीने का होटल मलवे से दबकर नष्ट हो गया जिसमें उसका 3,195 रु0 का अनुमानित नुकसान हुआ ।

6—किरायेदार श्री मोहन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गरम पानी की हलवाई की दुकान का मलवे से सारा सामान दबकर नष्ट हो गया जिसका 2,000 रु0 का नुकसान हुआ ।

उपरोक्त के अलावा उक्त दुकान में अत्यधिक मलबा आने से निम्नलिखित नौकर मलबे में दब जाने के कारण मर गये :—

1—श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री खयाली राम,

2—श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री तारा दत्त, निवासी ग्राम बल्यालो, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा,

3—श्री जीवन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम धनियाकोट, पट्टी धनियाकोट, तहसील व जिला नैनीताल,

4—श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री हरक सिंह, निवासी ग्राम नौगांव, तहसील रानी खेत ।

उपरोक्त व्यक्तियों में से क्रमांक नं0 2 को (दो सौ) 200 रुपया अहेतुक सहायता एवं 400 रु0 गृह अनुदान एवं क्रमांक नं0 1 व 3 को 200 रु0, 200 रु0 गृह अनुदान एवं क्रमांक नं0 4 से 6 तक को प्रत्येक को (दो सौ) 200 रु0 (दो-दो सौ) अहेतुक सहायता मौके पर भुगतान किया गया । मृतक के परिवारों के वारिसान को (एक-एक हजार रुपया) भुगतान किया गया । मुख्य मंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक परिवार के वारिसान को 2,000 रु0 (दो-दो हजार) सहायता वितरित की गई ।

3--मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल द्वारा क्षेत्र विकास अधिकारी, बेताल घाट के माध्यम से भवन निर्माण हेतु श्री भुवन चन्द्र तिवारी पुत्र श्री केशव दत्त को रु0 3,000 रुपया ऋण अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया ।

45--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा जिले की साधन सहकारी समिति स्यालदे की कथित बिक्री

46--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के वि0 खं0, स्यालदे में अति0 विकास अधिकारी (सहकारिता) ने बावन हजार रु0 साधन सहकारी समिति स्यालदे को बिना आधार, बिना नियम बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अधिकारी के पूर्व कृत्यों का पता लगाते हुए उसे समस्त भ्रष्ट कर्मों हेतु कठोरतम दण्ड देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

इस पदनाम का पद विकास खण्ड में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47-50--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 45 से 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम स्यालदे की भूमि का कटाव

51--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तह0 डीडीहाट में मुवारी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्यालदे की भूमि पिछले 5 वर्षों से लगातार भूस्खलित होती जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी खेतिहर भूमि का नुकसान हो चुका है ? इस हेतु कटाव, घसाव रोकने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, अब तक कुल 28 नाली 9 मुट्ठी भूमि का कटान हो चुका है जो दरिया खुर्द अंकित की गई है । भूमि के कटान को रोकने के लिए भूमि संरक्षण विभाग ने योजनाएं तैयार की हैं जो विचाराधीन हैं ।

52--श्री काशी सिंह ऐरी--

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

अल्मोड़ा जिले के करमी गांव में अतिवृष्टि से हुई मृत्यु

53--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 22/23 जुलाई, 1983 को अल्मोड़ा जनपद के करभी गांव में भीषण वर्षा से जिन 37 (सैंतीस) व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को सहायता देने तथा जिन भवनों को क्षति पहुंची है उनके पुनः निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और करभी क्षेत्र में 23 जुलाई, 1983 से जनवरी, 1984 तक क्या-क्या राहत कार्य किये गये हैं ? इस क्षेत्र में भूगर्भ शास्त्री श्री बाल्दिया ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मृतकों के परिवारों को मुख्य मंत्री कोष से 71,000 रुपये, राजस्व विभाग के दैवी आपदा राहत बजट से 11,000 रुपये की अनुग्रह सहायता तथा 2,800 रुपये की गृह निर्माण सहायता दी गई

है । करभी क्षेत्र में 23 जुलाई, 1983 से जनवरी, 1984 तक निम्नलिखित राहत कार्य किये गये :—

1—ग्राम भंराड़ी से ग्राम करभी तक की टूटी सड़क की मरम्मत की गई ।

2—ग्राम करभी से घटनास्थल तक पैदल जाने का मार्ग निर्माण कराया गया ।

3—मनुष्यों को हैजा निरोधक टीके लगाये गये और बीमार व्यक्तियों का उपचार दिया गया ।

4—शुद्ध पेयजल व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायी गयीं ।

5—रोगी पशुओं का उपचार तथा रोगों के रोकथाम के लिए टीके लगाये गये ।

6—नालों में जमा हुए बोल्डर्स को तोड़ने का कार्य प्रगति पर था ।

7—साइड पर ठेकेदार द्वारा पत्थर और रेत जमा किया गया था ।

8—सुरक्षा दीवार का कार्य प्रगति पर था ।

9—ग्राम तिविलावगड़ से गांसों तक का मार्ग निर्माण कराया गया ।

10—स्थान सरण से बघर तक मार्ग का निर्माण कराया गया ।

11—कर्मी फुलवाड़ी—बदिया कोट मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

12—वृक्ष रोपण तथा दीवालबन्दी का कार्य किया गया ।

13—ग्राम करभी में एक बाढ़ शरणालय तथा 3 पुलों का निर्माण कराया गया ।

भूगर्भ शास्त्री श्री बलदिया ने सरकार को रिपोर्ट दी है जिके आधार पर यू0 पी0 डेस्को से प्रोजेक्ट बनवाने पर विचार पर्वतीय विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

श्री ओ0 एन0 शुक्ल, वित्त अधिकारी भूमि विकास बैंक, का प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

54—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री ओ0 एन0 शुक्ल) वित्त अधिकारी भूमि विकास बैंक ने प्रधान कार्यालय, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध 50 लाख रुपये की अनियमितता करने सम्बन्धी घपले की रिपोर्ट 30 जून, 1984 के आस पास वित्त सचिव को दी थी ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? क्या शासन द्वारा 50 लाख रुपये वसूली के निर्देश दिये गये हैं ? यदि नहीं दिये गये, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । श्री ओ0 एन0 शुक्ला के शिकायती-पत्र में भूमि विकास बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगभग 42.22 लाख रुपये की अनियमितता का उल्लेख किया गया था । शिकायत में मुख्य विन्दु भूमि विकास बैंक द्वारा यूनिट्स तथा सेन्ट्रल गवर्मेंट सिक्योरिटीज के क्रय में तथाकथित अनियमितता का था । इस मामले की जांच शासन के वित्त विभाग द्वारा की गयी । जांच में यूनिट्स तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सम्बन्ध में लगाये गये कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए । श्री शुक्ला के शिकायती-पत्र में उल्लिखित अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा जांच करायी गयी । जांचोपरान्त सम्बन्धित स्पष्टतया दोषी अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

झांसी नगर में विद्युत् आपूर्ति

55—श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में विद्युत् आपूर्ति में कम वोल्टेज, घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन न देने तथा औद्योगिक इकाइयों को पावर लोड स्वीकृत न किये जाने के कारण जो भारी संकट व्याप्त है उसके निराकरण हेतु क्या शासन द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

झांसी नगर में ऐसा कोई विद्युत् संकट व्याप्त नहीं है । कम वोल्टेज की शिकायतों को दूर करने का कार्य लगातार किया जा रहा है । अब तक 5 मोहल्लों की विद्युत् व्यवस्था को सुधार कर कम वोल्टेज की शिकायतों को दूर कर दिया गया है । सात मोहल्लों में यह कार्य चल रहा है । घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने में भी इस समय कोई समस्या नहीं है । कुछ समय पूर्व आवश्यक सामान की उपलब्धता में देरी हो जाने के कारण कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई थी जिसे दूर कर दिया गया है । जिला एवं क्षेत्रीय समितियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को पावर लोड में भी आवश्यक छानबीन के बाद स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

56—श्री राजेन्द्र गुप्त--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

सीतापुर जिले के लेखपाल, श्री रामकिशोर शर्मा का बकाया वेतन एवं वेतन वृद्धि

57--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पब्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल नं 3 लखनऊ (क्लेम नं0 50/टी 1)/3/77 के निर्णय दिनांक 1-3-82 (श्री राम किशोर वर्मा बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि) के अनुसार सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के सेवा के बरखास्त (दिनांक 1-3-67 को) शुदा लेखपाल श्री राम किशोर वर्मा को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है तथा अपर जिलाधिकारी, सीतापुर के आदेश संख्या (सात)/30-11(77-78) सं0 का0, वि0 7-9-82 द्वारा नियुक्ति भी कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सेवा से पृथक् रहने की अवधि का वेतन, वरिष्ठता, वेतन-वृद्धियां भी दे दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दी जायेंगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

सम्बन्धित लेखपाल का नाम राम किशोर वर्मा के बजाय राम किशोर शर्मा है ।

जी हां ।

श्री राम किशोर शर्मा तहसील सिधौली में लेखपाल पद पर कार्यरत हैं ।

श्री शर्मा के सेवा से पृथक् रहने की अवधि की वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी गयी हैं । अवशेष वेतन का भुगतान बिल राजस्व परिषद् को परीक्षण एवं नियमानुसार महालेखाकार को प्रीआडिट संस्तुति देने हेतु प्रेषित किया जा चुका है । लेखपालों की वरिष्ठता सूची में अब संशोधन किया जाना है जिसमें श्री शर्मा का नाम समुचित वरिष्ठता क्रम में अंकित कर दिया जायेगा ।

बस्ती जिले के घाघर परासी ताल की मछलियों की नीलामी

58--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में घाघर परासी ताल में मछली मारने का ठेका वर्ष 1983-84 का कितने

रुपये में दिया गया ? इस ठेके की कितनी धनराशि वसूल हो गई है ? जो धनराशि वसूल नहीं हो पाई उसका क्या कारण है तथा शेष धनराशि कब तक वसूल हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

बस्ती जिले के तहसील बांसी के अन्तर्गत स्थित ताल घाघर परासी का ठेका शिकार माही के लिए वित्तीय वर्ष 1983-84 में 1,66,000·00 रुपया (रु0 एक लाख छाछठ हजार मात्र) में दिया गया था। इस ठेके की पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली गई है अतः शेष प्रश्न ही नहीं उठते।

सीतापुर जिले के चेनमैन, स्व0 नुमाइश लाल श्रीवास्तव के भविष्य निधि की धनराशि

59--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील सिधौली के कानूनगो से सम्बद्ध चेनमैन श्री नुमाइश लाल श्रीवास्तव, जो सेवा में कार्यरत रहते वर्ष 1969 में दिवंगत हो गये, की अब तक भविष्य निधि का धन उनके परिवार वालों को न दिये जाने का क्या कारण है ? उसे कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के कानूनगो से सम्बद्ध चेनमैन श्री नुमाइश लाल श्रीवास्तव सेवा में कार्यरत रहते वर्ष 1969 में दिवंगत हो गये थे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण उनके भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब हुआ। 13 मार्च, 1985 को उनकी भविष्य निधि का अंतिम भुगतान उनकी पत्नी को कर दिया गया है।

लखनऊ जिले के ग्राम कासिमपुर पकरी के भूखन्ड संख्या 118 पर अनधिकृत कब्जा

60--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कासिमपुर पकरी, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित भूखन्ड 119 को परगनाधिकारी, लखनऊ द्वारा मुकदमा नं0 12/81-82/6-8-82 में दिनांक 14-2-83 को दिये गये आदेशानुसार अनधिकृत कब्जे से रिक्त करवाकर गांव सभा कासिमपुर पकरी के नाम अंकित किया गया ? यदि हां, तो उक्त भूखन्ड पर अनधिकृत व्यक्ति किस प्रकार रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के प्रति सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तत्कालीन परगनाधिकारी, लखनऊ ने वाद संख्या 6/12/81-82, सरकार बनाम जिया लाल आदि में दिनांक 6-8-82 को ग्राम कासिमपुर पकरी, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित भूखन्ड संख्या 118 के सम्बन्ध में यह आदेश पारित किया था कि उस समय उक्त भूमि पर अंकित खातेदार का नाम खारिज करके उक्त भूमि ग्रामसभा के खाते में अंकित की जाये। तदनुसार ग्राम के लेखपाल ने दिनांक 14-2-83 को कार्यवाही कर दी थी।

उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी इस बात की जांच करायी जा रही है। यदि उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा पाया गया तो अनधिकृत काबिज व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

61--श्री राजेन्द्र गुप्त --

[3 रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा में भिक्यासैन में तहसील स्थापना की मांग

62--श्री पूरन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में एक नयी तहसील भिक्यासैन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील पुनर्गठन समिति ने जनपद अल्मोड़ा में भिक्यासैन में तहसील स्थापित करने की संस्तुति की है तथापि वित्तीय संसाधनों के अभाव में इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

63--श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

[दिनांक 26-3-1984 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत परिषद् के अधिशासी अभियन्ता, श्री अमरनाथ गुप्ता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

64--श्री विजय सिंह राणा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 एफ/6163/सी0 एम0-2/82 मुख्य मन्त्री कार्यालय अनुभाग-2, दिनांक 18-11-1982 के सन्दर्भ में विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 175 के उत्तर के सन्दर्भ में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता (श्री अमरनाथ गुप्ता) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच, जो 31 मार्च, 1984 तक पूरी होनी थी, पूरी हो गयी हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस जांच के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

जांच के फलस्वरूप श्री अमरनाथ गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता कतिपय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं । इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा श्री गुप्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम गुरूसंडी के श्री मिश्री लाल का ग्राम समाज की भूमि सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

65--श्री सखावत हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जनवरी, 1985 में श्री मिश्री लाल, हरिजन निवासी ग्राम गुरूसंड, तहसील सदर, जनपद मिर्जापुर का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज द्वारा पट्टा की हुई जमीन से उसे बेदखल कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था और उस पर मन्त्री जी ने जिले के अधिकारियों से आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो आख्या क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उक्त पट्टा सम्बन्धी विवाद पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जमालपुर भेलखरा-तप्पाफरिहा में चकबन्दी

66--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा जमालपुर-भेलखरा-तप्पाफरिहा, परगना-निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ चकबन्दी क्षेत्र सं0 9 में दौरान चकबन्दी धारा 9-क (2) व धारा 12 तथा दफा 21 जो चकबन्दी अधिनियम के तहत सभी विचाराधीन मामलों का नियमित समयानुसार निस्तारण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता—

साधन सहकारी समितियों के सचिवों की सेवा नियमावली

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समितियों के सचिवों की कोई सेवा नियमावली है ? यदि नहीं, तो इसके न बनाये जाने के क्या कारण है और कब तक इसे बना दिया जायगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह ...

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर तथा शहजादपुर के हायर सेकेन्ड्री स्कूल सम्बन्धी पत्र

68—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 के0 सिंह यादव, उप सचिव, राजस्व के पत्रांक अ0श0प0 सं0 10-3(8)/84/63 राजस्व अनुभाग-5, दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 जो माननीय प्रियदर्शी जेतली, भू0 पू0 विधायक को सम्बोधित था, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

राज्य सम्पादक जिला गजेटियर विभाग से आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुसार वर्तमान नगर पालिका अकबरपुर पहले के अकबरपुर तथा इसमें मिला दिये गये शहजादपुर का मिला हुआ स्वरूप है (गजेटियर फैजाबाद का पृष्ठ 345-347 एवं 384-385) ।

जिला गजेटियर, फैजाबाद के पृष्ठ 347 में अकबरपुर में एक इन्टरमीडिएट कालेज (हायर सेकेन्डरी स्कूल) तथा शहजादपुर में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल स्थित होने का वर्णन है । अतः वर्तमान नगरपालिका अकबरपुर में स्वतः ही दो हायर सेकेन्डरी स्कूल होने की पुष्टि हो जाती है ।

जहां तक राजनैतिक सम्मेलन होने की तिथि का प्रश्न है इसकी पुष्टि जिलाधिकारी, फैजाबाद से कर ली जा रही है ।

पौड़ी गढ़वाल के ग्राम खड़ेत एवं ड़ाड़ापानी का विद्युतीकरण

69—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के ग्राम खड़ेत का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इसी ग्राम के उप ग्राम ड़ाड़ापानी (खड़ेत तल्ला) को विद्युतीकरण से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? विद्युतीकरण से वंचित परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक इस अवशेष ग्राम का विद्युतीकरण संभव हो सकेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । उप ग्राम डाड़ापानी, जो विद्युतीकरण से वंचित है, का विद्युतीकरण वर्ष 1985-86 में 8 प्रतिशत रिटर्न प्राप्त होने की दशा में प्रस्तावित है ।

लहरपुर (सीतापुर) के शहर बाजार में विद्युत सब स्टेशन की मांग एवं विद्युत सब स्टेशन का नवीनीकरण

70—श्री बुनियाद हुसेन अंसारी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लहरपुर (सीतापुर) के लघु उद्योग धंधों में विद्युत की आपूर्ति के लिए इस कस्बे के शहर बाजार मुहल्ले में 11-4 का

सब स्टेशन स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं :

71--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लहरपुर (सीतापुर) कस्बे में विद्युत विभाग के पुराने सब स्टेशनों का नवीनीकरण करने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । लहरपुर (सीतापुर) कस्बे में केवल टाउन सब-स्टेशन नं0 2 के नवीनीकरण का प्रस्ताव है । सब-स्टेशन के नवीनीकरण के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसके उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

सतेन्द्र श्रम संविदा सहकारी समिति, लखनऊ की प्रतिनिधि श्रीमती सुशीला सिन्हा

72--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ --

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित नया बाजार में श्रीमती सुशीला सिन्हा, जो सतेन्द्र श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में आकर नया बाजार के संचालक मंडल के सदस्य हैं उनकी सदस्यता असंवैधानिक है क्योंकि श्रम संविदा में श्रमिक ही सदस्य बन सकता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्रीमती सिन्हा का सदस्यता निदेशक मंडल से समाप्त करने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

अब सदस्य नहीं हैं ।

जी नहीं । सतेन्द्र श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ की उप विधि संख्या-6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहानुभूति कर सदस्य बन सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती की ग्राम सभा, पिपरा दोयम की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

73--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उदयराज प्रधान ग्राम सभा पिपरा दोयम, तहसील बांसी, जिला बस्ती का जिलाधिकारी, बस्ती को संबोधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के साथ मा0 राज्य मंत्री राजस्व एवं न्याय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रधान द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रधान द्वारा दिये गये सन्दर्भित प्रार्थना पत्र में प्रधान ने ग्राम पिपरा दोयम, परगना मगहर पश्चिम, तहसील बांसी, जिला बस्ती के गाटा संख्या 349 पर ग्राम समाज के स्थान पर सर्वश्री दूधनाथ व केशव पुत्रगण राम अधार तथा लक्ष्मी पुत्र राम ललित द्वारा फर्जी नाम दर्ज कराकर इस गाटे को तोड़ने की बात कही थी । इन व्यक्तियों के नाम किये गये गलत इन्द्राज को निरस्त कर दिया गया है । भूमि ग्राम समाज के नाम पूर्ववत् अंकित की जा चुकी है और उक्त गाटे को मौके पर तोड़ा नहीं गया है ।

74 --श्री सुखलाल पाण्डे--

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के ग्रामों को बाढ़ से हुई क्षति

75--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के भीषण बाढ़ से डुमरियागंज, तहसील जनपद बस्ती के कुल कितने ग्राम राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती नदियों के बाढ़ से मैरूड घोषित किये गये और उनमे किन-किन गांवों में बाढ़ से ध्वस्त हुए अथवा गिरे घरों को गृह अनुदान वितरित किया गया ? क्या यह सत्य है कि डुमरियागंज तहसील के अधिकांश उन ग्रामों को जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती के पेट में बसे हुए हैं और जो ज्यादा प्रभावित रहते हैं वर्ष 1984-85 में गृह अनुदान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने ग्राम शेष हैं जिनमें गृह अनुदान वितरित करना शेष है ? क्या यह सत्य है कि कुल 10 लाख रुपये की मांग तहसील डुमरियागंज से उक्त गांवों में वितरण हेतु की गई थी ? यदि हां, तो इतने महत्वपूर्ण काम के लिए धन उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

76--श्री शारदा नन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य भंडारागार निगम, मेरठ की हत्या

77--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि 6 वर्ष पूर्व मेरठ के क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य भंडारागार निगम की हत्या के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1539 दिनांक 15-3-1985 को मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस प्रबन्धक की हत्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ने के कारण ही हुई थी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1839/द0 म0 कि0 पा0/85, दिनांक 13-3-1985 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत हत्या का मुकदमा अतिरिक्त जिला जज, मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

78--श्री शारदा नन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बस्ती जिले में बाढ़

79--श्री सुखपाल पण्डे--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 2 वर्षों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र तहसील हरैया बस्ती, डुमरियागंज बांसी, नौगढ़, खलीलाबाद, जिला बस्ती में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता किन-किन गांवों के लोगों को दी गई है, इनमें से कितना रुपया किन-किन गांव के लोगों को मकान क्षति का अनुदान दिया गया तथा कितने गांव के लोगों को मकान क्षति अनुदान अब तक नहीं दिया गया, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर, बावरी पेपर मिल, अग्रवाल पेपर मिल एवं खुराना पेपर मिल का विद्युत बिल

80--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में बावरी पेपर मिल, अग्रवाल पेपर मिल एवं खुराना पेपर मिल की उत्पादन क्षमता समान होने पर भी विद्युत बिलों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम बरावां की भूमि का अनियमित पट्टा

81—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में स्थित सार्वजनिक भूमि सं0 130 के रकबे की ग्राम के किसी व्यक्ति के नाम कृषि कार्य हेतु पट्टा कर दिया गया है ? उक्त सार्वजनिक भूमि पर ग्राम-वासियों के आरोपित वृक्ष एवं अन्य सरकारी सम्पत्ति खड़ी है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक बाग के लिए छोड़ी गयी भूमि का पट्टा दिये जाने का कारण क्या है ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उक्त पट्टे को कब तक निरस्त कर दिया जायेगा ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी में स्थित भूमि संख्या-130 क्षेत्रफल 3-8-0 बीघा में से भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 23-10-75 द्वारा भूमि संख्या 130/1-0-0 बीघा का आवंटन राधे श्याम पुत्र गुरुदीन, ग्रामवासी के पक्ष में सीरदार के रूप में किया गया है । शेष भूमि संख्या 130/2-2-0 बीघा खतौनी में श्रेणी 6 (2) में पेड़ लगाने की भूमि के रूप में दर्ज है । इस भूमि संख्या 130 पर आम, जामुन, नीम आदि के कुल 24 पेड़ लगे हैं । जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक है, अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति नहीं है । सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा कराने के लिए तत्कालीन लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है । सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण नियमानुसार इन दोनों पट्टेदारों के नाम अब आसामी के रूप में दर्ज करा दिये गये हैं । अतः पट्टे को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली कर्मचारी संघ, टांडा तापीय परियोजना, फैजाबाद का पत्र

82—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, टांडा तापीय परियोजना, फैजाबाद द्वारा प्रेषित दिनांक अगस्त, 1934 व दिनांक 20-2-85 परियोजना प्रबन्धक टांडा तापीय परियोजना, फैजाबाद का खुला पत्र विषयक कोई शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त खुले पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में प्राप्त नहीं हुए हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर के ग्राम नगला उग्रसेन के श्री जय प्रकाश एवं श्री गिरीश की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु

83—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय प्रकाश पुत्र मुखराम आयु 35 वर्ष श्री गिरीश पुत्र जय प्रकाश आयु 15 वर्ष निवासी नगला उग्रसेन थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्द-शहर की माह मई, 1984 के अन्तिम सप्ताह में विद्युत् विभाग की लाइन के तार से करेन्ट लगने के कारण मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों के पीड़ित परिवारों को विभाग तथा सरकार की ओर से क्या प्रतिकर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के

पश्चात् अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। सरकार द्वारा प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

बुलन्दशहर, बीबीनगर, सहकारी संघ के एकाउन्टेन्ट, श्री लहरी सिंह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

84--श्री किरन पाल सिह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत एकाउन्टेन्ट श्री मंगा लहरी की पुर्नानयुक्ति तथा उनके द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं के विरुद्ध वर्ष 1983 में राज्य स्तर से तथा जिला स्तर पर जांच हुई थी ? यदि हां, तो विभिन्न जांचों में क्या तथ्य पाये गये तथा जांच के आधार पर कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां। श्री लहरी सिंह, एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धक निदेशक, सहकारी समिति, सैदपुर, बुलन्दशहर की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

85--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने प्रबन्ध निदेशक सहकारी समिति लि0, सैदपुर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों से युक्त कोई शिकायती पत्र सहायक निबन्धक बुलन्दशहर को दिनांक 22-6-84 को दिया था ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच करायी गयी। जांच के आधार पर समिति के प्रबन्ध निदेशक को दिनांक 24-8-84 को समिति से हटाकर दिनांक 18-8-84 को आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर जनपदीय कमेटी में समीक्षा कर सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है।

फैजाबाद के भरतकुण्ड तथा सुहावल में कोल्ड स्टोरेज की कथित स्थापना

86--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जनपद फैजाबाद में सहकारिता विभाग द्वारा भरतकुंड तथा सुहावल में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए शासन की तरफ से धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो किस सन् में और कितना धन और कोल्ड स्टोरेज कब तक चालू होने की योजना थी ? कोल्ड स्टोरेज चालू न होने के लिए कौन से लोग दोषी हैं।

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

87--श्री किरन पाल सिंह--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

श्री त्रिवेनी प्रसाद श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, अकबरपुर, फैजाबाद का वेतनमान

88--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि त्रिवेनी प्रसाद श्रीवास्तव, नायब-तहसीलदार, अकबरपुर, फैजाबाद को नये वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी

श्री श्रीवास्तव को नये वेतनमान के अनुसार वेतन उपलब्ध कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। श्री त्रिवेनी प्रसाद श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका में उनको जनपद बाराणसी की सेवाओं की प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण उनका वेतन नये वेतनमान में निर्धारित नहीं हो सका। जिलाधिकारी वाराणसी से श्री श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका पूर्ण होकर उपलब्ध होने पर उनका नये वेतनमान में वेतन उपलब्ध कराया जायेगा। किन परिस्थितियों में श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका अपूर्ण रही, के बारे में राजस्व परिषद/जिलाधिकारी, वाराणसी से छानबीन कराने के उपरान्त ही दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

अलीगढ़ विद्युत विभाग के स्व0 श्री मोहन नाथ मेहरा, मेन्स सुपरिन्टेन्डेट का बकाया वेतन

89—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 मोहन नाथ मेहरा, विद्युत विभाग में मेन्स सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर अलीगढ़ में कार्यरत थे जिनको 31 दिसम्बर, 1961 को उनके पद से समय से पूर्व ही सेवा निवृत्त कर दिया गया था जिनके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायलय इलाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक 2 जुलाई, 1979 में श्री मोहन नाथ मेहरा को 28 मई, 1970 तक उनके पद पर सेवारत माना था ? श्री मोहन नाथ मेहरा को उनके जीवनकाल 4 अक्तूबर 1980 तक तथा बाद में उनके वारिश श्री पी0 एन0 मेहरोत्रा को आज तक मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कोई भुगतान तथा अन्य सुविधा प्रदान नहीं की गयी है ? ऐसा क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

स्व0 श्री मोहन नाथ मेहरा को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2 जुलाई, 1979 के अनुसार 1 जनवरी, 1962 से 28 मई, 1970 तक के वेतन एवं अन्य देयों की भुगतान राशि 32,456.61 एवं 1,722.95 रु0 डिफीटल एमाउन्ट सिविल जज के न्यायालय में ड्राफ्ट संख्या 35265, दिनांक 4 जुलाई, 1985 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, प्रथम अलीगढ़ द्वारा जमा कर दिया गया है जिसका भुगतान मृतक श्री मेहरा के उत्तराधिकारियों को विधिवत् न्यायालय द्वारा किया जाना है।

गाजीपुर के ग्रामगोडऊर का विद्युतीकरण एवं तार तथा खम्भों की चोरी

90—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 8 वर्ष एवं ग्राम गोडऊर जिला गाजीपुर के विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों ने सिक्योरिटी मनी जमा की है विद्युत विभाग द्वारा कहीं-कहीं पर लाइन खींचने के बाद छोड़ दिया गया है और यह रिपोर्ट दी गई है कि विद्युतीकरण पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी व दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

91—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या यह सही है कि वर्षों पूर्व लगाए गए बिजली के तार व खंभे गायब कर दिए गए ह ? यदि हां, तो चोरी गए सामान के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

92—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गोडऊर के समस्त लोगों को

बिजली उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टिहरी परियोजना

93--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी योजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा इससे बिजली बनकर उसका वितरण कब तक प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

टिहरी परियोजना के अष्टम पंचवर्षीय योजना काल में फलीभूत होने की आशा है ।

लखनऊ, विद्युत विभाग के लाइनमैन, स्वर्गीय श्री गोवर्धन की सेवा-निवृत्ति

94--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय गोवर्धन, विद्युत विभाग, 426, बीरबल साहनी मार्ग, लखनऊ में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और उन्हें विभाग द्वारा 7 वर्ष पूर्व ही 30 नवम्बर, 1978 को सेवामुक्त कर दिया गया जिसके फलस्वरूप श्री गोवर्धन के दिल को आघात पहुंचने के कारण मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या यह सच है कि स्वर्गीय गोवर्धन लाइनमैन के आश्रित श्री श्याम लाल ने अपने पिता के मरणोपरान्त सेवा में लिये जाने हेतु अनेकों प्रार्थना-पत्र शासन एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दिये थे ? यदि हां, तो श्री श्याम लाल को सेवा में न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां । सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा उनका परीक्षण कराया गया था । डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार वह परिषद् सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, अतः उन्हें 30-11-1978 को सेवा-निवृत्त कर दिया गया । श्री गोवर्धन की मृत्यु परिषद् सेवा से निवृत्ति के पश्चात् हुई जिसके कारण का पता परिषद् का नहीं है । उक्त स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । श्री गोवर्धन की मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद हुई थी । चूंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान करने का बोर्ड के नियमों में कोई प्राविधान नहीं है अतः उनके आश्रित को परिषदीय सेवा में नहीं लिया गया ।

श्री वाई० के० त्यागी, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

95--श्री किरन पाल सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड तृतीय को डी० ओ० नं० (022)/ई० डी० सी० बी०/इ०/काम०/इ० डी० -डी०-111, दिनांक अगस्त 29, 1983 तथा डी० ओ० नं० 10553-ई० डी० सी० वी० (ई०)/काम०/इ० डी० डी०111, सितम्बर 8, 1983 लिखे थे ? यदि हां, तो वह डी० ओ० क्या थे तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, ये डी० ओ० श्री वाई० के० त्यागी, अवर अभियन्ता, विद्युत वितरण खन्ड तृतीय, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायतों की जांच से सम्बन्धित थे । अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण कर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जिला सहकारी विकास संघ के कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान

96 --श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थाओं में 1-5-1983 से पूर्व कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को तीन-तीन माह के बाद ब्रेक किया जाता है ? यदि नहीं, तो जिला सहकारी विकास संघ, बुलन्दशहर में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को किस आधार पर तीन-तीन माह बाद ब्रेक किया जाता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या 2562/12-सी-2-151 (1)/83-टी0 सी0, दिनांक 14-6-1984 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सहकारी संस्थाओं में 1-5-1983 तक सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा की यथास्थिति बनाये रखी जाये और इस बीच उनकी सेवायें समाप्त न की जायें ।

जिला सहकारी विकास संघ, बुलन्दशहर द्वारा प्रश्नगत तदर्थ कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्ति न करके तीन-तीन माह की अवधि पूरी होने पर ब्रेक दिया जा रहा था । यह निर्देश दिये गये हैं कि विनियमितीकरण विनियमावली बनने तक ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान न किया जाये ।

बुलन्दशहर के तहसीलदार एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

97--श्री किरनपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यपाल सिंह, प्रधान, ग्राम बढ़ढ़ा बाजीतपुर, विकास खण्ड स्थाना, जनपद बुलन्दशहर द्वारा बुलन्दशहर के तहसीलदार तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र 26-7-84 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को दिया था, जिस पर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने परगनाधिकारी सदर को दोषियों के विरुद्ध 15 दिन के अन्दर जांच करके कठोर कार्यवाही करने के यह आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी विकास संघ, बुलन्दशहर के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

98--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थाओं में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी महंगाई भत्तों की किस्त दी जा रही है ? यदि हां, तो जिला सहकारी विकास संघ, बुलन्दशहर में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्तों की किस्तों का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली के विकास खण्ड, मीरगंज तथा शेरगढ़ के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

99--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मीरगंज एवं शेरगढ़ ब्लाक कब-कब आई0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए चयनित किये गये ? इन दोनों ब्लाकों में उपरोक्त चयन से पूर्व कितने ग्राम विद्युतीकृत थे, कितने ग्राम चयन के बाद विद्युतीकृत कर दिये गये हैं, बचे हुए ग्राम कितने हैं और उनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बरेली के मीरगंज तथा शेरगढ़ विकास खण्डों को क्रमशः मार्च, 1980 तथा जून, 1980 में आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था। चयन के पूर्व विकास खण्ड मीरगंज तथा शेरगढ़ में क्रमशः 43 तथा 18 ग्राम केन्द्रीय विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत किये जा चुके थे। चयन के बाद मीरगंज में 29 तथा शेरगढ़ में 31 ग्राम मार्च, 1985 तक विद्युतीकृत कर दिये गये हैं। अब मीरगंज में 5 तथा शेरगढ़ में 61 ग्राम शेष हैं, जिनका विद्युतीकरण योजना में दिये गये समय के अनुसार ही संभव है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में घाटा

100--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत् परिषद् पर कितना पूंजी निवेश लगा हुआ था और प्रत्येक वर्ष कितना घाटा रहा ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना संकलित की जा रही है।

बरेली के विकास खण्ड मीरगंज एवं शेरगढ़ की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

101--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मीरगंज एवं शेरगढ़ ब्लाक में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है ? इन ब्लाकों में कौन-कौन से ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण होना शेष है और यह कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज में 57 तथा शेरगढ़ में 43 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकरण हेतु अवशेष हरिजन बस्तियों की सूची संलग्न है। जिनको शनैः शनैः विद्युतीकृत करने की योजना है।

(देखिये तत्थो 'ख' आगे पृष्ठ 98 पर)

बरेली के साधन सहकारी समितियों के सचिवों का स्थानान्तरण

102--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक जनपद बरेली में साधन सहकारी समितियों के कितने सचिवों के स्थानान्तरण आदेश कितनी कितनी बार पारित किए गए और इनमें से कितने आदेशों का क्रियान्वयन हुआ ? कुछ आदेशों को बार-बार पारित करके उनको निरस्त करने का क्या कारण था ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जनपद बरेली में 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक 41 सचिवों के स्थानान्तरण आदेश जनहित में किये गये जिनमें से आठ सचिवों के स्थानान्तरण आदेश जनहित में ही निरस्त भी किये गये। शेष 33 स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित हो गये। इन 33 सचिवों में से चार सचिव ऐसे थे जिनके स्थानान्तरण आदेश संशोधन के उपरान्त कार्यान्वित हुए। इन चार सचिवों में से दो सचिव ऐसे भी थे जिनके स्थानान्तरण आदेशों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं जनहित में दो बार परिवर्तन करना पड़ा।

103--श्री जयदीप सिंह बरार--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

104--श्री शारदानन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बलिया की ग्राम सभा बरौली की भूमि का पट्टा एवं अमलदरामद

105--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत तहसील रसड़ा, परगना सिकन्दरपुर गर्वी स्थित ग्राम सभा बरौली में वर्ष 1976 (23-6-76) में अनुमोदित परगना-धिकारी, रसड़ा, बलिया द्वारा कृषि योग्य भूमि का पात्र भूमिहीनों को पट्टा किया गया ? यदि हां, तो उसका अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हुआ ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम अब तक चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण पट्टों का अमलदरामद नहीं हो सका ।

अब उक्त ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर हो गया है । चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण पट्टा की गयी कुछ भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए तथा कुछ भूखंड सिंचाई विभाग के नाम अंकित हो गये हैं जिससे अमलदरामद किये जाने में वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो गयी है । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करके अमलदरामद की कार्यवाही की जायेगी ।

106--श्री शारदानन्द अंचल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बलिया जिले के सीयर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

107--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला विशेषकर सीयर क्षेत्र में जनता की बार-बार मांग के बाद भी समुचित बिजली नहीं दी जा रही है जबकि किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को बिजली का पूरा बिल भुगतान करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों को शीघ्र उचित बिजली देगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

बलिया जनपद का सीयर क्षेत्र विद्युत् परिषद् की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के बराबर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है । ग्रामीण क्षेत्रों को आजकल 7 घन्टे प्रतिदिन (औसत) विद्युत आपूर्ति की जाती है जो विद्युत उपलब्धता तथा मांग के अनुसार हर माह निर्धारित की जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं से जो विद्युत उपभोग की वसूली प्रतिमाह की जाती है वह लगभग 3 घंटे प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति से पूरी हो जाती है । जबकि सामन्यतया ग्रामीण क्षेत्रों को पांच से 10 घंटे प्रति दिन तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था समय-समय पर की जाती रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पी0 सी0 सी0 पोल्स की खरीद

108--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1469, दिनांक 8 जनवरी, 1985 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पी0 सी0 सी0 पोल्स खरीदने के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री को दिनांक 8 जनवरी, 1985 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन विन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है और किन-किन विन्दुओं पर जानकारी दी गयी ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

दी जाने वाली सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 99 पर ।)

सीतापुर जिले में भूदान भूमि पर अनधिकृत कब्जा

109—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु क्या प्रयास किया गया ? क्या अवैध कब्जा हट गया है ? क्या भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा भूमि आवंटित करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद सीतापुर में कृषि योग्य भूदान भूमि पर कुल 2.86 एकड़ पर अनधिकृत कब्जा पाया गया था, जिसमें से 0.77 एकड़ भूमि से अनधिकृत कब्जा हट गया है । शेष 2.09 एकड़ भूमि पर से अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शीघ्रता करने हेतु भूदान समिति को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

सीतापुर के ग्राम तिलोकपुर के श्री मनोहर लाल की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु

110—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मृतक के आश्रित को कितनी आर्थिक सहायता कब दी गयी है ? यदि नहीं दी गयी है, तो न देने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मृतक के आश्रितों को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि इस दुर्घटना की राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा घटित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी है यद्यपि इनकी पुष्टि मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा की जा चुकी है । इस विरोधाभास को दूर करने के लिये विद्युत परिषद् द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, सीतापुर को स्वयं जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं । उनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर यदि यह प्रतिपादित होता है कि मृतक श्री मनोहर लाल की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात के फलस्वरूप दुर्घटना में हुई है तो अनुग्रह धनराशि दिय जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

111—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित ।]

फैजाबाद टांडा तापीय परियोजना की स्थापना

112—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तापीय परियोजना (थर्मलपावर) टांडा, फैजाबाद वर्ष 1981 तक पूर्ण होने का निर्णय लिया गया था और निर्धारित लागत खर्च के बावजूद भी समय से संचालित नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो पूर्व अनुमोदित लागत एवं समय निर्धारण क्या था और अब अतिरिक्त समय एवं लागत धनराशि क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

टांडा तापीय परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 1981 भी नहीं रखा गया था । परियोजना की पूर्व अनुमोदित लागत 151.25 करोड़ रुपये एवं चालू करने का लक्ष्य वर्ष 1984-85 था । परियोजना की संशोधित लागत 375.23 करोड़ रुपए तथा चालू करने का लक्ष्य वर्ष 1987-88 है ।

बलिया के सीयर क्षेत्र एवं बिल्थरा रोड क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति

113--श्री शारदानन्द 'अंचल'--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि बलिया जिला खासकर सीयर क्षेत्र और उसके मुख्य नगर बिल्थरा रोड में जनता के मांग के बावजूद बिजली आपूर्ति की नियमित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है जबकि अमेठी सुल्तानपुर, रायबरेली आदि स्थानों पर बराबर विजली दी जाती है ?

श्री सुनील शास्त्री –

बलिया जनपद का सीयर क्षेत्र तथा बिल्थरा रोड क्षेत्र विद्युत् परिषद की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था तदनुसार है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन 7 घंटे प्रतिदिन विद्युत् दी जा रही है।

अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली के संसदीय क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धारित विद्युत् आपूर्ति के अतिरिक्त दो फेज विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

बस्ती जिले के श्री मारकण्डे दुबे एवं श्री राधेश्याम सेठ, सहायक चक-बन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

114—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

प्रथम सत्र 84 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 142 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आख्या का परीक्षण करने के बाद वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे और उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

आख्या के परीक्षण के उपरान्त श्री मारकण्डे दुबे तथा श्री राधेश्याम सेठ, सहायक चकबन्दी अधिकारी को दोषी पाया गया था। श्री सेठ के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं पाया गया था। अतः उन्हें जिला स्तर पर चेतावनी दे दी गई थी।

दूसरे सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री मारकण्डे दुबे को निलम्बित कर उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही में पारित अन्तिम आदेशों द्वारा उन्हें चकबन्दीकर्त्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

कानपुर के रसूलाबाद में तहसील की स्थापना की मांग

115--श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को 14 मार्च, 85 से 21 मार्च, 85 के मध्य किसी विधायक का पत्र जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत रसूलाबाद में एक पृथक् तहसील बनाने हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या शासन ने रसूलाबाद में एक पृथक् तहसील बनाना निश्चित कर लिया है ? यदि नहीं, तो तहसील न बनाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं। पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता।

2--तहसील पुनर्गठन समिति ने जनपद, कानपुर देहात में किसी नई तहसील के स्थापित करने की संस्तुति नहीं की है, अतः इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले के ग्राम बेलवा लगुनही व साहू खिरिया की चकबन्दी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित प्रस्ताव

116—श्री दिवाकर विक्रम सिंह --

विधान सभा के द्वितीय सत्र के 2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रावली संख्या 2029, 2121, 2213 में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश चकबन्दी

अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत निरस्त हुआ ? यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार इसे तुरन्त निरस्त कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम बेलवा लगुनही व साहू खिरिया की वाद पत्रावली संख्या 2029, 2121, 2213 में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत अभी तक निरस्त नहीं हुआ है । जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु सन्दर्भ सहायक संचालक चकबन्दी, बस्ती के न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में लम्बित है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश वापस लिए जाने अथवा रिक्त किए जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो पायेगी ।

आजमगढ़ जिले के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशालाओं के लिए छात्रवृत्ति का आवंटन

117--श्री विष्णुदेव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों को वित्तीय वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि छात्रवृत्ति हेतु शासन से आबंटित की गई थी ? उक्त धनराशि किन-किन विद्यालयों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में आवंटित की गई है और उसके वितरण का आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत की खपत

118--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठीं योजना की समाप्ति पर अलग-अलग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी यूनिट थी ?

श्री सुनील शास्त्री--

छठी योजना की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

गौड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने की मांग

119--श्री नंगा राम तथा श्री राम आसरे--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि गौड़ जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बलिया में रजि0 प0 सं0 1434/रा0 स0 2, दिनांक 10 जनवरी, 1985 भेजा है ? यदि हां, तो शासन स्तर से इस रजिस्टर्ड पत्र का कोई जवाब जिलाधिकारी, बलिया को क्यों नहीं भेजा गया ? यदि जवाब भेजा गया है तो क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जिलाधिकारी, बलिया से इस सम्बन्ध में कुछ सूचना मांगी गयी है जो अभी प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

120--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा श्री सरदार सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 के विरुद्ध उनके द्वारा जनपद

लखनऊ में अनियमित और अनधिकृत कार्य करने के लिए वर्ष 1984–85 में तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक लखनऊ ने उप निबंधक लखनऊ मंडल को चार शिकायती–पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह––

जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ से उप निबन्धक, लखनऊ मंडल को श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक वर्ग 1, के विरुद्ध वर्ष 1984–85 में तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे ।

श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 के विरुद्ध की गयी शिकायतों के आधार पर उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है तथा उन्हें मंडल से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अलीगढ़ की गांव सभा, देवीनगर के ग्राम प्रधान द्वारा भूमि का अनियमित पट्टा

121––श्री राम आसरे––

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस की गांव सभा देवी नगर हाथरस जंकशन के खसरा संख्या 62 राज्य सम्पत्ति है ? क्या यह सच है कि ग्राम सभा प्रधान ने अवैध धन लेकर अनियमित पट्टे देकर मकान व दुकानों का निर्माण कर दिया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा प्रधान को इस सम्पत्ति का पट्टा देने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम से ? क्या उक्त पट्टे के सम्बन्ध में उनको एवं मुख्य मंत्री आदि को सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबू लाल, निवासी देवी नगर का शिकायती–पत्र दिनांक 29–4–85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर0 ई0 सी0 योजनान्तर्गत राज्य विद्युत् परिषद् को दी गयी धनराशि

122––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1983 तक आर0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 रा0 विद्युत् बोर्ड को कितने धन की स्वीकृति हुई, बोर्ड ने कितना धन प्राप्त किया और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु इसमें से कितना धन वास्तव में उपरोक्त तिथि तक व्यय किया ? समस्त स्वीकृत धनराशि का व्यय समय से न करने के लिए कौन–कौन जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री––

मार्च, 1983 तक आर0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की 286·76 करोड़ रु0 की धनराशि स्वीकृत हुई । मार्च, 1983 तक 173·26 करोड़ रु0 प्राप्त हुआ एवं 136·78 करोड़ रु0 व्यय किया गया । शेष धनराशि 36·48 करोड़ रुपया अगले वर्षों में स्वीकृत योजनाओं पर व्यय करने हेतु उपलब्ध रही । अतः किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी ।

123––श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी––

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इलाहाबाद के ग्राम सांडा बरौना के श्री अमरनाथ सिंह के पेड़ों पर ग्राम समाज का अनधिकृत कब्जा

124––श्री खुर्शीद अहमद, श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री किरनपाल सिंह––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमरनाथ सिंह, निवासी

ग्राम सांडा बरौना, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद के चक संख्या 80 व 81 से उनके दरवाजे पर लगे तीन पेड़ आंवला, कटहल व अमरूद तथा निर्मित पक्का कुआं आदि को अवैध रूप से वहां के ग्राम प्रधान व अन्य लोगों द्वारा काटा तथा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 26-4-85 को राजस्व मंत्री को तथा श्री हनुमान प्रसाद विधायक द्वारा शिकायती पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है तथा प्रार्थी को क्षतिपूर्ति कब तक किसके द्वारा की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

मामले में जांच कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के न्यायालय में लम्बित अपीलें तथा रिवीजन

125--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि मंडलायुक्त, फैजाबाद श्री बी0 के0 दीवान के न्यायालय में हजारों अपीलें और रिजीवन वर्षों से अनिर्णीत पड़ी हैं जिसके कारण वादकारियों को बड़ी परेशानी हो रही है । यदि हां, तो इन मामलों को निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं । अद्यावधिक स्थिति के अनुसार मण्डलायुक्त, फैजाबाद श्री बी0 के0 दीवान के न्यायालय में दिनांक 30 जून, 1985 को लम्बित अपीलें/रिवीजन्स की कुल संख्या केवल 587 है । लम्बित वादों के निस्तारण हेतु वर्ष 1985 के द्वितीय त्रैमास में विशेष प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप 100 अपीलें/निगरानी निस्तारित की गयीं ।

बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों की स्थापना

126--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 84-85 के पूर्व कितनी बोरिंग करायी गयी और बोरिंग किन-किन ग्रामों में की गई तथा कितने पम्प सेट खरीदे गये ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितनी बोरिंग फेल पड़ी है तथा कितने पम्प सेटों का अभी तक ट्रायल नहीं कराया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के पूर्व 121 बोरिंग करायी गयी । बोरिंग ग्राम बडल नारायणपुर, तुलिहा, सैदखानपुर, रनापुर, जिठौली, बारी, भीतरी, सुनौली, ऊधापुर, तथा खिजना आदि ग्रामों में की गई तथा 67 पम्पसेट खरीदे गये उनमें से 3 बोरिंग फेल हुई हैं । तथा 28 पम्प सेटों का अभी तक ट्रायल नहीं हो पाया है ।

बाराबंकी जिले में लघु उद्योगों को दिया गया विद्युत् कनेक्शन

127--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में जनपद बाराबंकी में लघु उद्योगों हेतु बिजली कनेक्शन के लिये कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितनों को कनेक्शन दिये गये ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम नबीपुर के हरिजनों को भूमि का आवंटन

128--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड हैदरगढ़ के ग्राम नबीपुर में जो जमीनें हरिजनों के लिये जनवरी, 1985 में क्रय की गई हैं, उसे हरिजन लेने का तैयार नहीं है ? क्या क्रय करने के पूर्व इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी की सहमति ली गई थी ? यदि नहीं, तो कृषि योग्य भूमि होने का परीक्षण किस आधार पर किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम नबीपुर में जो जमीनें हरिजनों के लिये जनवरी, 1985 में क्रय की गयी हैं, उसे हरिजन लेने को तैयार हैं। इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी की सहमति ली गयी थी अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा लोरपुर ताजन के तालाब पर दर्ज नाम

129--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-1985 को ग्राम सभा लोरपुर ताजन, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी/तहसीलदार अकबरपुर, फैजाबाद का उक्त गांव के किसी तालाब को ग्राम के किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम दर्ज कराने व अपना नाम कुटुम्ब रजिस्टर में किसी यादव परिवार के कुटुम्ब रजिस्टर में दर्ज कराने के सम्बन्ध में दिया था जिस पर दिनांक 2-4-1985 को तहसीलदार अकबरपुर द्वारा कोई आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सत्र अभी काफी लम्बा है। आज प्रथम दिन है। परन्तु प्रथम दिन ही प्रश्नों का जो उत्तर दिया जा रहा है, उसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है--"प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह निश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे।"

अब मैं आपके सामने नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 2 की ओर जो कि माननीय सदस्य श्री रघुवर दयाल वर्मा जी द्वारा पूछा गया है, को रखना चाहता हूं। इस प्रश्न के चार अंश हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि "सूचना एकत्र की जा रही हैं।" प्रथम अंश यह है कि "24 अप्रैल, 1984 से जुलाई, 1984 तक हड़ताल की।" उत्तर में कहा गया कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यदि हड़ताल हुई होगी, तो इसकी सूचना होम सेक्रेटरी के पास अवश्य होगी। यदि नहीं, तो इससे निकम्मी व अव्यवस्थित सरकार और कोई नहीं हो सकती है।

दूसरा अंश यह है कि 'यदि हां', तो क्या यह सत्य है कि हड़तालियों द्वारा उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये ? यदि हां, तो वे आरोप क्या थे तथा उन पर क्या कार्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाही को गयी ? मान्यवर, एल0 आई0 यू0 ने अपनी रिपोर्ट दी होगी । फिर भी कहा जा रहा है कि सूचनाएं एकत्र की जा रही है । जबकि यह सारी सूचना सचिवालय स्तर पर उपलब्ध होगी । इससे तो साफ जाहिर यह होता ह कि जानबूझकर गम्भीर आरोपों को छुपाने का एक घृणित षड़यंत्र किया जा रहा है । यदि इसी प्रकार की परम्परा चलती रही तो संविधान के तहत और नियमावली के तहत हमको जो अधिकार प्राप्त हैं, वे कुण्ठित हो जायेंगे और नियम 38 की हत्या ही जायेगी । इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि नियम 38 के अन्दर आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके तहत आप हमारी रक्षा करें । माननीय मंत्री जो जो उत्तर दें वे प्रश्न से सुसंगत हों और उससे बाहर न हों । आपको अधिकार है कि आपने प्रश्न और सन्दर्भ समिति बना दी है, उसको सन्दर्भित कर सकते हैं । लेकिन इस परम्परा को चालू रखना, मैं समझता हूं कि यह हम लोगों के अधिकारों का हनन है ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जो श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने तर्क दिया है, कभी-कभी वे अपने तर्क के बल पर ही...

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, 8 9 बातों का मैंने उदाहरण नहीं दिया है अभी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको तो सुन लिया है । इधर की बात सुन लें ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, गुप्ता जी कभी-कभी ऐसी बात कह जाते हैं । जिसमें वह खुद आपके निर्देशों को चुनौती दे देते हैं । जो प्रश्न किया गया है उसके उत्तर को सुसंगत मान कर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप सभी लोग खड़े रहेंगे ? कमाल साहब बैठ जायें ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आप नियम 38 (2) को देखें । किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूची-बद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परि-स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे । तो मान्यवर, इसमें सूचना नहीं आयी जिसकी अपेक्षा आप कर रहे थे । मंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट कर दिया । हमारी परम्परा यह रही है कि 15 दिन के बाद सवाल फिर आता है । तो इसमें आपको कौन सी कठिनाई है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय संसदीय राज्य मंत्री जी ने खड़े होकर समय का जो सदुपयोग किया उससे आप सहमत होंगे कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है । मूल प्रश्न के 4 अंश थे--पहला यह कि क्या कोई हड़ताल हुई, दूसरी क्या हड़ताल खत्म करायी, तीसरी क्या उन्होंने कोई ज्ञापन दिया चौथा उक्त ज्ञापन में क्या शिकायतें थीं ? तो कोई ज्ञापन दिया नहीं, हड़ताल हुई या नहीं ? इन पर सूचना एकत्र की जा रही है इसका कोई औचित्य नहीं है । उच्चाधिकारियों पर कोई आरोप थे तो क्या थे ? यह मुद्दे स्पष्ट थे । चौथे के बारे में माननीय मंत्री जी ने सफाई दी, उसका औचित्य हो सकता है लेकिन जहां तक आरोप की बात है, क्या कोई अधिकारी हटाया गया और क्या वह कमिश्नर है जिस पर आरोप है, सीधे वह तो हटाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं गया और न कोई कार्यवाही हुई उसके लिए तो लीपा-पोती हो रही है लेकिन जो तीन स्पष्ट आरोप से सम्बन्धित प्रश्न हैं उसके लिए कोई सफाई नहीं आयी। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। एक हमारी कैबिनेट मंत्री हैं माननीय स्वरूप कुमारी बख्शी, इन्होंने कहा कि मियां बीबा राजी तो क्या करेगा काजी। यह कहते हुए इन्होंने प्रशासन को चुनौती दी है, हम लोगों को चुनौती दी है। तो क्या वह हिन्दू विवाह कानून को या मुस्लिम परसनल-ला को संशोधित करने के लिए कोई विधेयक लाने जा रही हैं यह क्या उन पर भगवान रंजनीश का कोई असर हो गया है ? क्या असर हो गया है इस सरकार पर ? क्या यही सरकार की नीति है कि "मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ?" यह प्रश्नों का मखौल बनाने की प्रक्रिया है, सदन की गरिमा को गिराने की प्रक्रिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन की मर्यादा की रक्षा कीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्य गण की बातें सुनी...

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप अव्यवस्था न फैलायें, बैठ जायं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें यहां रखी हैं, उसका ख्याल रखते हुए, "सूचना एकत्रित की जा रही है" यह कोई स्पष्ट जवाब, सवाल का नहीं हुआ, आइन्दा इसका ख्याल रखा जाय और स्पष्ट जवाब दिया जाय। जहां तक सूचना एकत्रित करने का सवाल है, ऐसे कम जवाब आयें।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, माननीय मुख्य मंत्री जो खड़े हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के समय से उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न दिया है, जो आपने व्यवस्था के प्रश्न स्वीकार किए हैं, एक सदस्य का स्वीकार करें और दूसरे का न करें, यह तो सौतेला बर्ताव है। मैंने नियम 300 में व्यवस्था का प्रश्न दिया है जिसमें आपका ध्यान आकृष्ट किया है कि नियम 300 में जो प्रश्न हम लोग देते हैं और जिनको आप स्वीकार कर लेते हैं, उसके बारे में प्रक्रिया दी गयी है कि 7 रोज के अन्दर किसी भी मंत्री को उसका जवाब देना चाहिये। अगर न दे सकें तो अन्तरिम जवाब दे दें, उसके बाद एक महीने के अन्दर पूरा जवाब दे देना चाहिए, लेकिन हमारे अधिकारों की हत्या की जा रही है। 22 मार्च, 1985 को इसी सदन के अन्दर बनारस के मास्टर प्लान के सम्बन्ध में आपकी अनुमति से नियम 300 में प्रश्न उपस्थित किया था, जिसे आपने स्वीकार किया था और माननीय मन्त्री जी को आदेश दिया था कि उसके बारे में जवाब दीजिये। डेढ़ महीने के बाद अन्तरिम जवाब मिलता है। आज बजट सत्र शुरू हो रहा है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है नहीं तो क्या कारण है कि आपके आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का पालन नहीं किया जा रहा है । यह संसदीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है । पदमा सेठ जो सम्बन्धित मन्त्री हैं, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है । यहां पर बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उपस्थित किया था, लेकिन उत्तर नहीं आया । केवल अल्पसूचित, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देने का ही सरकार का दायित्व नहीं है बल्कि नियम 300 के प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित समय में दिये जाने चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप अपनी व्यवस्था दें कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जो आपने आदेश दिया है, उसका पालन अगर नारायण दत्त तिवारी की सरकार नहीं करती है, तो इसका मतलब यह है कि नियम कानून नाम की चीज नहीं है गयी है । इसके साथ ही आप मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि सारे के सारे सवालों के जवाब दे दें नहीं तो यह समझा जायेगा कि विधान सभा का अपमान किया जा रहा है, संसदीय लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है और यह सरकार इस साजिश में शामिल है ।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि सदन की परिपाटी रही है कि निधन के निदेशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । मैं एक संसदीय परिपाटी की ओर ध्यान दिला रहा हूं कि निधन के निदेशों को प्राथमिकता दी जाती है इसका अनुपालन हो या न हो यह आपके ऊपर है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय नेता सदन को 5 मिनट पहले मुझे सूचना मिली है और हम लोगों ने उसे प्राथमिकता दे दी है । आज जो सदन एडजर्न करने की बात कही गयी है यह सूचना हम लोगों को कम से कम एक दिन पहले मालूम हो जानी चाहिये । मुख्य मन्त्री जी के सन्देश पर हम लोगों ने निधन के शोक प्रस्ताव को प्राथमिकता दे दी है ।

भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री गिरधारी लाल श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री राजाराम मिश्र, श्री मसूदुल हसन नोमानी, श्री जवाहर लाल तथा श्री अजब सिंह एवं वायुसेनाध्यक्ष लक्ष्मण माधव कात्रे तथा कनिष्क जम्बोजेट विमान की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त)—

माननीय, मुझे बड़े दुखद कर्तव्य का निर्वाहन करना पड़ रहा है । माननीय सदन को सूचित करते हुये जैसा कि माननीय सदन को ज्ञात है कि एक तो हमारे 6 अत्यन्त सम्मानित सदस्य जो यहां रहे, वह आज हमारे बीच नहीं रहे । इसके अलावा 23 जून, 1985 को अटलांटिक महासागर में एयर इण्डिया का जम्बो जेट विमान "कनिष्क" दुर्घटना-ग्रस्त हुआ, जिसमें 329 यात्री थे और जिनमें अधिकांश भारतीय थे उसमें हमारे विश्व विख्यात डाक्टर श्री नायेडम्बा भी थे वह सब काल-कवलित हो गये ।

हमारे सदन के जो भूतपूर्व सदस्य रहे आज वे दिवगंत हो गये, उसमें श्री गिरधारी लाल जो कि इस प्रदेश के जाने माने राजनीतिज्ञ थे, जो कि एक लम्बे अरसे तक इस सदन के सदस्य रहे और उन्होंने प्रदेश और देश की सेवा की । श्री गिरधारी लाल जी एक कर्मठ सदस्य थे । वर्ष 1947 से आप निरन्तर सदस्य रहे और विभिन्न विभागों के मंत्री भी नियुक्त हुये । उन्होंने अनेक विभागों के कार्य में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया । चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो या चाहे सिंचाई विभाग हो । उन्होंने अनेक विभागों को अपनी सेवा से संचालित किया । वह एक निर्बल वर्ग के सबल प्रतिनिधि रहे और साथ ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में रहे। 1985 में वे लोक सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने जो सेवायें हमारे प्रदेश के लिये की वह सदैव याद रखी जायेंगी। आज उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उसका भरना कठिन है। उनकी महानता, उनके कृतित्व और उनका स्वभाव अनुकरणीय है। उन्होंने एक लम्बी लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रा संग्राम में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दिवगंत नेता के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे दल को ओर से, इस सदन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री शचीन्द्र नाथ बक्शी प्रमुख क्रान्तिकारी नेता थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र कान्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1969 में वह इस सदन के सदस्य चुने गये। उनकी वाणी जो यहां पांच साल तक गूंजी, वह मुझे आज भी याद आती है। वे क्रान्तिकारी भावना से अपनी संस्तुति के लिये किस प्रकार से बढ़े यह हमने स्वयं देखा कि कठोर से कठोर बात को वे जिस ढंग से कहते थे, वह हम सबके लिये प्रेरणादायक बात थी। श्री बख्शी जी काकोरी कान्ड के सिलसिले में 10 साल तक सेन्ट्रल जेल, नैनी में रहे। काकोरी कान्ड के अन्य कैदियों के साथ श्री बख्शी जी को रिहा कर दिया गया था। उनकी दीर्घकालीन सेवायें हमें सदा याद रहेंगी। दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा आग्रह है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजा राम मिश्र, फैजाबाद जनपद के एक जानेमाने व्यक्ति थे। वह दो बार इस विधान सभा के और एक बार लोक सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने 1930 में राजनीति में प्रवेश किया और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान लगभग 14 मास तक नजरबन्द रहे। आज एक महान सेनानी हमारे बीच में नहीं रह गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मसूदुल हसन नोमानी जो बाराबंकी के जाने माने नेता थे, वह दिवंगत हो गये हैं। उनकी 55 वर्ष की आयु थी। वह 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर प्रथमबार निर्वाचित हुये। आप कई बार जन आन्दोलनों में जेल गये। आपने गन्ना आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और संसोपा के जिला मंत्री तथा जिला अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। संसोपा तथा सोशलिस्ट पार्टी की राज्य समिति के आप कई वर्षों तक सदस्य रहे और आप जनता जूनियर हाई स्कूल की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष भी रहे। आप यूपिका के चेयरमैन रहे। आपने जनता बुनकर मोर्चा की स्थापना की। उनकी स्मृति में श्रद्धान्जलि के पुष्प हमारी ओर से उनको अर्पित करने की कृपा करें।

श्री जवाहर लाल जी इलाहाबाद के एक जाने माने नेता थे। 1952 में पहली बार विधान सभा सदस्य चुनकर आये। फिर आप 1957 और 1967 में चुने गये। 1977 में जनता पार्टी के टिकट दर इलाहाबाद से विधान सभा हेतु चुने गये। इस प्रकार से 4 बार आप विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने 1942 के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया, डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत 18 मास तक जेल में भी रहे। जिला परिषद् इलाहाबाद के सदस्य, महात्मा रविदास छात्रावास इलाहाबाद, फिरोज गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शमशाबाद (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ, लखनऊ के आप सदस्य रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी श्रद्धान्जलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अजब सिंह का निधन 14 मई को हो गया। वे एक जाने माने नेता थे। श्री अजब सिंह 1977 में जनत

जनता पार्टी के टिकट पर चुने गये । कई वर्षों तक वह सहारनपुर जिला परिषद् के उपाध्यक्ष तथा एक वर्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे । सहकारी बैंक आदि कई संस्थाओं के आप संचालक रहे । उनके निधन से हमने एक महान समाजसेवी खो दिया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी श्रद्धान्जलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, एयर चीफ मार्शल लक्ष्मण माधव कात्रे का निधन हो गया है, वह लगभग 58 वर्ष के थे । उनके ऊपर देश के एक सम्मानित और गौरवपूर्ण पद का उत्तरदायित्व था । उन्होंने 1965 में और 1971 के युद्धों में बड़ी बहादुरी से देश की रक्षा की । उनको 4,600 घन्टों की उड़ान का अनुभव प्राप्त था । उनको एयर चीफ मार्शल का पदवी प्रदान किया गया । उनको कई पदक भी प्राप्त हुये । ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु पर मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी श्रद्धान्जलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाये ।

श्रीमन्, जो कनिष्क जम्बोजेट दुर्घटना ग्रस्त हुआ, वह बड़ी ही हृदय विदारक घटना थी । कुछ परिस्थितियों के कारण सारी बातें सामने नहीं आ पायी हैं, लेकिन दो ब्लैक बाक्स निकाल लिये गये हैं । हमें आशा है कि उनसे सारी स्थिति की जानकारी हो जायेगी कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है, लेकिन यह अवश्य है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, उसका यह शिकार हुआ है । जो सूचना मिली है, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद उसके प्रागदर्शन में है और इसका भी मुझे विश्वास है कि जो आज इस देश के और दूसरे देशों के लोगों ने, यात्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बलिवेदी पर कुर्बानी दी है, यह सोचने की बात है । यह विश्व भर के लिए और मानवता के लिए चिन्ता की बात है । आज संसार के सभी देशों ने जो संकल्प लिया है और हमारा जो अमूर्त संकल्प है कि हम इस आतंकवाद को समाप्त करें यह एक संकल्प मात्र है और आज की पृष्ठ भूमि में जो कार्य हुये हैं उसकी हम निन्दा करें, भर्त्सना करें । इसमें निरीह लोग मारे गये जिसमें 97 बच्चे भी थे । परिवार के परिवार समाप्त हो गये । विश्व विख्यात वैज्ञानिक नायडम्बा भी उसमें थ । श्रीमन्, हमारा आपसे आग्रह है कि इस अभूतपूर्व और हृदय विदारक दुर्घटना के कारण आज सारे संसार की मनो-भावना जागृत हुई, प्रतिक्रिया हुई, सारा समाज दुखी हुआ, इस दुखान्त स्थिति को देखते हुए और उन तमाम यात्रियों की शोक संवेदना को देखते हुए और यह भी देखते हुए कि दूसरे राज्य के विधान मंडलों ने भी अपने इस दुख को व्यक्त करने के लिए अपना कार्य स्थगित किया तो मेरा भी आपसे आग्रह है कि उनकी स्मृति में आज 5 बजे तक सदन का कार्य स्थगित रखने का कष्ट करें और उन तमाम 329 व्यक्तियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्वर्गीय राजाराम शास्त्री, फैजाबाद जिले के निवासी थे वे अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उच्च पदों पर भी रहे । उनके निधन से फैजाबाद जनपद ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक अच्छा समाज सेवी खो दिया । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तरफ के और इधर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों की तरफ से उनके परिवार एवं सम्बन्धियों तक हमारी यह संवेदना भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री मसूदुल हसन नोमानी बाराबंकी जिले के रहने वाले थे । सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मैंने भी उनके साथ काम किया । वे समाजवादी आन्दोलन के बहुत बड़े

कार्यकर्ताओं में से थे। किसानों की सेवा करने में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। एक बार तो किसानों की गन्ने की समस्याओं को लेकर जब उन्होंने संघर्ष किया उस समय मिल के जितने मालिक थे, उन्होंने इनको मारा। वह तो परमात्मा की कृपा से ही इतने दिनों तक जिन्दा रहे वरना पहले ही मार दिये जाते। इसलिए हमलोग दुखी हैं कि बाराबंकी जनपद ने एक अच्छा नेता खो दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके परिवार तक शुभ चिन्तकों को हमारी तरफ से, हमारे दल की तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, स्वर्गीय जवाहर लाल जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। एक लम्बे समय तक इस विधान सभा में वे सदस्य रहे। वे सन् 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आये थे। उस समय भी हमें उनसे सम्पर्क करने का मौका मिला। वे शांत स्वभाव एवं गम्भीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके निधन से इलाहाबाद के प्रमुख कार्यकर्ताओं को धक्का लगा है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी तरफ से यह शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, चौ0 गिरधारी लाल बिजनौर के रहने वाले थे और जैसा आपको भी पता है कि स्व0 चौधरी गिरधारी लाल जी बहुत लम्बे समय तक शासन में रहे और एक बार जैसा कि मुझे याद नहीं था और अब सूचना मिली कि वह विरोधी दल के नेता के रूप में सदन में रहे हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और जैसा हम सब जानते हैं इस प्रदेश से धीरे-धीरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उठते चले जा रहे हैं इससे हम सब दुखी हैं। वे केवल बिजनौर के ही नहीं पूरे प्रदेश के नेता थे उनके निधन से हम सबको दुख है। आप उनके शोक संतप्त परिवार और उनके शुभचिंतकों तक हमारे दल की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें।

स्व0 अजब सिंह हमारे निकट के और हमारे दल के प्रमुख नेताओं में से थे। वे कई सामाजिक और राजनीतिक पदों पर रहे। वे जिला परिषद् के उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में रह कर सहारनपुर जिले के विकास में लग रहे। वे वहां के जानेमाने नेताओं में से थे उनके निधन से हमारे दल को ही नहीं सहारनपुर जिले को बहुत बड़ी क्षति हुई और एक बहुत बड़ा नेता हमने खो दिया है। मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनके दुखी परिवार तक संवेदना भेजने की कृपा करें।

स्व0 शचीन्द्र नाथ बख्शी जी के बारे में जैसा बताया गया वे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने इस देश की राजनीति और लोकतंत्र को कायम रखने में बड़ी-बड़ी कुर्बानियां अपने जीवन में दी। आज वे इस संसार से चले गये जिससे हम सब दुखी है। उनके परिवार और उनके सम्बन्धियों तक हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें।

हमारे देश के वायु सेनाध्यक्ष स्व0 लक्ष्मण माधव कात्रे एक महान सेनाध्यक्षों में से थे उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में जो देश की रक्षा के लिए पुरुषार्थ दिखाया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके निधन से जो क्षति वायु सेवा को हुई है उससे हम सब दुखी हैं। आप उनके परिवार तक और उनके सम्बन्धियों तक हमारे और हमारे दल की तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें।

23 जून, 1985 को हमारे देश का "कनिष्क" वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और यह दुनिया की इस प्रकार की बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में से थी। जिस तरह से और जिन्होंने यह किया, जिसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, उनकी हम सब निन्दा करते हैं। लेकिन इस निन्दा के साथ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इस बात की आशंका के संकेत मिल रहे थे

कि इस प्रकार की दुर्घटनायें हो सकती हैं और उसको हम नहीं बचा सके, उसमें जिन्होंने असावधानी बर्ती है उनकी भी हम निन्दा करते हैं । इस दुर्घटना से हमारे देश के महान् वैज्ञानिक जल समाधि में समा गये और बहुत से परिवार भी जल में समा गये । जैसा कि हमें अखबारों से जानकारी मिली है हमारे यहां के कानपुर और इलाहाबाद के प्रोफेसर भी जलसमाधि में समा गये जिसका हमें दुख है । जैसा कि मालूम हुआ है कि ब्लैक बाक्स मिल गये हैं उनसे हमें सारी बातों की जानकारी होगी । हमें भारत सरकार को लिखना चाहिये कि इस बात की भी जांच हो कि इसमें किन लोगों का हाथ था । इस दुर्घटना से सारे संसार के लोग दुखी हैं । आपसे मैं अपनी और अपन दल की तरफ से उनके परिवार तक संवेदना भेजने के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना आप पहुंचा दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्वर्गीय गिरधारी लाल 6 बार मन्त्री रहे लेकिन वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका दूसरा पहलू है कि सामजिक क्षेत्र में उनका योगदान निर्बल लोगों के लिये बहुत बड़ा रहा है । उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में और जब वह मंत्री नहीं रहे तो स्वर्गीय चन्द्र भानु गुप्ता जी के साथ रहे, तब भी जो योगदान उन्होंने निर्बल लोगों को दिया है वह हमेशा याद किया जाता रहेगा । मुझे जहां तक स्मरण है स्व0 गिरधारी लाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगभग कई वर्षों तक मंत्री रहे । उनका योगदान खासतौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कृत्यों का हमेशा याद रखा जायेगा । इस प्रदेश में हम सब लोग जो उनके समय में काम नहीं करते थे राजनीति में लेकिन उनके कृत्यों से परिचित थे उनको याद करेंगे । स्व0 गिरधारी लाल का व्यक्तित्व ऐसा था जो सबको प्रभावित करता था । मान्यवर, आप हमारे और हमारे दल जनता पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदनायें भेजने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, स्वर्गीय शचीन्द्र नाथ बख्शी जो स्वर्गीय चन्द्रशेखर आजाद के साथ काम करते थे और उनके साथ कई क्रान्तिकारी कामों में उन्होंने भाग लिया था, काकोरी कांड में उनका प्रमुख हाथ था । उस समय जो काकोरी कांड हुआ था वह पूरे देश में ऐसा कार्य था जिसके द्वारा बाहर की शक्तियों को चुनौती देने का काम बड़े साहस का काम था, उसकी हम सराहना करते हैं । वह विधान सभा के एक बार सदस्य भी रहे थे, जिन्होंने उनको देखा और सुना एवं उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला उनको पता होगा कि उनका व्यक्तित्व एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदनायें भेजना चाहता हूं जिनको आप भेजने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, राजाराम मिश्र जी इस विधान सभा के दो बार सदस्य रहे । उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका अदा की थी जिससे उनको कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से आप कृपया उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, मसूदुल हसन नोमानी जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर आये । विधान सभा में उन्होंने बुनकरों के लिये, जिनका आज भी शोषण हो रहा है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और समय-समय पर उनके मामलों का निस्तारण करते रहे और यहां विधान सभा में बार बार उनके प्रश्नों को उठाया । आज उनके न रहने से बुनकर क्षेत्र में ऐसी रिक्तता आयी है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं की जा सकती है । कृपया आप मेरी ओर से और मेरे

दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, श्री जवाहर लाल जी 1952 में डबल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी, इलाहाबाद से चुनकर आये थे । एक सीट से बहुगुणा जी और दूसरी सीट से श्री जवाहर लाल जी आये थे और 1952 से लगातार इस विधान सभा के सदस्य चुने गये । उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सौम्य था । उन्होंने हरिजनों और निर्बलों के लिये बराबर कार्य किया है जिससे इलाहाबाद की जनता उनके कार्यों और कृत्यों को हमेशा याद करेगी । कृपया आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करेंगे । मान्यवर, इसी के साथ-साथ अजब सिंह जो सहारनपुर से 77 में चुनकर आए थे, बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक मिठास थी और हमेशा वह यही कोशिश करते थे और सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे । गन्ना क्षेत्र में जो किसानों की समस्याएं थीं, उनको दूर कराने के लिए वह सतत प्रयत्नशील थे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस विधान सभा में गन्ना किसानों के हित में वह अहम भूमिका अदा करते रहे । आज वह हमारे बीच नहीं हैं । लेकिन आप हमारी शोक संतप्त भावनाएं हमारे और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

एयर वाइस मार्शल श्री कात्रे जी के निधन से भी हम लोग बहुत दुखी हैं । कात्रे एक दूसरे एयर मार्शल थे जिनकी अपने कार्यकाल में दुखद मृत्यु हुई । इसके पहले एक वाईस मार्शल मुकर्जी की जापान में कार्य करते हुए-सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई थी । उसी प्रकार से एयर वाइस मार्शल कात्रे साहब का भी सेवाकाल में रहते हुए निधन हुआ है । वह एक निडर और अनुभवी व्यक्ति थे । दो युद्धों में उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया था । आज वह संयोग से हमारे बीच में नहीं हैं । दुखद रूप से हार्ट-अटैक से उनकी मृत्यु हुई है । कृपया ऐसे बहादुर एयर वाईस मार्शल की मृत्यु पर हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार को देने का कष्ट करें ।

हमारे जम्बो-जेट में करीब 329 आदमी मारे गये । जहां तक मुझे स्मरण है यह सबसे बड़ी वायु दुर्घटना थी दुनिया की । इससे पहले शायद ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है । अभी उसके कारणों का पता नहीं चला है । अब जबकि ब्लैक बाक्स मिल गये हैं कारणों का भी पता चल जाएगा । यदि आतंकवादियों की हिंसा के कारण यह दुर्घटना हुई है तो हमारे मुख्य मंत्री जो केन्द्र सरकार को खास तौर से इस विधान सभा की यह भावना पहुंचाने की कृपा करें कि आइन्दा इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न घटें । एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा आतंकवाद के कारण हुआ है तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने देने के लिए मुख्य मंत्री जी इस सदन की भावनाएं केन्द्र सरकार को पहुंचाने की कृपा करें । एक विशिष्ट वैज्ञानिक भी मारे गये हैं । इस सम्बन्ध में मैं यहां पर कई वर्ष पूर्व की घटना को सदन को याद दिलाना चाहता हूं स्वर्गीय भाभा जी भी, जो एटामिक दुनिया के क्षेत्र में भारत के पिता तुल्य थे, इसी प्रकार वायु दुर्घटना में मारे गये थे । उनके परिवार और 329 मृतकों के शोक-संतप्त परिवारजनों तक आप हमारी ओर से और जनता पार्टी की ओर से शोक-संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी ने जिन दिवंगत आदमियों की मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना के विचार व्यक्त किये हैं, मैं और मेरी पार्टी उनके साथ अपने को सम्बद्ध करती है । मान्यवर, यह जो सम्मानित सदन के 6/6 माननीय

सदस्यों के निधन के शोक प्रस्ताव आए हैं, उससे हम सब लोग बड़े दुखी हैं। ये उस समय की विभूतियां रही हैं, जिन्होंने अपने देश की आजादी के खातिर अपने प्राणों की परवाह किये बिना उस संघर्ष में हिस्सा लिया था-किसी ने सत्याग्रह और किसी ने क्रान्ति का पथ दिखाकर किया होगा। चौधरी गिरधारी लाल, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मसूदुल हसन नोमानी, जवाहर लाल, अजब सिंह ऐसी विभूतियां रही हैं इस प्रदेश के अन्दर, जिनका स्थान न केवल राजनैतिक क्षेत्रों में अपितु सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत ऊंचा रहा है। उनका जीवन ऐसा रहा है जिससे आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। एक प्रकार से हम और हमारा प्रदेश उस पुरानी पीढ़ी से वंचित होता जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को राजनीति करके देश सेवा को सर्वोच्च स्थान देकर कुछ आदर्श स्थापित किये थे। इन सबके निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। मैं और मेरी पार्टी इनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी प्रकार से वायु सेना अध्यक्ष कात्रे जी के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। इस देश के सम्मान को बचाने के लिये दो-दो बार युद्धों में उन्होंने भाग लेकर सेना का संचालन किया और देश का गौरव बढ़ाया। वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। पूरा देश उनकी सेवाओं को याद करेगा। उनके उठ जाने से एक बहुत ही अनुभवी सेनानी से हम वंचित हो गये हैं। हम उनके निधन पर दुखी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, 23 जून को एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें 329 निरपराध, निरीह लोगों के प्राण चले गये। जिस समय वह वायुयान में बैठे होंगे उनके परिवार के लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज वह काल-कवलित हो जायेंगे। यह जो दुर्घटना हुई है यह कई प्रकार के संदेहों की परिधि में घिरी हुई है। इसकी जांच चल रही है। ब्लेक बाक्सेज मिले हैं, जिनसे विवरण सामने आयेगा। परन्तु जो भी कारण सामने आयें इन 329 लोगों की जाने चली गयीं हैं। यह पूरे राष्ट्र के लिये बिल दहला देने वाली घटना है। हम इससे बहुत दुखी हैं। मैं और मेरा दल इससे बहुत शोक संतप्त है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को किसी माध्यम से शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का इसमें कोई हाथ है, वैसे तो अभी जांच पूरी नहीं हुई है, आज कुछ कह पाना कठिन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण दुर्घटना घटित हुई या अन्य कारण रहा होगा परन्तु यदि इसके पीछे आतंकवाद काम कर रहा है तो यह हमारे लिये बहुत ही चिंता का विषय है। आतंकवाद ऐसा विषय नहीं है जिस की दलगत राजनीति की परिधि के अन्दर विचार किया जाय। आतंकवाद इस देश की अखंडता, देश की सार्वभौम-सत्ता के लिये चुनौती है। आतंकवाद इस देश के लोकतंत्र के लिये चुनौती है। दलगत राजनीति की परिधि से ऊपर उठकर हम सभी को इस आतंकवाद की निंदा करनी चाहिये और इसका मुकाबला करने के लिये राष्ट्र को खड़ा किया जाना चाहिये।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन की भावनाओं से केन्द्रीय सरकार को अवगत करायें। किसी भी प्रकार का आतंकवाद क्यों न हो हम सब इस आतंकवाद की घनघोर निंदा करते हैं। आतंकवाद देश और प्रदेश के लिये खतरा बन रहा है। देश के लोकतंत्र के लिये खतरा बन रहा है तथा देश की एकता और देश की सार्वभौम सत्ता के लिये खतरा बन रहा है, इसके लिये हम चिंता व्यक्त करते हैं। देश

हमारे लिये प्यारा है। व्यक्ति से पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से देश बड़ा होता है। आतंकवाद देश के लिये खतरा बन रहा है इसकी जितनी निंदा की जाय कम है। यह जो दुर्घटना हुयी है और जिसमें 329 जानें चली गयीं हैं इससे पूरा राष्ट्रस्तब्ध रह गया है। इस दुर्घटना में मृत सभी लोगों के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मान्यवर, जितनी दिवंगत आत्माओं के प्रति यहां पर चर्चा हुई है मैं और मेरी पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की भावना को उनके परिवारों तक पहुंचा देने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, स्वर्गीय राजाराम मिश्र, मसूदुल हसन नोमानी, जवाहर लाल, गिरधारी लाल, अजब सिंह, शचीन्द्र नाथ बख्शी जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं वह आज हमारे बीच में नहीं रह गये हैं। मैं और मेरा दल उनके निधन से बहुत दुखी हैं। उनके निधन के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी तथा नेता भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं और मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है। और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवारों तक हम लोगों की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, देश के वायु सेनाध्यक्ष श्री लक्ष्मण माधव कात्रे का 1 जुलाई, 1985 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया। मान्यवर, श्री कात्रे के निधन से भारत की रक्षा सेवाओं एवं राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हुई है। मान्यवर, उनके विशिष्ट कृत्यों के कारण उन्हें देश सदैव याद करेगा। मान्यवर, उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपन को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, 23 जून को दिल दहला देने की दुर्घटना है। सारे लोग जो उसमें सवार थे अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद लगाये थे, पूरे लोग जल समाधि में चले गये। मान्यवर, इस दुर्घटना के पीछे गहरी साजिश है। मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जो विश्व साम्राज्यवाद का एक अस्त्र है, जिसे वह एक अस्त्र के रूप में तीसरी दुनियां के देशों को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिन शक्तियों ने काम किया है, उन शक्तियों की एक मत से निन्दा करनी चाहिए। मान्यवर, हमारा आपसे निवेदन है कि उन शोक-संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कौशिक राम शंकर--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राजा राम मिश्र, मसूदुल हसन नौमानी, जवाहर लाल गिरधारी लाल, अजब सिंह, शचीन्द्र नाथ बख्शी, सेनाध्यक्ष, श्री लक्ष्मण माधव कात्रे तथा 23 जून को जिन 329 लोगों ने जल समाधि ली, उनके निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता पार्टी, माननीय नेता भा0 ज0 पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त किया है, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, 23 जून को जो दुर्घटना हुई है, सब लोग उसका एहसास करते हैं कितनी भयानक दुर्घटना वह हुई और मान्यवर, मैं तो और नजदीक से एहसास करता हूं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि मेरे निकट संबंधियों में से एक परिवार जल समाधि ले चुका है। मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, हमारी संवेदनायें उन परिवारों तक पहुंचा दें। मान्यवर, एक बात की ओर माननीय नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 23 नवम्बर, 1984 को शचीन्द्र नाथ बख्शी का निधन हुआ और 13 दिसम्बर, 1984 को राजा राम मिश्र का निधन हुआ, हमारे पास ये सूचनाएं इतनी देर से पहुंचीं, यह उचित नहीं है, इसकी ओर भी अपेक्षित ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो माननीय गिरधारी लाल, शचीन्द्र नाथ बख्शी, राजा राम मिश्र, मसूदुल हसन नोमानी, जवाहर लाल, अजब सिंह जो इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, जो अब इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं और इनके निधन के बारे में जो नेता सदन ने शोक प्रस्ताव रखा है और जो विचार और उनके जीवन परिचय के बारे यहां पर अपने विचार रखे हैं और इसके साथ ही नेता विरोधी दल तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो विचार रखे हैं मैं और हमारी पार्टी उससे अपने आप को सम्बद्ध करती है। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं और मेरी पार्टी संवेदना प्रकट करती है। माननीय अध्यक्ष जी हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, हमारे वायु सेनाध्यक्ष स्व0 श्री लक्ष्मण माधव कात्रे हमारे बीच नहीं रहे जिनका असामायिक निधन हो गया जबकि हमारे देश में आतंकवाद की चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं ऐसे नाजुक समय में उनका हमारे बीच से हट जाना बहुत ही दुखद बात है। यह एक अपूर्णीय क्षति है। मैं तथा मेरी पार्टी कात्रे जी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, जो 23 जून की घटना है वह बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें इतने लोगों की जानें गयी इस घटना से न केवल हमारे देशवासियों को दुख पहुंचा है वरन् सारी दुनियां के लोगों पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला है, सभी लोग स्तब्ध हुए हैं। अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि यह घटना उग्रवादियों की साजिश से हुई है या आतंकवादियों का इस घटना में हाथ है ? लेकिन जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं उससे लगता है कि साम्राज्यवादियों की साजिश है और उग्रवादी तत्व इसमें शामिल हैं। यह हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। हम सभी देशवासियों को सजग रहना पड़ेगा। आज जो हमारे देश में उग्रवादी तत्व हैं वह हमारे देश को खंड-खंड कर देना चाहते हैं। जो स्वतन्त्रता हमारे देश के नौजवानों ने अपनी कुरबानी देकर हासिल की है उस स्वतन्त्रता को यह विदेशियों के हाथ बेच देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग काल-कवलित हो गए हैं उनके परिवार के प्रति मैं तथा मेरी पार्टी अपनी संवेदनायें व्यक्त करती है। हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, जो निधन की सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है और जो विचार माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, मैं उससे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, माननीय शचीन्द्र नाथ बक्शी से मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क था। उनके साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का अन्त हो गया । वह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन में और अन्य सार्वजनिक कामों में आखिरी सांस तक सम्बद्ध रहे । मान्यवर, जब तक इस देश में समाजवाद की स्थापना नहीं होती, मनुष्य के जरिए मनुष्य का शोषण समाप्त नहीं होता तब तक यह युद्ध जारी रहेगा ।

मान्यवर, 23 जून को जो दुर्दान्तिक और मार्मान्तिक घटना हुई उसकी पीड़ा और वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, इसके पीछे जो आतंकवाद की कार्य पद्धति की मानसिकता है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इस बात को लक्षित किया । सारी दुनिया और यह देश तारतम्यवाद की आग से बहुत नुकसान उठा चुका है और बहुत पीड़ा भोग चुका है । इस तरह के आतंकवाद और विघटनवाद का हम सब को मुकाबला करने हेतु, ऐसी ताकतों से बचाव के लिये तथा इनका कड़ा विरोध करने के लिये खड़ा होना चाहिये । ऐसी चीजों को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये । ऐसे घृणित कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें, देश के अन्दर विघटन की शक्तियां लगी हैं, ऐसी शक्तियों की खोज करके, जानकारी करके सम्पूर्ण मानवता की तरफ से, पूरे देश की तरफ से ऐसी शक्तियों का मुकाबला करके उनको समाप्त किया जाना चाहिये । मैं इन शब्दों के साथ में अपने को और अपने दल अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो भाव माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे सम्बद्ध करता हूं, और शोक सन्तप्त परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनायें शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे बीच में 7 महानुभाव नहीं रहे । माननीय नेता सदन, विरोधी दल के नेता और जो अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । एक-एक करके ऐसी हस्तियां हमारे बीच से उठती जा रही हैं । श्री राजाराम मिश्र, मसूदुल हसन, जवाहरलाल, शचीन्द्र नाथ बख्शी, गिरधारी लाल, अजब सिंह तथा वायुसेना अध्यक्ष कात्रे हमारे बीच में नहीं रहे । यह दुखद घटना तो हुई । इ के अलावा जम्बोजेट का दुर्घटना हुई । ऐसी दुर्घटना न कभी सुनने में आयी और मैं समझता हूं कि न ऐसी दुर्घटना भी हुई है । 329 बेगुनाह किस जुर्म में मारे गये यह दुनिया समझ सकती है, देख रही है । एक बात सन्तोषजनक हुई कि इस बड़ी दुर्घटना की उसी तरीके से, बड़े तरीके से तलाश भी हुई । हजारों फुट, कई सौ किलोमीटर की गहराई से ब्लैक बाक्स निकलना, यह बात भी अपनी जगह स्थान रखती है । मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन की संवेदना को दुखी परिवारों तक भेजूंगा ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । 4.57 पर फिर बैठेंगे ।

(इस समय 1 बज कर 24 मिनट पर मृतात्माओं के सम्मान में सदन 4 बजकर 47 मिनट तक स्थगित किया गया । 4 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुहम्मद आजम खां द्वार व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने लिखकर आपको दिया है और आपने मुझसे यह फरमाया था कि

दुबारा जब बैठक होगी तब आप मुझको सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी स्वीकृति आपको नहीं दे रहा हूं । 5 बजे बजट पेश करने का समय है ।

(व्यवधान)

बजट साहित्य के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 1985–86 के आय–व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है—

"हां" सभा कक्ष में

समस्त महिला सदस्य, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर–खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले ।

(इस बीच श्री मुहम्मद आजम खां सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे । श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, शतरुद्ध प्रकाश व श्री राम सरन के प्रयास से वह अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

"नहीं" सभा कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर (नगर), कानपुर (देहात), इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिले ।

माननीय सदस्य उपरोक्तानुसार अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

वित्तीय वर्ष 1985–86 का आय–व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

मैं, आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1985–86 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

(मेजों को थपथपाहट)

(सदन में बजट की प्रतियां बांटी गयी)

जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है इस वर्ष का बजट सातवीं पंचवर्षीय योजना काल का पहला बजट है और प्रदेश की जनता व माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं के अनुरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यह बजट एक मार्गदर्शक होना चाहिए । बजट के सम्बन्ध में मुख्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान छठी पंचवर्षीय योजनाकाल तथा उसके अन्तिम वर्ष 1984–85 में विभिन्न योजनाओं में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे कि जो योजनायें और कार्यक्रम हम प्रस्तावित कर रहे हैं उनको सही परिपेक्ष्य में देखने का माननीय सदस्यों को मौका मिले ।

यह सन्तोष का विषय है कि अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1977–80 की औसत आय को आधार मानकर छठीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में विकास की दर कृषि एवं संबंधीय सेक्टर में 5.2 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिजकर्म में 9.0 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 6.1 प्रतिशत रही। इस प्रकार छठी योजना की कुल मिलाकर औसत दर 6.0 प्रतिशत रही ।

वर्ष 1970–71 के मूल्यों (अर्थात् स्थायी मूल्यों) पर राज्य की आय 1980–81 में 5693 करोड़ रुपये थी

जो 11.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1983–84 में 6339 करोड़ रुपये हो गई। मोटे अनुमानों पर राज्य की कुल आय 5.7 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 1984–85 में 6700 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। प्रचलित मूल्यों पर राज्य की आय वर्ष 1980–81 में 13955 करोड़ रुपये थी तथा 1983–84 में यह आय 18633 करोड़ रुपये हो गई। स्थायी मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1980–81 में 519 रुपये थी जो बढ़कर 1983–84 में 533 रुपये हो गई। उपलब्ध मोटे अनुमानों के आधार पर 1984–85 में प्रति व्यक्ति आय 548 रुपये होने की आशा है। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1980–81 में 1272 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 1983–84 में 1567 रुपये हो गई।

माननीय सदस्यों को यह जानकर भी सन्तोष होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष गति आई और उत्तर प्रदेश ने बीस सूत्रीय कायक्रम में सम्पूर्ण देश में छठा स्थान प्राप्त किया।

वर्ष 1979–80 में प्रदेश में चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 5.06 कुन्तल था, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यह बढ़कर 12.97 कुन्तल हो गया।

वर्ष 1979–80 में गेहूं का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादत 13.14 कुन्तल के स्थान पर वर्ष 1984–85 में यह औसत बढ़कर 1867 कुन्तल हो गया।

वर्ष 1979–80 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 164 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर 1983–84 में 292 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में इस अवधि में लगभग 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1984–85 में खाद्यान्न उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 4.5 प्रतिशत अधिक होगा।

उर्वरकों की खपत 1684–85 में 16.13 लाख टन हो गयी जबकि यह 1979–80 में 10.10 लाख टन थी तथा वर्ष 1985–86 की खरीफ में ही 7.50 लाख टन उर्वरकों की खपत होने का अनुमान है।

कृषि के लिए कुल अल्पकालिक ऋण की धनराशि वर्ष 1979–80 में 166 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1984–85 में लगभग 300 करोड़ रुपये हो गयी।

गन्ना एवं आलू जैसी प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी बराबर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1981–82 में गन्ने का उत्पादन 764 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1983–84 में बढ़कर 782 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 1983–84 में वर्ष 1981–82 की तुलना में गन्ने के उत्पादन में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आलू का उत्पादन जो वर्ष 1981–82 में 43.8 लाख मीट्रिक टन था वर्ष 1983–84 में 55.6 लाख मैट्रिक टन हो गया। यह वर्ष 1981–82 की तुलना में 26.9 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1984–85 में आलू का उत्पादन 60 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। यह अब तक का कीर्तिमान होगा।

यह उल्लेखनीय है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में यह वृद्धि विशेषकर प्रदेश के अनेक पूर्वी जिलों में हुई है जो कृषि तथा अन्य क्षेत्रों मे पहले अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे।

वर्ष 1984 85 में प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक वित्त पोषण संस्थाओं का देश में प्रमुख स्थान रहा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा 94.8 करोड़ रुपये का औद्योगिक ऋण स्वीकृत किया गया तथा 54.28 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जो कि न केवल इस निगम के लिए एक कीर्तिमान था बल्कि इस उपलब्धि के द्वारा इस निगम

का स्थान पूरे देश में प्रथम हो गया। इसी तरह से पिकअप, जो प्रदेश की भारी और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख संस्था है, ने भी वर्ष 1984-85 में अच्छा उपलब्धि की ओर इसने 47.00 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये और 24.07 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये।

वर्ष 1984-35 में उत्तर प्रदेश के लिए 136 औद्योगिक आशय-पत्र प्राप्त हुए जिनमें 1942 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है और ये उद्यो वित्तीय वर्ष 1985-86 तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष काल में स्थापित किये जाने की आशा है।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चीनी, सीमेन्ट एवं वस्त्र उद्योग परम्परागत होते हुए भी प्रदेश के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। चीनी का उत्पादन वर्ष 1981-82 में 14.84 लाख मीट्रिक टन था जो 35.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 1983-84 में 20.08 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सीमेन्ट का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 1981-82 में सीमेन्ट का उत्पादन 6.75 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1983 में 48 प्रतिशत बढ़कर 9.99 लाख मीट्रिक टन हुआ।

इसी अवधि में सूती धागे के उत्पादन में 69.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1983-84 में सूती धागे का उत्पादन 1.17 लाख मीट्रिक टन हुआ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970-71=100) वर्ष 1981-82 में 207.0 था जो 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1983-84 में 227.7 हो गया।

मैंने भारतीय सदस्यों के समक्ष छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में कुछ पंचवर्षीय योजनाकाल में कुछ मुख्य क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का वर्णन किया है तथा मुझे विश्वास है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों के फलस्वरूप एक सुदृढ़ आधार सप्तम पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य के त्वरित विकास हेतु स्थापित हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जिन उपलब्धियों का वर्णन किया गया है वे और भी महत्व-पूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यह कार्य अनेक कठिन परिस्थियों में सम्पन्न हुआ। इसी अवधि में लोक सभा व विधान सभा के चुनाव भी सम्पन्न हुए जिनके कारण भी कुछ व्यवधान होना स्वाभाविक था।

प्रदेश में दैवी आपदाओं का जो क्रम 1979-80 से आरम्भ हुआ वह वर्ष 1984-85 में भी जारी रहा। नवम्बर, 1984 से मार्च, 1985 की अवधि में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण प्रदेश के 26 जनपदों में 17867 ग्रामों की 80.77 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। रबी की फसल में विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तक हानि होने से लगभग 426.05 करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा 4424 ग्राम पेयजल संकट से प्रभावित हुए। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रदेश व्यापी कार्यवाही की गई भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

केन्द्रीय योजना आयोग के परामर्श से सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के आकार से लगभग 77.4 प्रतिशत अधिक है। इस योजना में पर्वतीय क्षेत्र की योजना के लिए 1075 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित है। सातवीं योजना में कृषि एवं संबंधीय सेक्टरों में 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर, उद्योग एवं खनिज में 10.0 प्रतिशत, अन्य सेक्टरों में 5.8 प्रतिशत अर्थात् औसत 6 प्रतिशत वृद्धि दर प्रस्तावित की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत देश की सप्तम पंचवर्षीय योजना के मार्गदर्शक बिन्दुओं में इस बात पर बल दिया गया है कि निर्माणाधीन योजनाओं को पहले पूरा किया जाय तथा चालू योजनाओं में सृजित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय। राज्य की सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्ताव उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित किये गये हैं। परिव्यय के आवंटन में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है जिससे सातवीं योजनाकाल के भीतर ही लाभ मिलने लग जायें।

संक्षेप में सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई एवं विद्युत के लिए 5648.50 करोड़ रुपये (51.4 प्रतिशत), कृषि एवं संबंधीय क्षेत्र, ग्रामीण विकास तथा सहकारिता हेतु 1541.56 करोड़ रुपये (14.0 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिज के लिए 737.43 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार के लिये 1194.99 करोड़ रुपये (10.9 प्रतिशत), सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 1817.13 करोड़ रुपये (16.5 प्रतिशत) तथा वैज्ञानिक आर्थिक एवं सामान्य सेवाओं के लिए 60.34 करोड़ रुपये (0.5 प्रतिशत) रखे गये हैं।

वर्ष 1985–86 की वार्षिक योजना का आकार 1750 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वर्ष 1984–55 की वार्षिक योजना के आकार से 9.3 प्रतिशत अधिक है।

पर्वतीय विकास

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं के समाधान व पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वर्ष 1985–86 के लिए परिव्यय 177 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें 108 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान सम्मिलित है।

कृषि

वर्ष 1985–86 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 317.80 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। कृषि उत्पादन को और गति प्रदान करने एवं उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य के कई नयी योजनाओं का शुभारम्भ इस वर्ष किया जा रहा है। चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के दस जनपदों में एक-एक विकास खंड में वर्ष 1984–85 में चालू की गई अग्रगामी योजना से चावल की उत्पादकता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी इस योजना को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के समान सहयोग के आधार पर चौबीस जनपदों के 102 विकास खंडों में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखंड में सोयाबीन उत्पादन को व्यापक रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय भी लिया गया है।

वर्ष 1985–86 से एक नयी रणनीति के अनुसार समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रख्यात ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम को कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये लागू किया जायेगा तथा शारदा सहायक, रामगंगा तथा गंडक कमांड एरिया के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक खेती की आधुनिकतम तकनीक पहुंचायी जायेगी। सम्बन्धित काश्तकारों के लिये अधिकतम फसल चक्र के माध्यम से खेती उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जायेगा जिससे कि वांछित क्षेत्रों में सिचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर अधिक बल दिया जायेगा तथा आर0 एल0 आई0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 की योजनाओं के माध्यम से वर्ष 1985–86 में 832.43 लाख रोजगार दिवस सृजित किये जायेंगे।

कृषि उत्पादन को उचित वितरण व्यवस्था हेतु वर्ष 1984-85 में 20 प्रधान मन्डी स्थल तथा 17 उप मंडी स्थल एवं 15 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया। वर्ष 1985-85 में 16 प्रधान मंडी स्थल, 80 उप ग्रामीण मन्डी स्थल तथा 40 ग्रामीण गोदामों का निर्माण करना प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये माइक्रो स्तर पर समीक्षा की जायेगी और इसके लिये प्रत्येक ग्राम में परिवारों का एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें वे सभी सूचनायें संकलित होंगी जो सम्बन्धित परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये सहायता दिये जाने हेतु आवश्यक हैं। इस हेतु आई0 आर0 डी0 योजना व गांव पंचायत के सम्बन्धित रजिस्टरों में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे जिससे मालूम हो सके कि प्रत्येक गांव में कौन-कौन श्रेणी के अन्तर्गत लाभार्थी होने के पात्र हैं। इस तरह से चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ततोगत्वा सभी गरीब व्यक्तियों तक पहुंच सकेगा जिसे माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा में युवक-मंगल-दल का इस अन्तर्राष्ट्रीय-युवा-वर्ष में पूर्ण हों जाये और युवक-मंगल-दल तथा महिला-मंगल-दल मिल कर ग्रामीण जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के अग्रदूत बने।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के अन्त तक 17.95 लाख आवास स्थल विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं। सातवीं पंच-वर्षीय योजनाकाल में हमारा यह प्रयास होगा कि ग्रामीण आवास भी अधिक से अधिक संख्या में बनाये जायं जिससे कि ग्रामीण क्षेनब त्रों में ये जायं जिससे कि ग्रामीण आवास भी अधिका से अधिक संख्य में बनाये जायं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय दिशा में भी गुणात्मक परिवर्तन हो। साथ ही साथ ग्रामीण स्वच्छता एवं सफाई (सेनीटेशन) की ओर भी ग्रामवासियों को प्रेरित किया जायेगा। भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1985-86 में बीस हजार ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ग्रामीण सेनीटेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से प्रदेश के 48 ब्लाकों को छांटा गया है जिनमें सेनीटेशन की सुविधायें सुलभ शौचालय तथा अन्य माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

बीहड़ सुधार

केन्द्र सरकार ने माननीय प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में बीहड़ के इलाकों के सुधार एवं उन्हें कृषि योग्य बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश शासन ने भी अपने स्तर पर बीहड़ के सर्वेक्षण तथा उसको उपयोगी बनाने के उपायों के सम्बन्ध में एक समिति गठित कर दी है जिसके रिपोर्ट प्राप्त

हो गई ह । इस कार्य को भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम उच्च प्राथमिकता देने जा रहे हैं जिससे कि हमारे प्रदेश के वे क्षेत्र जो बीहड़ या ऊसर हैं, खेती योग्य हो सकें और इसका उपयोग एवं लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंच सकें ।

सिचाई

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजकीय सिचाई साधनों से सृजित की क्षमता लगभग 102 लाख हेक्टेयर अनुमानित है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 116 लाख हेक्टेयर होने की आशा है । सप्तम योजना में सृजित होने वाले 14 लाख हेक्टेयर में से 6.97 लाख हेक्टेयर क्षमता वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं से तथा शेष क्षमताअन्य राजकीय एवं लघु सिचाई परियोजनाओं से सृजित होगी ।

वृहत् एवं मध्यम सिचाई की 76 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 14 योजनाओं को वर्ष 1985-86 में पूरा करने का लक्ष्य है । 38 योजनाओं को सातवीं योजना के बाकी वर्षों में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । राम-गंगा बांध समानान्तर निचली गंगा नहर, अडवा बांध, लस्तर घाटी एवं खारा नहर परियोजनाओं के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं । अन्तरप्रदेशीय सहयोग से दो योजनायें बुन्देलखंड में राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सहयोग तथा बानसागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के सहयोग से निर्माणाधीन हैं ।

125 वर्ष से अधिक पुरानी ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1984-85 में आरम्भ किया गया है । इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ रुपये है । विश्व बैंक के साथ प्रथम चरण के प्रथम 6 वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित कार्यों के वित्तीय पोषण का अनुबन्ध किया गया है, जिसमें 173.4 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6750 राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा वर्ष 1985-86 में 1200 नलकूपों के उर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है । इस समय विश्व बैंक तथा आईफेड की सहायता से द्वितीय उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना चल रही है जिसमें 2200 नलकूपों का निर्माण तथा 750 नलकूपों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है । 3000 नलकूपों के निर्माण तथा 1500 नलकूपों के आधुनिकीकरण की तृतीय उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

उत्पादन वृद्धि में निजी लघु सिचाई एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों के योगदान के महत्व को देखते हुये सरकार ने इस कृषकों के लिये भारत सरकार द्वारा अनुमोदन 25 प्रतिशत एवं 33/1/3 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 33 1/3 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत कर दिया है । इन कृषकों के लिये निःशुल्क बोरिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है ।

बाढ़ से प्रभावित 73.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से छटी योजना के अन्त तक 13 67 लाख हेक्टेयर यथासम्भव सुरक्षित किया जा सका है । सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 1985–86 में 20 किलोमीटर लम्बे सीमान्त बांध एवं 40 किलोमीटर लम्बे जलोत्सारण कार्यों से 20,000 हेक्टेयर भूमि सुरक्षा प्रस्तावित है ।

ऊर्जा

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी ऊर्जा के विकास को उच्च प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय जारी रखा गया है क्योंकि बिना ऊर्जा के विकास के न तो कृषि के क्षेत्र में से और न ही औद्योगिक क्षेत्र में वांछित प्रगति हो पायेगी । ऊर्जा के विकास हेतु 3440 करोड़ रुपये की धनराशि सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल तथा 595 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष 1985–86 में आवंटित किया जाना प्रस्तावित है । इस समय प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता 4084 मेगावाट है जो वर्ष 1985–86 के अन्त तक बढ़ाकर 4294 मेगावाट हो जायेगी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक 5722 मेगावाट हो जायेगी । वर्ष 1985–86 में उत्तर प्रदेश में 13554 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 25047 मिलियन यूनिट होना प्रस्तावित है । वर्ष 1985–86 के अन्त तक प्रदेश के 67333 गांवों में बिजली पहुंच जायेगी । इसी वर्ष में ओबरा यूनिट नं0 12 तथा 9 (प्रत्येक की 200 मेगावाट क्षमता), ओबरा यूनिट नं0 6, 7 एवं 8 (100 मेगावाट क्षमता), पनकी यूनिट नं0 4 (110 मेगावाट क्षमता) तथा हरदुआगंज यूनिट नं0 7 (109 मेगावाट क्षमता) के आधुनिकीकरण का कार्य प्रस्तावित है ।

प्रदेश में विद्युत प्रसार की बढ़ी हुई गतिविधियों तथा विद्युत व्यवस्था में आ रहे भवरोधों को देखते हुए राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है । क्षेत्रीय अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर पूरा उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है । बोर्ड के उत्पादन एवं मुख्य पारेषण कार्य व वितरण एवं राजस्व कार्य भिन्न-भिन्न सदस्यों के अधीन कर दिये गये हैं, जो अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से कार्य करेंगे और सभी सदस्य अलग-अलग परिषद के समक्ष अपने क्षेत्र की कार्यप्रणाली, लाभ-हानि व कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे । वितरण व्यवस्था के सुप्रबन्ध के लिये प्रदेश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र एक मुख्य अभियन्ता के अधीन होगा ।

उद्योग

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश में एक लाख छोटे तथा ग्रामीण उद्योग लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त सभी उद्योग-शून्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से स्थापित की जायेंगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का वृहत कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा प्रत्येक

जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ज्ञान-वृद्धि-शिविर आयोजित किये जायेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्रदेश में एक उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना स्वीकार कर ली है जो प्रदेश के उद्यम प्रशिक्षण का केन्द्र-बिन्दु होगा। वर्ष 1985-86 में लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक नये कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जैसे :--

(क) अलीगढ़ में ताला नगर की स्थापना जिसके माध्यम से अलीगढ़ में ताला उद्योग में लगे बहुधिक मजदूरों को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास किया जायगा जिससे कि उनके द्वारा निर्मित तालों की गुणवत्ता में सुधार आये।

(ख) आगरा में जूता और चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रयास इस सन्दर्भ में एक चर्म नगर की स्थापना की जायगी जिसमें विपणन, शेड तथा वर्कशाप आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध रहें।

(ग) जनपद मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर निगम द्वारा एक रोलिंग मिल की स्थापना की जायेगी।

औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु बिक्री-कर की छूट या स्थगन की योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये पाइनियर व प्रेस्टीज इकाइयां स्थापित करने की योजना को सातवीं योजनाकाल में भी जारी रखा जायेगा। जेनरेटिंग सेट्स लगाने पर जो सब्सिडी की सुविधा औद्योगिक इकाइयों को वर्तमान में मिल रही है उसे सप्तम पंचवर्षीय योजनाकाल में भी जारी रखा जायगा।

प्रदेश सरकार का यह भी प्रयास होगा कि भारत सरकार एवं निजी उद्योगपतियों द्वारा, जो बड़े उद्योग जैसे हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, इण्डियन टेलीफोन उद्योग, मनकापुर (गोन्डा), जी० सी० एम० टोयटा लगाये जा रहे हैं, उनके पूरक उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाय।

उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम के द्वारा बलिया व जौनपुर में तथा उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ द्वारा गाजीपुर में एक-एक कताई मिल की स्थापना की जा रही है। जनपद एटा में एक नई स्पिनिंग मिल स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना में पूर्व स्थापित कताई मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कार्य किया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा नवीन वस्त्र उद्योग नीति के अनुरूप इस प्रदेश में भी अधिक पावरलूम लगाये जायेंगे।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्यम एवं भारी उद्योग के विकास हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 7000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश विभिन्न स्रोतों से प्रस्तावित है। बाम्बे हाई से प्राप्त गैस पर आधारित चार बड़े उर्वरक कारखाने आंवला, शाहजहांपुर, बबराला (बदायूं) व जगदीशपुर में लगाये जायेंगे, जिनमें

के दो पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा यह आशा है कि ये कारखाने सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कार्यरत हो जायेंगे । लगभग अठारह सौ करोड़ रुपये की विश्व की बड़ी गैस पाइप लाइनों में से एक पाइप लाइन बनायी जायेगी जो इन कारखानों को महासागर से निकली गैस पहुंचायेगी । सलेमपुर (अलीगढ़) में एरोमेटिक्स काम्पलेक्स 1200 करोंड़ रुपये की लागत से लगाने का प्रस्ताव केन्द्र ने सिद्धान्ततः स्वीकृत किया है ।

जगदीशपुर औद्योगिक आस्थान में 140 करोड़ रुपये लागत का कैप्रोलैक्टम का कारखाना भी लगाया जा रहा है ।

जनपद लखनऊ में टेल्को द्वारा 30 करोड़ रुपये लागत का वाणिज्यिक वाहन बनाने का कारखाना लगाने की योजना है ।

25 करोड़ रुपये लागत से बिरला यामाहा द्वारा डीजल जनरेटर की कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है ।

जिला बांदा में 150 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा फ्लोट ग्लास का कारखाना लगाया जायेगा ।

कतिपय नई इकाइयों जैसे कि गाजीपुर में स्टील कम्पोनेन्ट प्लान्ट, जौनपुर में हिन्दुस्तान केबल का कारखाना तथा अल्मोड़ा जिले में एक्स-रे या फोटो फिल्म इकाई लगाने पर भी भारत सरकार से विचार विमर्श हो रहा है । नोयडा क्षेत्र में राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं राष्ट्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा देहरादून में इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में इलेक्ट्रानिक उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक नये इलेक्ट्रानिक विभाग की स्थापना की है । पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास हेतु उत्तर प्रदेश पर्वतीय इलेक्ट्रानिक निगम की स्थापना की जा रही है । उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम द्वारा देश में पहली बार टेलीविजन के रंगीन ट्यूब बनाने का उद्योग जनपद गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है । प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक उद्योगों को लगाये जाने हेतु अनुकूल प्राकृतिक वातावरण भी उपलब्ध है । पौड़ी-गढ़वाल में सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स की एक बड़ी इकाई कोटद्वार में निर्माणाधीन है । अल्मोड़ा जनपद में सेजलेक इन्डिया लि० के सहयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक उपकरण का कारखाना लगाया जा रहा है ।

स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिक्षित बेरोजगारों के लिये 25000 रुपये तक बैंक ऋण देने की योजना दो वर्ष पूर्व आरम्भ की थी । वर्ष 1985-86 में भी शिक्षित बेरोजगारों को इस योजना से लाभान्वित कराने का लक्ष्य है । प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के लिये 6500 रुपये तक बैंक ऋण देने की भी योजना आरम्भ की है जिसमें ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा देय है ।

प्रदेश शासन ने एक नया महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया है कि प्रदेश में स्थित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन दिया जाये और इस कार्य हेतु प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है ।

चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास

हमारे प्रदेश में कृषकों की एक बड़ी संख्या गन्ने की खेती पर निर्भर है तथा गन्ना कृषकों के हितों को देखते हुए पेराई सत्र 1983-84 की अपेक्षा 1984-85 में शासन द्वारा गन्ने की अधिक कीमत दिलाई गई । वर्ष 1984-85 में कुल गन्ना मूल्य 329.21 करोड़ रुपये मिलों पर देय हुआ था जिसका

लगभग 94 प्रतिशत भुगतान हो चुका है । प्रदेश शासन के प्रयास से इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक से सहकारी गन्ना समितियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को सीधे ही रियायती दर पर कृषि निवेशों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सका है । अब गन्ना किसानों को कृषि निवेश ऋण 12.5 से 14.0 प्रतिशत के रियायती दर पर उपलब्ध कराया जावेगा परन्तु छोटे कृषकों के लिए 5000 रुपये तक के ऋण पर ब्याज की दर 11.50 प्रतिशत होगी । इसके अतिरिक्त गन्ना समितियों की चीनी मिलों से गन्ने की आपूर्ति पर मिलने वाला विक्रय कमीशन 20 पैसे प्रति कुन्तल से बढ़ा कर 50 पैसे प्रति कुन्तल कर दिया गया है जो पेराई सत्र 1985–86 से प्रभावी होगा ।

सहकारी क्षेत्र की मोरना, सेमोखेड़ा, सितारगंज, घोसी तथा नानपारा की नयी चीनी मिलों ने पेराई सत्र 1984–85 में कार्य शुरू कर दिया है तथा सम्पूर्णनगर, गदरपुर तथा पूरनपुर की चीनी मिलों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । इसके अलावा पुवायां में एक सहकारी चीनी मिल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत घाटमपुर में एक चीनी मिल स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है । सातवीं योजना में चार अन्य नयी चीनी मिलें भी सहकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जावेंगी ।

सातवीं योजनाकाल में सहकारी क्षेत्र में दो नई आसवनियां लगाई जावेंगी तथा पूर्व स्थापित चार आसवनियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जावेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों म आवश्यकतानुसार क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण आदि कार्य किए जा रहे हैं । प्रदेश की चीनी मिलों पर आधारित आसवनियों के उत्प्रवाह का उपयोग कर वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन करने हेतु एफल्युएन्ट प्लान्टस भी वर्ष 1985–86 में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

सड़कें एवं यातायात

प्रदेश शासन द्वारा सड़कों के निर्माण को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यातायात के साधन सुधारने से क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा तथा आर्थिक विकास की गति तेज होगी । अकेले वर्ष 1984–85 में लगभग 19,400 किलोमीटर पक्की तथा कच्ची सड़कों का निर्माण शुरू किया गया । प्रदेश में स्थित 1500 या उससे ऊपर की जन–संख्या के ग्राम सभा, जिनकी संख्या 10,898 है, को सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । इसी के साथ यह भी प्रस्तावित है कि 1000 और 1500 के बीच वाले जनसंख्या के 11067 गांवों में से 50 प्रतिशत को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सड़क निर्माण का अधिकाधिक कार्य आधुनिक तकनीक से किया जाये जिससे कि निर्माण कार्य की गुणता उच्चकोटि की हो । यह कार्य प्रदेश के सभी महा–नगरों में, अनेक नगरपालिकाओं में तथा प्रदेश के भिन्न–भिन्न भागों की मुख्य सड़कों पर प्रारम्भ हो चुका है । हमारा निश्चय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्थानीय निकाय इस कार्य को गतिशीलता से जारी रखें । इस तेजी से चल रहे कार्य में हमें जनता व सदन के सम्मानित सदस्यों का पूर्ण सहयोग एवं सद्भावना मिली है जिसके लिये हम आभारी हैं । मुझे आशा है कि भविष्य में भी यह सहयोग इसी प्रकार प्राप्त होगा जिससे हम इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिक व्यापक रूप में चला सकें जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का समन विकास हो सके ।

यात्रियों को परिवहन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने की दिशा में शासन चेष्टा–शील है । वर्ष 1984–85 के अन्त तक परिवहन निगम की कुल 2616 बसों की त्वरित प्रतिस्थापना की आवश्यकता है ।

निगम के बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक वाह्य एवं अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा रहे हैं और इसी क्रम में नवम्बर, 1984 में 820 नई बसें खरीदी गई हैं। वर्ष 1985-86 में 1,500 बसें क्रय करने का प्रस्ताव है जिनमें 1,380 बसें प्रतिस्थापन हेतु तथा 120 बसें नये मार्गों पर विस्तार एवं प्रसार हेतु होंगी।

गलत टिकटों की बिक्री रोकने तथा अन्य स्टेशनरी की त्वरित उपलब्धता हेतु परिवहन निगम द्वारा लखनऊ में अपना केन्द्रीय मुद्रणालय स्थापित किया जा रहा है जो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करना शीघ्र आरम्भ कर देगा।

मोटर गाड़ियों के विभिन्न अधिनियमों के प्रभावी ढंग से पालन कराने के लिए सातवीं योजना काल में आठ प्रवर्तन दलों के गठन, गाजियाबाद-दिल्ली सीमा पर चार चेक पोस्टों की स्थापना, महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति, परिवहन आयुक्त कार्यालय में सतर्कता सेल, आडिट सेल तथा विधिक सेल के गठन का प्रस्ताव है। परिवहन नीति को ऐसा मोड़ दिया जा रहा है कि सार्वजनिक व निजी वाहन मिल-जुल कर जनता की बढ़ती हुई यातायातीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

शिक्षा

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि दीर्घ काल से शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने की मांग की जाती रही है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार एक प्रस्ताव शीघ्र ही विभिन्न पहलुओं पर लोगों की राय जानने के लिये ला रही है और माननीय सदस्य को भी इस सम्बन्ध में अपनी राय देने का अवसर मिलेगा। तदनुसार प्रदेश सरकार भी अपनी शिक्षा नीति को ढालने का प्रयास करेगी।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये 1984-85 में 443 प्राइमरी एवं 150 मिडिल स्कूल खोले गये। इसी के तारतम्य में 27,925 प्राइमरी स्तर के एवं 3,909 मिडिल स्तर के केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा हेतु संचालित किये गये जो 1985-86 में भी संचालित रहेंगे। प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के भवन निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया है। प्राइमरी स्कूल के 576 तथा मिडिल स्कूल के 199 भवनों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई। निर्बल वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कराने के लिये सुविधा देने के दृष्टिकोण से 1,343 विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक बैंक स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1985-86 में स्कूलों को विज्ञान सज्जा, शिक्षण सामग्री तथा निःशुल्क पोशाकें दी जायेंगी।

वर्ष 1984-85 में 69 राजकीय हाई स्कूल खोले गये और 35 राजकीय हाई स्कूलों को इंटर तक उच्चीकृत किया गया। वर्ष 1985-86 में 12 राजकीय बालिका हाई स्कूल खोले जायेंगे।

प्रदेश में इनसेट परियोजनान्तर्गत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्थित 900 प्राथमिक विद्यालयों के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों के वीडियो टेप निर्मित किये जायेंगे। प्रसारण का कार्य इनसेट-1-बी तथा नवस्थापित दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के माध्यम से कराया जायेगा। इन विद्यालयों में दूरदर्शन यन्त्र की भी व्यवस्था की जा रही है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1934-85 में 22,658 केन्द्रों के माध्यम से 6.92 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया गया।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को यू० जी० सी० सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1985-86 में मैचिंग शेयर के रूप में एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में नयी शिक्षा प्रणाली योजना के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 1983–34 तथा 1984–85 में अनुदान स्वीकृत किये गये । वर्ष 1985–86 में नव शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश की स्थापना तथा कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों में योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है ।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ साथ प्राविधिक शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । हमारा यह प्रयास होगा कि प्राविधिक शिक्षा का आधुनिकीकरण हो तथा औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाय । विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक उद्योग के बढ़ते हुये आकार को देखते हुये इलेक्ट्रानिक से सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस दृष्टिकोण से जनपद एटा, बदायूं, मैनपुरी जालौन, बांदा, उन्नाव, खीरी, रामपुर, जौनपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद तथा सल्ट (अल्मोड़ा) में डिप्लोमा स्तर की पालीटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1984-85 तक दी जा चुकी है । हरदोई में एक पालीटेक्निक की स्थापना का प्रस्ताव है । इस समय प्रदेश में दस डिग्री स्तर की तथा 70 डिप्लोमा स्तर की संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमशः 1,733 तथा 9,155 है । इसके अतिरिक्त प्रमाण–पत्र स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय भी चल रहे हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 700 है ।

पिछले सितम्बर मास में एक महत्वपूर्ण कदम उठा कर प्रदेश के 74 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं 6 ब्रान्च आई० टी० आई० में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर 30,964 कर दी गई है । सातवीं योजना में इन संस्थानों में प्रशिक्षण के स्तर में सुधार पर अधिक बल दिया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीनतम मशीनें जैसे कम्प्यूटराइज्ड मशीनें प्रोसेसर लगायी जायेंगी और प्रशिक्षणार्थियों को इलेक्ट्रानिक में सम्बन्धित व्यवसाय में आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी । प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिपेक्ष्य में निजी दान दातओं के सहयोग से अन्य प्रदेशों की तरह निजी आई० टी० आई० खोला जाना प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है । वर्ष 1984–85 में 124 एलोपैथिक 144 आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा 116 होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना की गई । इसके अतिरिक्त 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1,054 उपकेन्द्रों तथा 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई । राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 जिला अस्पतालों तथा 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र उपचार सेवायें सुलभ कराई गईं । परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.21 लाख नसबन्दी आपरेशन तथा 4.78 लाख लूप निवेशन किए गए ।

चिकित्सा शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । मेडिकल कालेजों में आवश्यक स्टाफ एवं साज–सज्जा उपलब्ध करा कर उनका विकास किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र उपचार की व्यवस्था तथा 175 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें पहले से नेत्र उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, निःशुल्क औषधि वितरण की व्यवस्था भी प्रस्तावित है । मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग में एक नेत्र बैंक की स्थापना भी प्रस्तावित है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-आन्दोलन के रूप में पूर्णरूपेण स्वैच्छिक आधार पर चलाना आज एक राष्ट्रीय आवश्यकता है । हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, बिना जनसंख्या वृद्धि को कम किये विकास के सही लाभ सारी जनता को नहीं मिल पायेंगे । परिवार कल्याण कार्यक्रम में अधिक गतिशीलता लाने के उद्देश्य से कर्नाटक, हिमांचल, उड़ीसा तथा पंजाब प्रान्तों में लागू ग्रीन कार्ड योजना को अब इस प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय ले लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत दो बच्चों के बाद पति तथा पत्नी को नसबन्दी आपरेशन कराने पर लाभार्थियों को एक ग्रीन कार्ड (परिचय-पत्र) जारी किया जायेगा । ग्रीन कार्ड धारकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वरीयता के आधार पर दी जाने वाली सुविधाओं में 12.5 एकड़ भूमि रखने वाले किसानों को तीन फसली सालों तक 50 प्रतिशत भू-राजस्व में छूट, उनके बच्चों को इंटरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय सेवकों को एक अतिरिक्त एल० टी० सी० की सुविधा तथा गृह निर्माण एवं वाहन अग्रिम में प्राथमिकता तथा आवासीय भूखंडों/भवनों के आवंटन में वरीयता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

इसके अतिरिक्त नसबन्दी कराने वाले लाभार्थियों के लिए एक लाटरी योजना लागू करने, उनके प्रेरकों के आर्थिक प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। पुरुष नसबन्दी प्रेरकों को अब 15 रुपये के स्थान पर 40 रुपये तथा महिला नसबन्दी प्रेरकों को 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जायेगा । इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों को लागू करने में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 139.5 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसे राज्य सरकार वहन करेगी । परिवार कल्याण कार्यक्रम में गति लाने हेतु हमने स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेने का निर्णय लिया है तथा इस वर्ष 2000 स्वैच्छिक कार्यकर्ता इस कार्य में लगाये जायेंगे । यह कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परिवार कल्याण के महत्व को बताने और प्रेरित करने का कार्य करेंगे ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज में वर्ष 1986-87 से 6 विशिष्टताओं में पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी ।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या वर्ष 1971 में 123.8 लाख थी जो 1981 में 4.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 199 लाख हो गयी । यह वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर (3.88 प्रतिशत) से अधिक है । बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरों में आवासीय समस्या उत्पन्न हो रही है । वर्ष 1984-85 के अन्त तक नगरीय क्षेत्रों में 8.20 लाख आवासीय भवनों की कमी अनुमानित थी । सातवीं योजना काल में 12.78 लाख अतिरिक्त आवासीय भवनों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार 21 लाख भवनों के निर्माण की आवश्यकता है । इस कमी से मुख्यतः दुर्बल आय वर्ग के व्यक्ति ही प्रभावित हैं । इनके लिए वर्ष 1984-85 में 25,224 भवन निर्मित किये गये । वर्ष 1985-86 में 30,000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । सातवीं योजना काल से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों हेतु "साइट्स एण्ड सर्विसेज" नामक योजना को और व्यापक बनाया जायेगा, जिसके अन्तर्गत छोटे आकार के भू-खंड सेनेटरी कोर सहित विकसित करके किराया-क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित किये जायेंगे तथा भवनों के निर्माण हेतु ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी ।

निजी भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु किराया नियन्त्रण अधिनियम के प्राविधानों को उदार किया जा रहा है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नये भवनों को लाने की अवधि दस वर्ष से बढ़ा कर बीस वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है । निजी क्षेत्र में भवन निर्माण को प्रोत्साहन

दिये जाने हेतु आवास विकास परिषद् द्वारा निजी ऋण दिये जाने की सीमा बढ़ा दी गई है तथा परिषद् को इस प्रयोजन हेतु 2 करोड़ रुपये की धनराशि भी दी गई है ।

नगरीय क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना का विस्तार अब प्रदेश के 56 नगरों में कर दिया गया है । वर्ष 1984-85 में इस योजना में 2.38 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुये । विश्व बैंक सहायतित कानपुर नगर विकास परियोजना में मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,543 परिवारों को 31, मार्च 1985 तक लाभान्वित किया जा चुका है । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में विश्व बैंक की सहायता से ही प्रदेश के 12 बड़े नगरों में उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति परियोजना कार्यान्वित की जायेगी ।

छोटे एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की परियोजना भारत सरकार के सहयोग से 23 नगरों में कार्यान्वित की जा रही है । सातवीं योजना में 27 अन्य नगरों में इस योजना का विस्तार विचाराधीन है ।

आशा है कि इस वर्ष नगर निकायों के चुनावों के बाद नगरीय विकास में अपेक्षाकृत तेजी आयेगी ।

विज्ञान एवं पर्यावरण

विश्व में बढ़ती हुई वैज्ञानिक प्रगति व पर्यावरण के महत्व को देखते हुए देश में इन दोनों दिशाओं में सीमित संसाधनों के अन्तर्गत योजनायें चलायी जा रही हैं । हमारे प्रदेश में भी विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका विभिन्न योजनाओं हेतु उपयोग करने के लिए तथा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण सुधार की योजना कार्यान्वित करने हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग का गठन किया गया था तथा इस विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जाने प्रस्तावित हैं उनका उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा ।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र में भू-गर्भ जल की खोज के कार्य में 100 स्थल नलकूप हेतु उपयुक्त पाये गये हैं । इसके अतिरिक्त कमान्ड क्षेत्रों में जल भराव की समस्या का भी अध्ययन किया गया है । प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में सिंचाई, भूमि उपयोग, मृदा सर्वेक्षण वन सम्पदा, भू-आकृति, जलस्रोत एवं फसलों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण का कार्य भी किया गया । एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम मोहनलाल गंज तथा जसपुर के अलावा इस वर्ष कतिपय अन्य विकास खंडों में भी लागू करना प्रस्तावित है । लखनऊ में एक प्लेनेटेरियम तथा साइन्स म्यूजियम की स्थापना के लिए भूमि का चयन हो चुका है । स्थापना का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

गंगा प्रदूषण

माननीय सदस्य अवगत हैं कि गंगा न केवल इस प्रदेश बल्कि हमारे देश व विश्व की प्राचीन एवं पवित्र नदी है जिसके लिए जन-जन के मन में श्रद्धा व आदर की भावना है । अनादि काल से ही गंगा जल की पवित्रता एक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सत्य रही है । दुर्भाग्यवश, पिछले कई वर्षों से नगरीयकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण गंगा के जल के प्रदूषण में वृद्धि हुयी है । हमारे लोकप्रिय युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने शासन की बागडोर संभालने के तुरन्त बाद अपनी सरकार की जो प्राथमिकताएं बतायी थीं उनमें यह पवित्र कार्य सम्पन्न करना एक प्रमुख बिन्दु था । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर तथा इलाहाबाद के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशिष्ट योजनायें बनाई गयी हैं तथा केन्द्रीय सरकार की सहायता से इन योजनाओं को समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र में होने वाले भावी कुम्भ मेले को

देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि कुम्भ के पूर्व ही हरिद्वार–ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा के प्रदूषण मुक्ति की योजना लागू कर दी जाय। सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक हमें आशा है कि जन–सहयोग से प्रदूषण–मुक्ति की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हम गंगा के वर्तमान प्रदूषण स्तर को एक बड़ी सीमा तक कम करने में सफल होंगे। पवित्र व ऐतिहासिक यमुना नदी पर स्थित मथुरा, वृन्दावन व आगर में भी प्रदूषण की समस्या विद्यमान है। यमुना के इस प्रदूषण की समस्या के समाधान सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है और केन्द्र सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि वह यमुना को भी गंगा के साथ ही प्रदूषण निवारण योजना में सम्मिलित करे।

खाद्य एवं रसद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण 20–सूत्रीय कार्यक्रम का प्रमुख अंग है, अतः शासन का सदैव यह प्रयास रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक गतिशील बनाया जाय जिससे कि हमारे बड़े प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले निवासियों को आवश्यक वस्तुयें सुगमता से और उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 4119 दुकानें खोली गईं और यह उपलब्धि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में प्रथम आंकी गई है। वर्तमान समय में कुल 29,694 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, कोयला, मिट्टी का तेल और खाद्य तेल वितरित किये जाने के अलावा टार्च सेल, माचिस, नहाने का साबुन, ब्लेड, टायर ट्यूब, बल्ब और निरोध का वितरण भी उक्त दुकानों के माध्यम से किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

वर्ष 1984 में तृतीय त्रैमास तक प्रदेश में लेवी सीमेन्ट का आवंटन 2.58 लाख मीट्रिक टन था किन्तु राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश का त्रैमासिक कोटा बढ़ कर 2.82 लाख मैट्रिक टन हो गया है।

केन्द्रीय भंडार के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर लेवी के अन्तर्गत 10.65 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई।

गेहूं की सम्भरण सीमा और संचरण पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। जून, 1985 के अन्त तक 20.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है जो गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 0.67 लाख मैट्रिक टन अधिक है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के स्टोर पहले मंडलीय मुख्यालय में ही स्थापित थे परन्तु अब प्रदेश के शेष जिलों में भी स्टोर खोलने की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि राज्य के समस्त कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1984–85 में प्रदेश में 36,401 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये जिसके फलस्वरूप 1,650 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1,494 लाइसेन्स निलम्बित किये गये तथा 2,241 लाइसेन्स निरस्त किये गये। लगभग 5.35 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुयें चोरबाजारी में पकड़ी गईं। डीजल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी के तेल की मिलावट पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

शान्ति एवं व्यवस्था

प्रदेश के 12 जनपद विशेष रूप से दस्यु प्रभावित हैं। सरकार का मत है कि समस्या के समाधान के लिये इन क्षेत्रों का त्वरित आर्थिक विकास आवश्यक है क्योंकि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से भी अपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारा यह निश्चित मत है

कि इन विशिष्ट क्षेत्रों का कानून व व्यवस्था का समाधान आर्थिक विकास से जुड़ा है और इसलिये क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये प्रदेश सरकार ने एक वृहद् योजना बनाई है जिसपर भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास जारी है ।

जनता के सहयोग से प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था अपेक्षाकृत संतुलित रही है । वर्ष 1984-85 में पुलिस तथा डकैतों के बीच 1,564 अवसरों पर मुठभेड़ हुई जिसमें 361 डकैत मारे गये तथा 4457 को गिरफ्तार करने तथा उनके पास से 2,967 आग्नेयास्त्र एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई । पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पुलिस की गतिशीलता को सुनिश्चित करने हेतु पुराने गाड़ियों का प्रतिस्थापन तथा नई अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है । जिला मुख्यालयों से प्रदेश मुख्यालय का हॉट लाइन के माध्यम से सम्पर्क अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है ।

नगरों में यातायात दुर्घटनाओं को रोक-थाम के लिये यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण किया गया है । साम्प्रदायिक दंगों एवं डकैतियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये पी० ए० सी० के 29 वाहिनियों में 33 कम्पनियां बढ़ाई गई हैं और इनके लिये दंगा निरोधक आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था कराई जा रही है ।

राजस्व

वर्ष 1984-85 के अन्त तक अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जातियों तथा समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुधार हेतु 21.15 लाख व्यक्तियों को ग्राम सभा तथा सीलिंग की 7.18 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई जिसमें से 20.43 लाख व्यक्तियों को 6.99 लाख हेक्टेयर भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया । उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत 2.78 लाख एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया जिसमें से 2.48 लाख एकड़ भूमि का बन्दोबस्त किया गया । इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1985 तक 18.40 लाख पात्र व्यक्तियों में से 18.01 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क आवास स्थल आवंटित किये गये जिनमें से 17.94 लाख व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया ।

खेलकूद

छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 30 स्टेडियम, 9 बहुउद्देशीय हाल तथा 5 छात्रावासों के निर्माण के लक्ष्य के विपरीत 6 स्टेडियम तथा 3 छात्रावास का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है । सातवीं योजना में चालू योजनाओं को पूर्ण करने पर विशेष बल दिया जायेगा । खेलकूद अवस्थापन सुविधाओं का जिला स्तर तक प्रसार करने का प्रयत्न किया जायेगा ताकि अच्छी प्रतिभाएं उभर कर आ सकें ।

प्रथम कल्याण

औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार एवं शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं के निवारण के लिये द्वि पक्षीय व त्रि-पक्षीय सम्मेलनों के माध्यम को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है और इसका अनुकूल प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम हड़तालों/तालाबन्दी एवं मानव दिवसों की हुई हानि से परिलक्षित होता है । वर्ष 1984 में 122 हड़तालें/तालाबन्दी दो माह के अन्दर ही समाप्त हो गयीं तथा 123 सम्भावित हड़तालें टल गईं । इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की वेतन दरें, सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं द्वि-पक्षीय/त्रि-पक्षीय समितियों के माध्यम से निर्धारित की गईं ।

केन्द्रीय बाल श्रमिक परामर्शदात्री परिषद् की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने भी प्रादेशिक बाल श्रमिक परामर्श बोर्ड का गठन किया है जो बाल श्रमिकों की कार्यदशाओं का अध्ययन कर रहा है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की 39 इकाइयों में 253 शाप काउंसिलों तथा 58 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन किया जाना था जिनमें से 236 काउंसिलों तथा 12 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन किया जा चुका है ।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासन तथा खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये तहसील स्तर पर 28 श्रम निरीक्षक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इसे चिकित्सा विभाग के स्थान पर श्रम विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है ।

प्रदेश शासन ने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सबसे गरीब तबके के व्यक्तियों के आर्थिक उद्धार के लिये जो कार्य-क्रम प्रस्तावित किये हैं उनमें से एक प्रमुख शहरी क्षेत्रों में जीवनयापन करने वाले लाखों रिक्शा चालकों के लिये योजना है जिसके अन्तर्गत बैंकों की सहायता से इन रिक्शा चालकों को, जिनमें से अधिकतर किराये पर रिक्शा चलाते हैं, अपने रिक्शा का स्वामित्व प्रदान करने की सुविधा दी जायेगी । इसके साथ प्रदेश के महानगरों में विभिन्न महापालिकाओं के माध्यम से रैन बसेरा बनाये जाने की योजना है जिससे कि ये रिक्शा चालक, जो अधिकांशतः शहर के नजदीक के गाँवों में रहते हैं तथा जीवनयापन के लिये अल्प अवधि के लिये शहर आते हैं, रहने की समस्या का समाधान होगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण

अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों एवं छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं के लिये अनुमन्य छात्रवृत्तियों/मानदेयों एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 41.20 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई तथा पूर्व वर्षों की छात्रवृत्ति के अवशेषों का भी भुगतान किया गया । शासन ने वर्ष 1984-85 में छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उनके अभिभावकों की आय सीमा 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी है । छात्रावास निर्माण योजना के अधीन वर्ष 1984-85 में 81.82 लाख रुपये व्यय किये गये जिससे 13 छात्रावास निर्माणाधीन हैं ।

अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास हेतु 2 अक्तूबर, 1980 से प्रारम्भ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के अन्त तक 538 करोड़ रुपये व्यय हुये । इसके अतिरिक्त 140.53 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास पर व्यय की गई । वर्ष 1985-86 के लिये 270.38 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त केवल वर्ष 1984-85 में एक लाख निराश्रित विधवाओं व एक लाख निराश्रित वृद्धों को पेंशन सुविधा दी गई । इसकी मासिक पेंशन भी बढ़ाकर 60 रुपये प्रति माह कर दी गयी है । प्रदेश सरकार की मंशा है कि यह पेंशन सबसे गरीब वर्ग की विधवाओं एवं वृद्धों को ही मिले । मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया अपने-अपने क्षेत्र में देखें कि भविष्य में इसी नीति के अनुसार पेंशन स्वीकृत हो ।

विकलांगों की भरण पोषण योजना के अधीन 22,500 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया । समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 151 विकास खंडों में प्रोजेक्ट चलाये जा रहे थे । वर्ष 1985-86 में 25 परियोजनायें और स्थापित करके इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव है । राजकीय संस्थाओं/गृहों की संवासियों के भरण-पोषण की दर 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 125 रुपये तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 175 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त सैनिकों तथा युवकों के लिये भी कल्याणकारी योजनायें प्रस्तावित हैं ।

बकायों की स्थिति

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 31 मार्च, 1985 को राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का अवशेष 559.43 करोड़ रुपये था। इसी तिथि को उन शासकीय ऋणों का ब्याज सहित अवशेष, जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है, 89.96 करोड़ रुपये था। अन्य ऋणों का ब्याज सहित अवशेष, जिनका लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाता है, 1 अप्रैल, 1984 को 1251.64 करोड़ रुपये था। राज्य के संसाधनों में वृद्धि लाने के उद्देश्य से बकायों की वसूली के लिए कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

प्रदेश के विकास हेतु अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय व्यय में मितव्ययता करने, अनुत्पादक व्यय को घटाने, राजकीय कार्यों में मितव्ययता बरतने तथा आयोजनेतर पक्ष में गत वर्ष की तुलना में कम से कम पाँच से सात प्रतिशत की बचत इस वर्ष करने के निर्देश दिये गये हैं। स्थानीय निकायों, निगमों तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसी नीति को अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

अष्टम वित्त आयोग

राज्य के संसाधनों में वित्त आयोग की संस्तुतियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अष्टम वित्त आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली है। यह संस्तुतियां 1984-85 से 1988-89 की अवधि में लागू होंगी।

वर्ष 1984-89 की अवधि में केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश से होने वाली प्राप्तियों को छोड़ते हुये अष्टम वित्त आयोग को प्रस्तुत राज्य सरकार को राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के शुद्ध पूर्वानुमान के अनुसार 11,550.95 करोड़ रुपये का घाटा आता था परन्तु वित्त आयोग ने इस घाटे को केवल 2,113.59 करोड़ रुपये ही आंकलित किया और केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश को सम्मिलित करने के उपरान्त घाटे के स्थान पर 3,802.01 करोड़ रुपये अधिशेष इंगित किया, जिसके फलस्वरूप हमारे राज्य को आयोजनेतर घाटे का अनुदान नहीं मिला। वास्तव में, वित्त आयोग द्वारा अपने माप-दण्डों के आधार पर विद्युत, गन्ने पर क्रय कर, पूंजी निवेश तथा ऋणों से प्राप्तियों में की गई बढ़ोत्तरी और वचनबद्ध व्यय, अनुरक्षण व्यय, महंगाई-भत्ते तथा बोनस आदि के व्यय में की गई कमी पूर्णतया व्यावहारिक नहीं है।

आयोग द्वारा पुलिस, जेल, जन-जाति, चिकित्सा, न्याय, जिला और राजस्व, प्रशिक्षण तथा कोषागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन हेतु 1985-89 की अवधि के लिए 101.37 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। अनुदान के पूर्ण उपयोग के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

अष्टम वित्त आयोग ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उचित रख-रखाव हेतु ऊंचे मानक प्रस्तावित किये हैं जिन्हें मानकर नये आधार पर इस बजट में प्राविधान किया गया है।

संस्थागत वित्त

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने के कार्य में संस्थागत वित्त की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि बैंकों, जीवन बीमा निगम, "हडको", आई0 डी0 बी0 आई0 तथा आई0 एफ0 सी0 आई0 जैसी संस्थाओं से प्रदेश की योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त की जाय। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं बैंकों तथा अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से जो धनराशि प्राप्त होती है वह प्रदेश की योजना के परिव्यय के अतिरिक्त होती है और इस तरह से इस धनराशि के प्राप्त होने से हमारे आन्तरिक संसाधनों पर दबाव कम होता है।

इस समय प्रदेश में विभिन्न बैंकों का का क्रेडिट डिपाजिट अनुपात 45 प्रतिशत है अर्थात्, जितनी बचतें बैंकों में जमा हैं उनका अनुपात प्रदेश में किये गये वित्त पोषण से कम है। हमारा यह प्रयास है कि क्रेडिट डिपाजिट अनुपात बढ़े और जो बचतें प्रदेश में स्थित बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जमा होती है उनका अधिक से अधिक उपयोग प्रदेश की योजनाओं में हो। बैंकों से तथा "नबार्ड" तथा अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से पिछले कुछ महीनों में उच्च-स्तरीय वार्ता की गई है और यह प्रयास किया गया है कि जहां एक ओर बैंकों की अधिक से अधिक शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खुलें वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० आदि से अधिक से अधिक ऋण प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में उ० प्र० सेतु निगम, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम तथा उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपनी योजनाओं के लिए इन संस्थाओं से वित्त पोषण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने हेतु "हुडको", जो आवास निर्माण के लिए ऋण देने हेतु केन्द्रीय संस्था है, से भी अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1984-85 में "हुडको" से 41.15 करोड़ रुपये की धनराशि नगरीय आवास निर्माण हेतु प्राप्त की गयी। इस वर्ष हमारा प्रयास है कि ग्रामीण आवास योजना हेतु भी "हुडको" से धनराशि प्राप्त की जायेगी जिसके लिए "हुडको" से उच्चतम स्तर पर वार्ता हो चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर अंचलों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 1984-85 में हमारे प्रदेश में 1,203 बैंक शाखायें खोली गयीं जिनमें से 1,126 शाखायें ग्रामीण/अर्ध-शहरीय क्षेत्र में खोली गयी हैं। इस तरह से मार्च, 985 तक प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की 7,084 शाखाएं उपलब्ध थीं और अब औसतन 15,600 आबादी पर एक बैंक शाखा उपलब्ध है। मार्च, 1985 तक विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,114 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाये जाने के लक्ष्य के विपरीत इस अवधि में 1419.47 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त उपलब्ध हुआ।

बैंकों तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्रयासों के अतिरिक्त प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में स्थित सहकारी वित्तीय ढांचे को भी सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में हाल ही में कई कदम उठाये गये हैं जिनमें कमजोर सहकारी बैंकों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने की योजना भी सम्मिलित है जिससे कि इन बैंकों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के सदस्य कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने से वंचित न रहें। हमें आशा है कि वर्ष 1985-86 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय एवं उठाये गये कदमों के फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण के ढांचे में वांछित सुधार आयेगा।

जिन उपलब्धियों का उल्लेख मैंने अभी किया और जो वृहत् कार्यक्रम जनता के लाभ के लिए हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उन सब में राजकीय कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं राज्य के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी कार्य उनको सौंपे गये और जिन योजनाओं को चलाया गया, उन सभी को उन्होंने पूरे उत्तरदायित्व से सम्पन्न किया और जो भी शासन की प्राथमिकतायें थीं, उन्हीं के अनुसार उन्होंने कार्य किया जिससे कि शासन की छवि सुधरी। मैं आशा करूंगा कि आगे भी जो कार्यक्रम हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी के कार्यान्वयन में प्रदेश के राज्य कर्मचारी उसी लगन तथा उत्तरदायित्व का परिचय देंगे। यहां में माननीय सदस्यों के सूचनार्थ

यह भी बताना चाहूंगा कि शासन अपने कर्मचारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हैं और समय-समय पर हमने शासकीय कर्मचारियों को विभिन्न सुविधायें दी हैं, जिससे कि उनका मनोबल ऊचा रहे और वह अपना कार्य निष्ठा से सम्पन्न कर सकें। इनमें से कुछ सुविधाओं का उल्लेख जो हाल ही में दी गई हैं, अथवा जिनका निर्णय लिया गया है, मैं यहां करना चाहूंगा। शासन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की धनराशि 36,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक करने तथा पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के आगणन हेतु परिलब्धियों में वेतन के साथ 568 मूल्य सूचकांक तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है। पारिवारिक पेन्शन पाने वाले तथा उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखने का निर्णय भी शासन द्वारा लिया गया है। पिछले वर्ष शासन द्वारा राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की नौ अतिरिक्त किस्तें अवमुक्त की गयीं। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जो पेन्शन प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता था उसको दूर करने के लिए हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब शासन के चार प्रमुख विभागों—पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राजस्व में पेन्शन के प्राधिकार-पत्र प्रमुख विभागाध्यक्ष द्वारा ही जारी कर दिये जायेंगे और महालेखाकार तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होगा कि राज्य शासन अपने कर्मचारियों के लाभार्थ सचेष्ट है।

1983-84 के वास्तविक आंकड़े

वर्ष 1983-84 के बजट में यह अनुमान लगाया गया था कि समेकित निधि के सम्पूर्ण प्राप्तियां 3806.79 करोड़ रुपये होंगी किन्तु वास्तविक प्राप्तियां 4,447.33 करोड़ रुपये हुई। यह वृद्धि मुख्यतः मूल अनुमानों को तुलना में भारत सरकार से अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से अधिक ब्याज प्राप्ति तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक अर्थोपाई अग्रिम लिये जाने के फलस्वरूप रही। इसी प्रकार मूल बजट में समेकित निधि से होने वाले व्यय के विषय में यह अनुमानित था कि वर्ष के दौरान कुल 4,018.42 करोड़ रुपये का व्यय होगा किन्तु वास्तविक व्यय 4,973.95 करोड़ रुपये का हुआ। व्यय पक्ष की यह वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारम्भ करने, आयोजनागत पक्ष में अधिक व्यय किये जाने तथा रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के प्रतिदान में हुई वृद्धि के कारण हुई। इस प्रकार वर्ष 1983-84 में समेकित निधि के अन्तर्गत मूलतः अनुमानित 211.63 करोड़ रुपये के घाटे के समक्ष वास्तविक घाटा 526.62 करोड़ रुपये रहा। आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के लेन-देनों को मिला कर वर्ष के समस्त लेन-देनों के शुद्ध परिणाम का अनुमान मूल बजट में 79.16 करोड़ रुपये के घाटे का लगाया गया था जो वास्तव में 17.28 करोड़ रुपये की बचत में परिवर्तित हो गया। इसके फलस्वरूप वर्ष का 11.69 करोड़ रुपये का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में (+)5 59 करोड़ रुपये हो गया।

उल्लेखनीय है कि लेखों में प्रदर्शित उक्त (+)5 59 करोड़ रुपये का अन्तिम शेष कर्जों से प्राप्तियों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के अधीन पुस्तांकित 140.31 करोड़ रुपये की प्राप्ति को हिसाब में लेकर है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष का अन्तिम शेष (—) 138.61 करोड़ रुपये रहे हैं।

वर्ष 1984-85 के पुनरीक्षित अनुमान

वर्ष 1984-85 के मूल आय-व्ययक में समेकित निधि की कुल प्राप्तियों का अनुमान 4356.28 करोड़ रुपये रखा गया था जिसके समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 5543.64 करोड़ रुपये आंके गये हैं। प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः रिजर्व बैंक से अपेक्षाकृत अधिक अर्थोपाय अग्रिमों की

प्राप्ति तथा केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के फलस्वरूप अनमानित हैं । व्यय के लिए मूल बजट में अनुमानित कुल 4,629.00 करोड़ रुपये की राशि के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 6,270.17 करोड़ रुपये निर्धारित हुये हैं । व्यय में भी वृद्धि मुख्यतः रिजर्व बैंक से लिए गये अर्थोपाय अग्रिमों के प्रतिदान हेतु अधिक आवश्यकता के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से वर्ष में प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम के प्रतिदान तथा आकस्मिकता निधि को 200 करोड़ रुपये के अन्तरण के फलस्वरूप अनुमानित हैं । इस प्रकार समेकित निधि के अन्तर्गत मूल बजट में जो 272.72 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित था वह पुनरीक्षित अनुमानों के अन्तर्गत बढ़कर 726.53 करोड़ रुपये हो गया है । इसके फलस्वरूप आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों को मिलाकर भी वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम पुनरीक्षित अनुमानों के अन्तर्गत 335.79 करोड़ रुपये आँका गया है जबकि मूल बजट में केवल 59.32 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित था ।

वर्ष के घाटे के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर 138.61 करोड़ रुपये का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में 474.40 करोड़ रुपय के ऋणात्मक अन्तिम शेष में परिवर्तित हो जाने की सम्भावना है ।

आय-व्ययक अनुमान 1985-86

अब मैं इस वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए राज्य की समेकित निधि की कुल प्राप्तियों का अनुमान 5646.14 करोड़ रुपये का है जिसमें 3429.29 करोड़ रुपये की प्राप्तियां राजस्व लेखों की तथा 2216.85 करोड़ रुपये की प्राप्तियां पूंजी लेखों की हैं। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राज्य के अपने कर-राजस्व से 1163.40 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व के रूप में 438.34 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 1126.27 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 701.28 करोड़ रुपये की राशियां सम्मिलित हैं । पूंजी लेखों की प्राप्तियों में 1952.90 करोड़ रुपये का लोक ऋणों से प्राप्तियां, 63.95 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां तथा 200 करोड़ रुपये की प्राप्ति राज्य आकस्मिकता निधि से विनियोग के रूप में सम्मिलित हैं । लोक ऋणों से प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्य 1117.37 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से प्राप्य 835.53 करोड़ रुपये के ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित हैं । भारत सरकार से प्राप्य ऋणों की राशि में 308.88 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित है जिसके विषय में माननीय सदस्यों ने हाल ही में समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा । संसाधनों में कमी के फलस्वरूप राज्य सरकार के गत वर्ष के लेखों में रिजर्व बैंक से 372.40 करोड़ रुपये का जो ओवरड्राफ्ट हो गया था उसकी पूर्ति के विषय में प्रधान मंत्री जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी व योजना आयोग के सदस्यों से मुझे विचार-विमर्श करने का समय-समय पर सुअवसर मिला था । मुझे आपको औपचारिक रूप में यह सूचित करने में हर्ष है कि भारत सरकार ने इस सन्दर्भ में 308.88 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण स्वीकृत किया है जिसके लिए हम प्रधान मत्री जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री व योजना आयोग के हार्दिक आभारी हैं ।

इस वर्ष राज्य की समेकित निधि से होने वाले कुल व्यय का अनुमान 5383.92 करोड़ रुपये का है जिसमें से 1799.94 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनगत पक्ष में तथा 3583.98 करोड़ रुपये का आयोजनेतर पक्ष में अनुमानित हैं । कुल 3583.98 करोड़ रुपये के आयोजनेतर पक्ष के अनुमानित व्यय में 2732.97 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखों तथा 851.01 करोड़ रुपये का पूंजी लेखों के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं । पूंजी लेखों के आयोजनेतर व्यय में ऋणों के प्रतिदान के लिए 814.63

करोड़ रुपये, ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिए 29.45 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत परिव्यय के लिए 6.93 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। आयोजनागत व्यय के ऊपर उल्लिखित अनुमानों में राज्य योजना के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा पुरो-निधानित तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

राज्य की समेकित निधि के उपरोक्त लेन-देनों के फलस्वरूप वर्ष 1985-86 में कुल 262.22 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है किन्तु इस बचत में 200 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित है जो राज्य आकस्मिकता निधि से प्रत्या-वर्तित हुई है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत वर्ष की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समेकित निधि से राज्य आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 200 करोड़ रुपये की राशि अन्तरित की गई थी जो इस वर्ष समेकित निधि में पुनः जमा कर दी गई है।

राज्य की आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत वर्ष की सामान्य प्राप्तियां, संवितरण के समतुल्य आंकी गई हैं किन्तु निधि से इस वर्ष समेकित निधि को 200 करोड़ रुपये की वापसी के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि के समक्ष 200 करोड़ रुपये का शुद्ध व्यय प्रदर्शित है।

राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध प्राप्तियां भी राज्य सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती हैं। इस वर्ष अनुमान है कि इस स्रोत से कुल 233.58 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति हो सकेगी।

इस प्रकार वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम स्वरूप कुल 295.80 करोड़ रुपये की बचत सम्भावित है जिसके फल-स्वरूप वर्ष के (--)474.40 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में घट कर (---)178.60 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है।

यद्यपि जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को बताया, शासन द्वारा बड़े पैमाने पर जनोपयोगी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और उन्हें लागू करने में बड़ी मात्रा में संसाधनों की भी आवश्यकता है फिर भी हमने यह निर्णय लिया है कि ये संसाधन जनता पर सामर्थ्य व आवश्यकता से अधिक बोझा बढ़ाकर नहीं बल्कि बचतों में वृद्धि के माध्यम से तथा प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार लाने एवं मितव्ययिता से अर्जित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अल्प बचत योजना के माध्यम से अधिक से अधिक धनराशि अर्जित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1984-85 में अल्प बचत योजना में 392 करोड़ रुपये की शुद्ध धनराशि जमा की गई जो कि एक कीर्तिमान था। इस उत्साहवर्धक दृष्टि को देखते हुए हमने वर्ष 1985-86 में यह लक्ष्य बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये का रखा है। अल्प बचत योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये हमने कई कदम उठाये हैं और आशा है कि इस योजना के माध्यम से हमें वांछित धनराशि प्राप्त हो सकेगी। मैं सम्मानित विधायकों से भी इस सम्बन्ध में पूरा योगदान देने का आग्रह करूंगा। शासन ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि अल्प बचत योजना में जमा धनराशि का जो हिस्सा इस समय मिलता है उसे वर्तमान 66·66 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाय जिससे जहां एक ओर प्रदेश के संसाधन बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर बचत की आदत को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा एवं अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के महान कार्य में हमें सभी वर्गों, दलों और व्यक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ना होगा। यद्यपि हम केन्द्रीय सरकार से निरन्तर अधिक से अधिक धनराशि अपने संसाधनों में वृद्धि के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे परन्तु हमें यह बात मान कर चलना होगा कि संसाधनों के मामलों में अन्ततोगत्वा हमें अपने पैरों पर भी खड़ा होना होगा और प्रदेश की प्रगति के लिये हमें स्वयं ही संसाधन

जुटाने होंगे । इस सन्दर्भ में शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिला परिषदों, क्षेत्रीय समितियों एवं ग्राम सभाओं के संसाधन बढ़ाये जाएं, जिससे वे स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर ग्रामीण सेवा में विकास, खुद अपना स्थानीय विकास सुनिश्चित कर सकें। इस दिशा में हमने प्रदेश में भू–राजस्व से मिलने वाली समतुल्य धनराशि (लगभग तीस करोड़ रुपये) क्षेत्र समितियों को दी है। यह भू राजस्वीय अधिकार भविष्य में जिला परिषदों या क्षेत्र समितियों के कानूनी दायित्व के अन्तर्गत साधन के बतौर जिला योजना व ग्रामीण विकास के लिये उपलब्ध रहे, यह सदन के आशीर्वाद से हमारी चेष्टा होगी। यह स्पष्ट है कि संसाधन निर्माण व व्यय दोनों साथ–साथ चलते हैं और एक–दूसरे के पूरक हैं। हमें इस धारणा को त्यागना होगा कि शासन के पास—चाहे वह प्रदेश शासन हो या केन्द्र शासन हो—संसाधनों के अनन्त स्रोत हैं। हमें यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि शासन के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कार्य कराये जाने के लिये मांगें तो बहुत अधिक प्राप्त होती हैं परन्तु सीमित संसाधनों को देखते हुए इन सभी मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाता। यह मांगें तभी स्वीकार हो सकती हैं जबकि संसाधनों में वृद्धि हो और इसके लिये सभी स्तरों पर यह सोचने की आवश्यकता है कि संसाधन कैसे जुटाये जायं।

शासन समय–समय पर करों में राहत भी देता रहता है जैसे इसी वर्ष बिक्री–कर के अधीन कई सुविधायें प्रदान की हैं :–

1—विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को सुविधा देने के लिये ऐसी वर्क बुक्स और राइटिंग बुक्स को, जो एन० सी० ई० आर० टी० या सी० बी० एस० ई० द्वारा पाठ्य–क्रम में निर्धारित हों अथवा जिन पर लेखक का नाम मुद्रित हो तथा नक्शे, शैक्षणिक चार्ट, इन्स्ट्रूमेन्ट बाक्स, ग्लोब, वैज्ञानिक, गणितीय सर्वेक्षण, मेकेनिकल ड्राइंग और बाइलोजी उपकरण कर से मुक्त कर दिए गए हैं।

2—तेल रहित खली, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क, तेल रहित राइस पालिस लगे हुए पान, गोटा, लचका, ठप्पा, सलमा, सितारा, गोखरू और उनकी कतरन तथा हार और जरी के हार भी कर से मुक्त कर दिये गये हैं।

3—बेकरी उत्पादों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु अपेक्षित आटा, मैदा और सूजी पर कर मुक्ति प्रदान कर दी गई है।

4—कृषि उपकरणों पर भी बिक्री कर से छूट दी गयी है।

वर्तमान संसाधनों की स्थिति को देखते हुये मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख अतिरिक्त आय अर्जित करने के कतिपय प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं जो मुख्यतः सरलीकरण की दिशा में हैं।

कराधान रिव्यू समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आबकारी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और सुधार हेतु कई महत्व–पूर्ण संस्तुतियां की है। इन संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की तस्करी को प्रभावी रूप से रोकने के लिये कर ढांचे का सरलीकरण प्रस्तावित है ताकि करापवंचन रोका जा सके। कतिपय सुदूर क्षेत्रों में अवैध मद्य निष्कर्षण के प्रचलन से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सूचित हो रहा है। इसे रोकने के लिये कुछ प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। शीरे पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसके वितरण की व्यवस्था भी सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में बने अल्कोहल को अन्य प्रदेशों में बिक्री से होने वाली आय भी उत्पादों के मूल्य को देखते हुये बढ़नी चाहिये। इन सभी उपायों से कुल मिलाकर मदिरा की तस्करी, अवैध निष्कर्षण एवं जन–स्वास्थ्य पर नकली मदिरा का प्रतिकूल प्रभाव

रोकने के साथ-साथ शासन को लगभग 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व इस वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है ।

बान्ड तथा अन्य दस्तावेजों के हस्तान्तरण पर स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे इस वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है ।

कार्य संविदाओं (वर्क्स कान्ट्रैक्ट्स) में प्रयुक्त किये गये माल में सम्पत्ति के अन्तरण और किराया-क्रय पद्धति पर आपूर्ति किये गये माल पर बिक्री-कर लगाने का प्रस्ताव है, जिससे वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये राजस्व का अनुमान है ।

ऐसे बड़े उद्योगों जिनमें बिजली की खपत अपेक्षाकृत अधिक है, पर दो पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त बिजली शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है जिससे शासन को लगभग 4 करोड़ रुपये की इस वर्ष अतिरिक्त प्राप्ति होगी ।

अतिरिक्त संसाधन के उपरोक्त प्रस्तावों से इस वर्ष 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है । आय के इस अनुमान को हिसाब में लेने के फलस्वरूप वर्ष 1985-86 के अन्त में जो 178·60 करोड़ रुपये का अन्तिम घाटा अनुमानित है वह कम होकर 146·60 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है । अवशेष घाटे को राजकोष देय बकायों की वसूली में तीव्रता, आयोजनेत्तर व्यय में मितव्ययिता, अल्प बचत के अन्तर्गत अधिक संग्रह करके तथा कर एवं करेतर राजस्व प्रशासन में अधिक दक्षता लाकर एवं कराधान समिति के कतिपय प्रस्तावों के विचारोपरान्त कार्यान्वयन पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ।

हमारा प्रदेश इस समय उस स्थिति में आ गया है जिसमें यदि हम पूरे संकल्प और परिश्रम से काम करने में जुट जाएं तो निश्चय ही हम अपनी जनता को पिछड़ेपन के घेरे से बाहर निकाल सकते हैं । पिछले लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में जिस उत्साह से जनता ने इस सदन को अपना विश्वास दिया है उससे हम सबका उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ गया है । पिछले कुछ समय से जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं जो स्वाभाविक हैं और हम भी इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि हम इन आकांक्षाओं को यथाशक्ति पूरा करेंगे । यह प्रयास एक बहुत ही दुष्कर कार्य है--यदि मैं इसे विकास महायज्ञ की संज्ञा दूं तो यह अतिशयोक्ति न होगी । आइये हम सब मिल कर इस विकास महायज्ञ के सफल सम्पादन हेतु जुट जाएं और प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार बनाने की पूरी कोशिश करें । इस दिशा में मैं न केवल अपने शासन के सहयोगियों तथा अपने दल के सम्मानित विधायकों का सहयोग चाहूंगा बल्कि मैं अपने विरोधी दल के सम्मानित मित्रों से भी यथासम्भव योगदान का अनुरोध करूंगा । मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा करने की दिशा में सातवीं योजना सम्बन्धी जो प्रस्ताव हमने इस बजट के माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष रखे हैं, उन पर हमें सदन के सभी पक्षों का सहयोग प्राप्त होगा ।

हम सबने बहुत पहले ही एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया था और हम सब यह भी चाहते हैं कि यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीकों से स्थापित हो । इस हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि हम आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये मानव व आर्थिक संसाधनों का इस तरह से नियोजन करें जिससे कि हमारे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके व आर्थिक स्तर ऊंचे उठें । माननीय सदस्यगण बजट साहित्य का विचार से अध्ययन करने पर देखेंगे कि हमने अपने इन मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या-क्या प्रयास किये हैं । मुझे विश्वास है कि हमारा प्रशासनतन्त्र भी प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं एवं उनकी पूर्ति हेतु चालू कार्यक्रमों व किये गये वायदों को पूरा करने में अपना

उत्तरदायित्व पूरी तरह से निभायेगा क्योंकि कितनी भी अच्छी एवं उपयोगी योजनाएं क्यों न हों यदि उनका कार्यान्वयन ठीक तरह से नहीं होता तो जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंचेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रशासन तंत्र एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन मुख्य रूप से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति से करेगी। हमने कुछ कदम इस दिशा में उठाये हैं जिससे कि प्रशासन तन्त्र अधिक चुस्त और उत्तरदायी बने तथा आदेशों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब न हो। इस सम्बन्ध में हमने यथासम्भव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार तथा प्रशासन तंत्र के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। हम प्रक्रिया के यथासम्भव सरलीकरण तथा प्रशासन तंत्र में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के तीव्र गति लाने का प्रयास भी करेंगे।

माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य बजट को और अधिक सूचनाप्रद बनाने की दिशा में भी राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। इस वर्ष से बजट साहित्य के व्यय के अनुमानों से सम्बन्धित खंडों में विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों की सूची भी सम्मिलित की गई है।

अन्त में, मैं मंत्रि परिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से तथा जिनके विभागों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने के काम और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिये मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 1985–86 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 26 मिनट पर सोमवार, 15 जुलाई, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

15 जुलाई, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

सोहावल तापीय विद्युत् गृह का वर्ष 1984–85 का लाभ–हानि का ब्योरा

		यूनिट
1––उत्पादित विद्युत् शक्ति	..	64,44,981
2––विद्युत् गृह की आक्जीलियरीज में प्रयुक्त विद्युत् शक्ति		6,37,424
3––विद्युत् गृह के "बस बार" पर उपलब्ध विद्युत् शक्ति		58,07,557
4––उत्पादन व्यय–		रु0
(1) कोयले की कीमत	..	77,08,400·00
(2) तेल तथा अन्य स्टोर पर हुआ व्यय	..	4,45,566·66
(3) मरम्मत एवं रख–रखाव पर हुआ व्यय	..	3,67,927·00
(4) टैक्स इत्यादि	..	1,23,296·00
(5) कर्मचारियों के वेतन पर हुआ व्यय	..	37,48,000.00
(6) कोयले की राख के बेचे जाने से प्राप्त धनराशि		9,89,726·00
कुल व्यय	..	1,14,03,463·66

(इसमें प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं है)

5––"लाइट लासेस"	..	18 प्रतिशत (लगभग)
		यूनिट
6––उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली विद्युत् शक्ति		$\frac{82}{100} \times 5807557 = 47,62,197$
		रु0
7––औसत 52 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्राप्त होने वाली राजस्व		24,76,342·44
8––वर्ष 1984–85 में हुई हानि	..	(1,14,03,463·66 ––24,76,342·44)
		=89,27,121·22
		(89·27 लाख)

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

जनपद बरेली के ब्लाक मीरगंज तथा शेरगढ़ ब्लाक की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण होना शेष है ।

ब्लाक मीरगंज

1—पिरौरा ।

2—हल्दी खुर्द ।

3—बल्लूपुरा ।

4—मुगलपुर ।

5—गुलरिया ।

शेरगढ़ ब्लाक

1—मदनापुर ।

2—शीशगढ़ ।

3—गुलरिया ।

4—बेरामपुर ।

5—शीफ नगर ।

6—इटौआ घेरा ।

7—चिठिया

8—मोमपुर ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

यदुनाथ सिंह,

सदस्य, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

कमरा नं0 166–ए, दारुलशफा,

लखनऊ ।

दिनांक .....

विषय––उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पी0 सी0 सी0 पोल्स की खरीद राज्य के बाहर की फर्मों से करने के बारे में ।

आदरणीय महोदय,

सादर नमस्कार ।

प्रदेश सरकार, प्रदेश के अन्दर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में लम्बी चौड़ी बात कहती है, किन्तु व्यवहार के कुछ और ही बात है, प्रदेश के अन्दर एक लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । दैनिक पायनियर दिनांक 29–10–84 में छपे समाचार के अनुसार 30–10–84 को हाई पावर कमेटी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ सिंह ने की थी, ने निर्णय किया था कि राज्य विद्युत् परिषद् पी0 सी0 सी0 पोल्स की खरीद राज्य के बाहर की फर्मों से नहीं करेगी । किन्तु इस निर्णय के बावजूद भी विद्युत् परिषद् ने एक लाख पोल्स को बाहर की फर्म से खरीदने का निर्णय किया है, अधिकारियों के ऊपर शेष ढाई लाख पोल्स खरीदने का दबाव पड़ रहा है ।

इस समाचार का अभी तक किसी स्तर पर खंडन नहीं किया गया है । सम्भवतया यह समाचार सही होगा ।

यदि यह बात सही है कि प्रदेश के लघु उद्योगों को नजर अन्दाज करके बाहर की बड़ी फर्मों से पी0सी0सी0 पोल्स को खरीद की जा रही है इससे बड़ी शर्मनाक बात और कौन सी हो सकती है ।

मैं अनुग्रहीत हूंगा कि यदि निम्न बिन्दुओं पर यथाशीघ्र जानकारी दी जायें :––

1––कि क्या यह सही है कि ता0 30–10–81 को हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया था कि पी0 सी0 सी0 पोल्स प्रदेश की बाहर की फर्मों से नहीं खरीदे जायेंगे ।

2––यदि हां, तब 1–12–81 से 31–3–82 तक 1–4–82 से 31–3–83 व 1–4–83 से 31–3–84 तक कितने रुपये के और कितने पोल प्रदेश की बाहर की फर्मों से खरीदे गये और ऐसी खरीद के लिए क्या औचित्य है ।

3--कि वर्ष 1984-85 में ता0 31-10-84 तक कितने रुपये के कितने पोल प्रदेश की बाहर की फर्मों से तथा प्रदेश की अन्दर की फर्मों से खरीदे हैं । बाहर की फर्मों को कितना बिक्रीकर दिया ।

4--कि बाहर की फर्मों ने तथा प्रदेश के अन्दर की फर्मों ने क्या-क्या रेट कोट किए थे । यदि प्रदेश के फर्मों के रेट कम थे तब किन आधार पर बाहर की फर्मों को खरीद के आदेश दिए गए । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ।

5--कि यदि सारी खरीद प्रदेश के अन्दर के लघु उद्योगों से की जाती, कितना बिक्रीकर, आबकारी कर की बचत हो जाती है ।

आदर सहित ।

आपका शुभाकांक्षी,

ह0 यदुनाथ सिंह,

7-1-85

सेवा में,

श्री नारायण दत्त तिवारी,

मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ ।

पी0 एस0 यू0 पी0--18 वि0 सभा--9-9-1985--813 प्रति---(पी0 डी0) ।